खण्ड-307, अंक-7
बुधवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत् 1896
(19 जून, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 307 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 19 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–381

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
[illegible]मानाथ, श्री
[illegible]ल, श्री
[illegible]ल सिंह, श्री
[illegible]o ग्राइस, श्री
[illegible] प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
[illegible]ालो चरन
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा०
जुगल किशोर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायनसिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर

प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री

राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम अौतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती विन्दु एडवोकेट (जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शत रुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान, वर्क
शान्ति देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसार रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री

शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याल लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रोपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीत चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धूसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खण्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:--लघु उद्योग मंत्री श्री इस्तफा हुसेन भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 19 जून, 1974

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1

बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया को शादी-विवाह के लिये चीनी का अतिरिक्त कोटा

*1--चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिलों के लिये शादी-विवाह के लिए अतिरिक्त चीनी का कोटा क्रमशः 60, 98 व 48 मीट्रिक टन आवंटित किया गया है जबकि इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी के लिये क्रमशः 212, 237 तथा 192 मीट्रिक टन आवंटित किया गया है? यदि हां, तो बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया के लिये जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, कम कोटा आवंटित किये जाने का क्या कारण है?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

शादी-विवाह हेतु बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिलों को क्रमशः जनवरी, 1974 में 50, 85 व 40 तथा फरवरी, 1974 में 56, 95, व 45 मी0 टन चीनी का आवंटन हुआ था। इलाहाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी को इसी अवधि में क्रमशः जनवरी, 1974 में 131.5, 185 व 150 तथा फरवरी, 1974 में 180, 208 व 169 मी0टन चीनी का आवंटन हुआ था।

उसके बाद शादी-विवाह हेतु अलग से कोई आवंटन विशेष रूप से नहीं किया गया। मार्च व अप्रैल, 1974 में सामान्य आवंटन के अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु था जिसमें शादी-विवाह की मांग भी सम्मिलित थी।

इलाहाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी की शहरी आबादी बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिलों से अधिक है और शहरी आबादी में प्रतिमास प्रति यूनिट एक किलो देने के लिए इलाहाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी में अधिक चीनी का आवंटन होता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीया खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों की आबादी लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी चीनी का जो आवंटन हुआ है उसमें करीब तीन गुना फर्क है ? क्या यह आवंटन इस ख्याल से हुआ है कि भूत, वर्तमान और भविष्य काल में दिल्ली और लखनऊ की गद्दियां वहां बनती हैं उनको ज्यादा प्रिफरेंस दिया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, यह हमारे माननीय सदस्य का केवल भ्रम है। दिल्ली और लखनऊ की गद्दियां केवल चीनी से नहीं बनतीं, बल्कि उसके पीछे एक लम्बा इतिहास है। मान्यवर, माननीय सदन को बताना चाहती हूं कि जो चीनी का आवंटन होता है भारत सरकार द्वारा, वह 26,000 टन प्रति माह का है, जिसमें से पूरे सूबे को साढ़े-बारह हजार टन गांव के लिये और साढ़े-तेरह हजार टन अर्बन पापुलेशन के लिये वितरित करते हैं। ये जो वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद शहर है, इनकी शहरी जनसंख्या ज्यादा है, उन जिलों से। आपने सवाल पूरे जिले की पापुलेशन का किया है। यह ठीक है कि देवरिया, गोरखपुर और बस्ती, ये बड़े जिले हैं, लेकिन शहर की आबादी की दृष्टि से इनकी शहरी आबादी कम है। हम अर्बन पापुलेशन के लिये एक किलो प्रति यूनिट देते हैं और देहात के लिये एक परिवार के लिए एक किलो देते हैं। इसलिये पूरे जिले की आबादी में और शहर के आवंटन में यह फर्क हो जाते हैं।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

मान्यवर, इसमें सवाल शादी-विवाह का है न कि रिगुलर सप्लाई का। जहां तक शादी-विवाह का सवाल है, उसमें चाहे देहात हो या शहर, सबको बराबर दिया जाता है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, शादी-विवाह के आवंटन में बराबर आवंटन की व्यवस्था है। उसमें 20 के0जी0 से 50 के0जी0 तक दिया जाता है। जहां तक शादी-विवाह का सवाल है, उसमें देहात और शहर के मामले में कोई अन्तर नहीं किया जाता है। इस संबंध में जी0ओ0 बहुत स्पष्ट है।

श्री चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने बतलाया कि शहर में एक यूनिट पर एक किलो देते हैं और देहात में एक परिवार को आधा किलो दते हैं। औसतन शहर में 5 आदमी एक परिवार में होते हैं। इस प्रकार आप 10 गुना ज्यादा चीनी शहर को देती है। तो इसका क्या आधार और औचित्य है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
देहात में एक परिवार को एक किलो देते हैं ।

कई सदस्य—
मान्यवर, मंत्री जी झूठ बोल रही हैं ।

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
झूठ बोलने का सवाल नहीं है । माननीय सदन के सामने झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती । जो नियम बना रखा है उसके अन्तर्गत देहात के लिये प्रत्येक परिवार को एक किलो शकर तथा शहर के लिये प्रति यूनिट एक किलो शकर दी जाती है लेकिन साथ ही यह भी आदेश है देहाती क्षेत्र के लिये जो चीनी है उसका 40 परसेंट शादी ब्याह अथवा दूसरे तरह के त्योहार हैं उनके लिये फिक्स है और 60 परसेंट गहूं की वसूली हो रही है उसमें किसानों को देने के लिये रखी गयी है।

चौधरी चरण सिंह—
मैंने यह पूछा था कि जो फर्क रखा गया है 1 और 5 का इसका आधार क्या है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
चौधरी साहब स्वयं जानते हैं कि भारत सरकार चीनी जितनी हमको आवंटित करती है उसके आधार पर हम दे सकते हैं । देहात की जनता की खाने-पीने की जो हैबिट्स हैं उनके आधार पर हम चीनी उसको देते हैं । गुड़ वगैरह से भी वह अपनी आवश्यकता पूरी कर लेती है । शहर की जनता को पूरी तरह से चीनी पर निर्भर रहना पड़ता है । इसलिये ऐसा नियम रखा गया है वैसे तो आधार जनसंख्या का हो सकता है लेकिन चीजों की कमी को देख कर बटवारा कर दिया जाता है । अगर ज्यादा मिले तो देहात को ज्यादा भी दी जा सकती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—
भारत सरकार जो कोटा देती है उसमें एक किलो प्रति यूनिट शहर में तथा एक किलो प्रति परिवार देहात में चीनी देने की व्यवस्था है । यदि भारत सरकार कोटे को कम कर दे तो क्या दोनों स्थानों पर प्रोपोर्शनेटली घटा दिया जाता है या केवल गांव वालों का ही कोटा घटाया जाता है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
जब भारत सरकार कम करती है तो फिर शहर में भी कम किया जाता है । इसके पहले ऐसे अवसर आये हैं जब शहर में 700 अथवा 800 ग्राम प्रति यूनिट चीनी दी गयी है। इस समय जो चीनी हम बांटते हैं उसके लिये हमको साढ़े 31 हजार टन चीनी चाहिये लेकिन मिलती हमको केवल 26 हजार टन है । बीच-बीच में भारत सरकार से हम मांग कर आते हैं जैसे पिछली बार 4 हजार टन मांगी और उसे शादी ब्याह में दिया गया मई और जून के महीने में । फिर पहाड़ी क्षेत्रों के लिये भी ध्यान रखना पड़ता है । वहां पर ज्यादा जरूरत पड़ती है । उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि हर जगह की आवश्यकता को देखते हुए चीनी का वितरण किया जाता है । पहाड़ पर प्रति परिवार ढाई किलो देते हैं । शहरी परिवार को 500 ग्राम ज्यादा देते हैं क्योंकि वहां आवश्यकता ज्यादा लोगों को पड़ती है । इस प्रकार जैसे ही चीजें उपलब्ध होती हैं वैसे ही हम उनको वितरित करते हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—
अगर भारत सरकार जनसंख्या के आधार पर चीनी का आबंटन करती है तो देहात के लिये ज्यादा चीनी क्यों नहीं मांगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश को अधिक शेयर मिलना चाहिये । लेकिन उतना नहीं मिल पाता है । भारत सरकार से चीनी के दाम हमको अच्छे मिल रहे हैं । हमारी इस वक्त यह कोशिश भी है कि हमको फारेन एक्सचेंज मिले, इसलिये हम चीनी बाहर भेजें । अगर इसमें भारत की जनता कुछ त्याग कर लेती ह तो हमें इसके लिये तैयार रहना चाहिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है अप्रैल, मई व जून तीन महीनों में जो एक किलो का उन्होंने जिक्र किया कि फी परिवार वह देती है तो वह देहाती क्षत्रों में ठीक से नहीं दी गयी ? क्या वह भी बतलाने की कृपा करेंगी कि 1 किलो की जगह 750 ग्राम चीनी बांटी गयी उसकी भी उनको जानकारी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने अभी बताया कि हमने अभी दो महीनो मई और जून के लिये यह व्यवस्था की है । देहातों में शादी-ब्याह, त्योहार आदि तरह-तरह के काम पड़ते रहते हैं और इस तरह से चीनी आवंटित करने के लिए माननीय सदस्यों का ही सुझाव था । देहाती क्षेत्र का चीनी का कोटा कम नहीं किया गया है । जो गेहूं की वसूली ही रही है उसमें 60 प्रतिशत देहातों को आवंटित किया गया है । इसकी व्यवस्था हमने आवश्यकतानुसार की है । जून के बाद पुरानी व्यवस्था चालू रहेगी ।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि 1 किलो फी परिवार हम देहात में चीनी देते हैं और इन दो महीनों में चीनी का कोटा और बढ़ा दिया । लेकिन वास्तविकता यह है कि उस हिसाब से किसी को चीनी नहीं मिल रही है । सवाल कुछ है और वे जवाब कुछ और दे रही हैं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो देहाती क्षेत्र का चीनी का कोटा था उसे हमने इन दो महीनों में माननीय सदस्यों के सुझाव पर ही शादी-ब्याह आदि के लिये बढ़ा दिया है । उनका कहना था कि इस कार्य के लिये जो चीनी की मांग की जाती थी उस हिसाब से उन्हें चीनी मिल नहीं पाती थी । यों तो हमने कार्ड की व्यवस्था करायी है किन्तु फिर भी मई और जून में शादी ब्याह का मौसम है और इसमें उनकी इज्जत और मर्यादा का सवाल होता है । इसलिये लोगों की सहूलियत के लिए ही ऐसी व्यवस्था की गई है । जब यह मौसम समाप्त हो जायेगा लोगों को प्रति परिवार चीनी जैसी मिलती थी वैसी ही मिला करेगी ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अभी माननीय मंत्री जी ने देहात और शहर का फर्क करते हुए आदत के प्रश्न के साथ-साथ पहाड़ और मैदान का फर्क भी बता दिया । वैसे तो यह सब चीजें कागज पर ही हैं किन्तु आज कई शहर में ऐसे लोग हैं जो चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पहाड़ों पर कई ऐसे लोग हैं जो चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं । तो इस बात को देखते हुए क्या आप इस तरह का कोई आधार बनायेगी ताकि सभी की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जायं ? अनाज देने पर आप उन्हें चीनी देती हैं किन्तु जिनके पास खेती नहीं है उनको चीनी देने की आपने क्या व्यवस्था की है साथ ही जिसकी खेती होती भी है उसका सारा का सारा गेहूं वसूली में चला गया ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, यह तो लोगों को मालूम ही है कि 30 प्रतिशत चीनी ओपेन मारकेट में भी मिलती है । पहले यह होता था कि ब्लाक में देहात के लिये चीनी भेज देते थे और वह गांव

प्रधान के द्वारा बांट दी जाती थी किन्तु उसमें बाद में शिकायतें मिली इसलिये सरकार ने यह निर्णय लिया कि कार्ड के ऊपर ही चीनी बांटी जाय। इस चीज की मैंने भी बाद में जांच की थी और देखा था कि लोगों को चीनी मिलने लगी थी। यह जो व्यवस्था की गई है वह केवल 2 महीने के लिये की गई है और उसके बाद हम फिर पुरानी व्यवस्था ही चलायेंगे।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)--

अध्यक्ष महोदय, शहर में एक आदमी के लिये एक किलो और गांवों में एक परिवार के लिये एक किलो की जो व्यवस्था की गई है वह केंद्रीय सरकार की नीति पर निर्धारित हुई है अथवा प्रदेशीय सरकार की नीति पर निर्धारित हुई है। आज गांवों में जो कार्ड बने हुये हैं उसके हिसाब से वहां चीनी नहीं पहुंचती है, क्या आप उसकी व्यवस्था करायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो मैंने बताया जो हमारी वर्तमान आवश्यकता है उसके हिसाब से 6 हजार टन कमी चीनी हमें मिलती है, इसलिये गांव के लोगों को हम पूरी चीनी नहीं दे पाये। हम बार बार भारत सरकार से यह कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को ज्यादा चीनी दी जाय और इस तरह हमें जो मांगने से मिल जाती है, उसको बांटने का हम पूरा प्रयास करते हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, उन्होंने कहा कि चीनी कुछ विदेशों को भेजी जाती है और जो उससे बच जाती है, उसको यहां बांटते हैं तो क्या वह यह बताने की कृपा करेंगी कि कुल उत्पादन का कितने परसेंट चीनी विदेशों को भेजते हैं और कितनी चीनी यहां रहती है ? तथा जो चीनी विदेशों को जाती है, वह किस भाव से जाती है और यहां पर किस भाव पर बेंची जाती है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह मैंने नहीं कहा कि विदेशों को भेजने के बाद जो बचती है, उसे यहां हम बेंचते हैं। मैंने तो केवल यह कहा कि इस समय विदेशों में भाव ज्यादा हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

चीनी की दो किस्में हैं एक लेवी की और दूसरी नान-लेवी की चीनी। शहर के मालदार लोग नान-लेवी की चीनी खरीद सकते हैं, तो इस हालत में शहर की चीनी के कोटे में कटौती क्यों नहीं की गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर टाल दें। आपने उनसे उत्तर देने के लिये कहा है और उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आप व्यवस्था दें और मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर तो दे दिया। अब जो वह उचित जवाब समझेंगी वह देंगी, मैं किसी खास ढंग का जवाब देने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकता। जो वह उचित समझेंगी वह कहेंगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

एक इन्होंने कहा विदेशों को भेजने के बाद यहां चीनी देते हैं, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत विदेशों जो भेजते हैं यह मैंने पूछा था।

श्री अध्यक्ष--

यह भारत सरकार से संबंधित है, यह मैंने पहले ही कहा । लेकिन मंत्री जी ने आपके प्रश्न का कुछ उत्तर दे दिया ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मैं यह जानना चाहूंगा कि नान लेवी की शकर मालदार लोग खरीद सकते हैं और शहरों में मालदार लोग रहते हैं, और वहां से गेहूं खरीद कर शहर में देने के लिये आप उन्हें चीनी बांट रहे हैं, देहात की शक्कर की इस तरह से आपने कटौती कर दी है । लेकिन शहर के लोगों को बराबर उतनी ही शक्कर मिल रही है, उनको गेहूं भी बराबर मिलेगा और देहात की शक्कर भी खत्म है और गेहूं भी खत्म है, तो यह सब किस आधार पर खत्म है ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

सदन को माननीय मंत्री जी गुमराह कर रही हैं ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करते रहे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर सभी सदस्य एक साथ बोलने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा ? अभी प्रश्नों का समय है जो माननीय श्रीपाल सिंह ने प्रश्न किया था वह प्रश्न असम्बद्ध था । वह केंद्र से संबंधित था फिर भी थोड़ा जवाब मंत्री जी ने दे दिया । माननीय असरार अहमद का सवाल सामान्य है । यह जो प्रश्न किया गया है उसकी परिधि के अन्दर सवाल करें ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

इस प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी कौन से जिले में उत्पन्न की जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल नहीं उठता है ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

इस प्रश्न पर 22 मिनट हो गये । अब अगर आप को संतोष नहीं होगा तो उसके लिये जो कार्यवाही है, वह करें । अब दूसरे सवाल पर जाते हैं ।

(शोर)

चौधरी चरण सिंह--

आप इस प्रश्न पर आध घंटे की चर्चा का मौका दे दें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष--

आप नोटिस देंगे तभी तो विचार होगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । पहले सुन लें ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि सूबे में देवरिया जनपद जिसमें 14 चीनी मिलें हैं....(शोर)

श्री अध्यक्ष---

यह सवाल नहीं है, प्रश्न दूसरा है। देवरिया के बारे में आप पूछ सकते हैं लेकिन जितनी चिन्ता आप को जो इस समय है इसके पहले क्यों नहीं पैदा हुई ? क्या देवरिया के बारे आपन सवाल किया है आज तक.....

श्री ओमप्रकाश सिंह---

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं प्रश्नोंके बीच में किसी व्यवस्था को सुनने के लिये तैयार नहीं हूं, आप सवालों का जवाब नहीं आने देना चाहते हैं ।

एक सदस्य---

प्रश्न यह था कि तीन जिलों के बारे में चीनी का कोटा....

श्री अध्यक्ष---

आपको इजाजत नहीं है ।

बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का पुनः एकीकरण

**2---श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री शफीकुल रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद) तथा श्री धर्मवीर सिंह (जिला बिजनौर)---

क्या यह सही है कि शासन बसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा को पुनः एक करने पर विचार कह रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कब से ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम जी लाल सहायक)---

यह नीति का प्रश्न है जो शासन के विचाराधीन है। अभी इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(उत्तर पढ़ा गया)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

उत्तर सुनायी नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष---

जैसे आप दस सदस्य खड़े हो जाते हैं तो कोई क्या सुन सकता है ?

(उत्तर पुनः पढ़ा गया ।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह शासन के कब से विचाराधीन है और किस आधार पर ?

श्री रामजी लाल सहायक---

यह प्रश्न पिछले दो माह से विचाराधीन है ।

श्री रामसेवक यादव---

यह अनिश्चितता कब तक दूर हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह कोई सवाल नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--
क्या यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि बेसिक शिक्षा को फिर से जिला परिषदों को सौंप दिया जाय ?

श्री रामजीलाल सहायक--
यह प्रश्न इससे उठता नहीं है। यह तो दो शिक्षाओं के एकीकरण की बात है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--
क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न में जुलाई में सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व निर्णय लिया जा सकेगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--
अभी तो समय लगेगा।

श्री हिम्मत सिंह--
कौन-कौन से प्रश्नों पर विचार कर लिया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--
क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कब तक शासन इस पर अन्तिम रूप से निर्णय ले लेगा ?

श्री अध्यक्ष--
यह तो प्रश्न हो गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--
गत वर्ष बेसिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग रखा गया था अब किस कारण से एक जगह किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--
यह तो अलग सवाल है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--
इसका आधार तो बतायें ?

श्री रामजीलाल सहायक--
मान्यवर, दो शिक्षाओं को एक जगह करने पर विचार करना पड़ेगा। दोनों शिक्षायें अलग-अलग स्तर की हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का प्रश्न निदेशालय के ऊपर है। पहले दोनों एक ही निदेशालय के अन्तर्गत थीं। लेकिन अब तीन निदेशालय बन गये हैं। एक उच्च शिक्षा के लिये, दूसरा माध्यमिक शिक्षा के लिये और तीसरा प्राइमरी शिक्षा के लिये। बेसिक शिक्षा के निदेशक पहली जून को रिटायर हो गये तो हमने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से कहा कि वही इसको भी देख लें। इसलिये निदेशालयों के एकीकरण की बात है।

श्री ऊदल--
क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा का निदेशक बनाने के लिये इसको अलग किया गया लेकिन अब वह रिटायर हो गये हैं तो फिर से दोनों को एक जगह करने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष--
यह तो अलग सवाल है।

श्री रामजी लाल सहायक--
यह बात सही नहीं है। किसी व्यक्ति के लिये निदेशालय खोलने की बात नहीं थी बल्कि विभाग में काम बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए तीन निदेशालय खोले गये।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न जो विचाराधीन है वह किसी कमेटी के अधीन है? तो उसका नाम क्या है या पूरा मन्त्रि मण्डल इस पर विचार कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि तीन स्तर की शिक्षा को लागू किया गया। तो क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि शिक्षा के तीन स्तर इसलिए किए गये थे कि श्री श्रीनिवास शर्मा को निदेशक बनाना था ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में वे उत्तर दे चुके हैं। कोई दूसरा प्रश्न करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसकी अनुमति नहीं देता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन तीनों निदेशालयों को अलग करने की क्या आवश्यकता थी और अब उसे एक करने पर किस कारण से विचार किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो ग्योरे का सवाल है।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, माननीय सदस्य उसको सिर्फ भ्रम में डालते हैं। मैंने निवेदन किया कि निदेशालय एक करने पर विचार हो रहा है। मैंने केवल यह कहा कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक बेसिक शिक्षा को देखें। यह प्रश्न विचाराधीन है। कल को हम निर्णय ले सकते हैं कि अलग-अलग रहें।

माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण हेतु नियुक्त समिति का प्रतिवेदन

** 3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन शासन को दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी शिक्षण सत्र से उसे लागू करने जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

समिति ने अभी केवल अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है। उसका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सम्भव होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम प्रतिवेदन में किन-किन बातों का इशारा किया गया है ? सरकार शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात करती है तो क्या सरकार उसको टालना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आक्षेप है। पहले भाग का ही उत्तर दें ।

श्री रामजी लाल सहायक—

अन्तरिम प्रतिवेदन की जो संस्तुतियां हैं उनको सुनाता हूं :

1—माध्यमिक विद्यालयों की व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये ।

2—माध्यमिक शिक्षा को प्रशासकीय तथा शैक्षिक व्यवस्था एवं नीति निर्धारण हेतु एक स्वायत्तशासी राज्य शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाय अथवा शिक्षण संस्थाओं का शासन द्वारा सरकारीकरण किया जाय ।

3—राज्य शिक्षा परिषद् का गठन जनतांत्रिक आधार पर किया जाय जिसमें शिक्षक, शिक्षा विद्, शासन एवं प्रशासन योजना विशेषज्ञ तथा जन प्रतिनिधि सम्मिलित हों ।

4—गुणात्मक विकास के लिए राज्य शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में विभिन्न विभागों की स्थापना की जाय जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पुस्तक एवं डिग्री सामग्री, मूल्यांकन एवं नियोजन आदि। इन विभागों के प्रतिनिधि भी राज्य शिक्षा परिषद् में सम्मिलित रहें ।

5—माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्तियों का दायित्व एक शिक्षा सेवा आयोग को सुपुर्द किया जाये ।

6—उपर्युक्त मौलिक मान्यताओं के आधार पर समिति अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ।

7—शासन से अनुरोध किया जाय कि माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीयकरण समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाये ।

दूसरे में माननीय सदस्य ने चाहा कि जब तक हमारे पास उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पूरी समिति बैठ कर निर्णय लेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रतिवेदन आया है? यह जो कमेटी बनी है उसकी सर्वसम्मत राय से पास हुआ है या बहुमत से पास हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह अन्तरिम है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अन्तरिम प्रतिवेदन सर्व सम्मति का है अथवा बहु मत का ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, समिति ने जब इस पर निर्णय लिया तो उस दिन पूरे सदस्य उपस्थित नहीं थे लेकिन जितने सदस्य उपस्थित थे उनके एक मत से निर्णय लिया गया ।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समिति ने अपने कार्यकाल को बढ़ाने का अनुरोध किया है और सरकार ने कब तक समय बढ़ा दिया है और अन्तिम रिपोट समिति कब तक दे देगी ।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर, 1974 तक बढ़ा दिया गया है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम रिपोर्ट समिति ने दे दी है और उसका पालन करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर अभी तो यह रिपोर्ट आई है, मुश्किल से एक सप्ताह हुआ है। मान्यवर, किसी रिपोर्ट को विचार करने में समय लगता है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)

मान्यवर, समिति ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें क्या इन्टर के विद्यार्थियों के लिए कोई अनिवार्य विषय रखे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग प्रश्न है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, जो राष्ट्रीयकरण किया जायगा उसमें विद्यार्थियों को क्या सुविधा दी जायगी तथा समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर क्या कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है।

बाजरा स्कैण्डल केस की सी० आई० डी० द्वारा जांच

**4—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

प्रथम सत्र 1974 के दिनांक 27 मार्च, 1974 के लिएनिर्धारित अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाजरा स्कैण्डल केस की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच पूरी हो चुकी है और रपट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति तथा अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस मामले की जांच पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग को सौंपी गई है। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच कब प्रारम्भ हुई और जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनका नाम क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, यह प्रश्न यहां 27 मार्च को उपस्थित किया गया था, 29 मार्च को जांच का आदेश दे दिया गया था और यह आई0 जी0 लेविल पर, पुलिस महानिरीक्षक श्री जैन द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच कब तक पूरी हो जायेगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसमें समय अधिक नहीं लगेगा। इसकी जांच करीब-करीब पूरी हो गई है। 10–15 दिन में महानिरीक्षक, अभिसूचना की तरफ से जांच रिपोर्ट मेरे पास भेज देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 जांच कर ही रही है और कुछ तथ्य जो हैं मेरा ख्याल है मन्त्री जी के पास होंगे। तो मैं माननीय मन्त्री जी सें पूछना चाहूंगा कि यह जो परमिट दिया गया था किसकी संस्तुति से दिया गया था और वह किसी मन्त्री के हस्ताक्षर से पारित किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

परमिट पर तो कोई मन्त्री हस्ताक्षर करता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैंने संस्तुति शब्द कहा है कि किसकी सिफारिश से परमिट दिया गया है। यदि ऐसा है तो किस मन्त्री महोदय ने सिफारिश की गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी चरण सिंह—

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अफसरान भेज चुके हैं उनके पास ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं, कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं आई है।

चौधरी चरण सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि 1 महीने के अन्दर सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट भेज देगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस मामले में जांचपड़ताल काफी करना था। बम्बई, आगरा को भी जांच के लिये जाना था इसलिये कहा यह जरूर गया था कि कम से कम समय लिया जाय। इसलिये यह 3 महीने लगे हैं। अब जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं एक महीने की अवधि तो नहीं निश्चित की जा सकती लेकिन जल्दी ही इसकी जांच पूरी हो जायगी।

चौधरी चरण सिंह—

मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेन्ट के स्पैसिफिक आदेश हैं कि उन्हें जवाब देना चाहिये। इसमें एक महीने के अन्दर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अवश्य भेज दी जाती है, यह प्रेक्टिस है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सरकार के पास कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजी ? यदि नहीं तो क्यों? देर हो जाय तो दूसरी भेजते हैं, फाइनल रिपोर्ट में देर हो सकती है लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट तो एक माह में आनी चाहिये।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वह क्यों नहीं भेजी गई, इसकी जानकारी तो मैंने प्राप्त नहीं की। जब यह प्रश्न आया तो उस वक्त इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की। इस बारे में जांच करीब करीब पूरी हो चुकी है। 10–15 दिन में रिपोर्ट शासन के पास आ जायगी जिसके आधार पर विचार किया जायगा कि और आगे क्या किया जा सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं यह मानता हूं कि परमिट पर मन्त्री जी के आदेश नहीं होते हैं लेकिन क्या यह सही है कि सम्बन्धित पत्रावली पर किसी मन्त्री ने सिफारिश की थी? यदि हां, तो वे कौन से मन्त्री थे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो जांच का प्रश्न है । मन्त्री जी ने कहा है कि सी० आई० डी० द्वारा जांच करीब करीब पूरी हो चुकी है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जब 10-15 दिन पश्चात् रिपोर्ट आ जायगी तो तत्पश्चात् एक्शन होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में किसी विभागीय अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो किस के खिलाफ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इन्क्वायरी होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जायगी ।

श्री पुरुषोत्तम (देवरिया)--

श्रीमन्, इसी प्रकार अगस्त, 1973 में बस्ती में और देवरिया जिले में, पडरौना थाने में 107 क्विंटल बाजरा पकड़ा गया था । क्या उस मामले में कोई कार्यवाही हुई, या नहीं ? आप गुजरात और बंगाल की तो बात करते हैं लकिन अपनी स्टेट में जो पकड़ा गया, उसके बारे में कुछ हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में आप अलग से प्रश्न कर लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

*1--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन की ओर से कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में किन-किन सड़कों को टेस्ट-वर्क के अन्तर्गत निर्माण कराने के लिये अधिशासी अभियन्ता, पी० डब्लू० डी०, कानपुर को दिसम्बर, 1972 में आदेश दिये गये थे, वह सड़कें कहां से कहां हैं, उनकी लम्बाई अलग-अलग कितनी है, उनमें किन-किन में कार्य प्रारम्भ हुआ और जिनमें कार्य शुरू नहीं किया गया, उसे जनहित में शीघ्र बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका †में दी हुई है । जिन सड़कों पर कार्य नहीं किया गया है उसका कारण संलग्न तालिका में बताया गया है । अब इन सड़कों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि टेस्ट-वर्क योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा कोई कार्य अभी नहीं होना है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि टेस्ट-वर्क योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा जब कभी भी कार्य आरम्भ होगा तब इनको प्राथमिकता के आधार पर बनवा दिया जायगा ?

---

†देखिये परिशिष्ट 'क' आगे पृष्ठ 816-817 पर ।)

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--
जी हां ।

कानपुर के परौख तथा बान गांवों में नालों का निर्माण

*2--चौधरी रामपाल सिंह यादव--
क्या सिंचाई मन्त्री कृपया विधान सभा के दिनांक 26 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि परौख और बान गांवों में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी हुई है अथवा नहीं और इन नालों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई ?

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--
जी हां । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी हो गई है । बान नाले के लिये 14 मई, 1974 को तथा परौख नाले के लिये 6 जून, 1974 को भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ है । अब नालों का निर्माण कराया जायगा ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--
क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो नाले हैं, उनका निर्माण-कार्य वे कब से आरम्भ करा देंगे और कब तक ये बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
वर्ष 1975-76 में ही पूरे हो जायेंगे ।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--
क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद में इस योजना के अन्तर्गत बरसाती जल के निकास के लिये और भी प्रायोजना तैयार है, क्या उसका सर्वे कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष--
यह तो व्यापक प्रश्न हो गया ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । इस वक्त तो मैं नहीं बता सकता हूं ।

सीतापुर में बिसवां मार्ग पर स्थित गोन नदी पर निर्मित काठ का पुल

*3--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां, जिला सीतापुर से जाने वाले बिसवां मार्ग पर स्थित गोन नदी पर निर्मित्त काठ का पुल कब से बना हुआ है ? क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस काठ के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--
इस पुल के निर्माण होने की तिथि का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । परन्तु स्थानीय पूछ-ताछ से पता चला है कि यह काठ का पुल 30 वर्ष से अधिक पुराना है ।

धनाभाव के कारण इस पुल के स्थान पर पक्का पुल निर्माण कराने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--
क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछले कई वर्षों से बिसवां-सीतापुर मार्ग पर जाने वाले पुल पर बिसवां और खैराबाद में बोर्ड लगा हुआ है कि डढ़ टन से भारी गाड़ियां इस

पर नहीं चल सकती हैं, तब भी सैकड़ों हेवी वेहिकिल्स जाती हैं और 10–15 रुपया चेक-पोस्ट वाले हर एक से ले लेते हैं तो क्या इस पुल का निर्माण करेंगे और कोई टोल टैक्स लगायेंगे जिससे उसके निर्माण का खर्चा आ सके और जन-सुविधा हो सके !

श्री अध्यक्ष—

बनने के पहले टोल टैक्स लगा दें !

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

जो चौथ ले रहे हैं वह तो बन्द हो । उससे अच्छा है कि टोल-टैक्स ही लग जाय ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह तो धन उपलब्ध होने पर ही कहा जा सकता है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी उस पुल की लागत के बारे में जांच करायेंगे कि कितने रुपये की लागत से वह पुल बन सकता है और जैसा कि सुझाव है कि टोल-टैक्स लगाया जाय तो टोल-टैक्स संशोधन विधेयक ले आयेंगे और थोड़ा संशोधन करके वसूलने की कृपा करेंगे और उस पुल को बनवायेंगे !

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वैसे तो जब धन उपलब्ध होगा और पुल के निर्माण का सवाल आयेगा तभी सर्वे और आगणन बनाया जायगा, लेकिन 15 लाख रुपया उसमें मोटे तौर से लगेगा । पर एक भ्रम में जरूर दूर कर देना चाहता हूं कि उस पर टोल-टैक्स नहीं लगाया जा सकता । इसलिये कि जहां पर जनता को जो सुविधा पहले से उपलब्ध हो, अगर उसकी जगह पर दूसरा पुल बनाकर वही सुविधा दी जाय तो टोल-टैक्स उस पर नहीं लगाया जा सकता ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि लकड़ी के पुल परिषदों ने कई जिलों में बहुत संख्या में बनायें हैं जो कि पी0 डब्ल0डी0 को देते समय तक 30–35–50 साल से बने हुये हैं ! आपने कहा कि नया पुल नही बनाया जा सकता, इस बात को देखते हुये कि आवागमन न रुक जाय, लकड़ी का पुल बनवाने की कृपा करेंगे !

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह तो अलग-अलग जहां पुल का प्रश्न होगा उस पर विचार किया जा सकता है, वैसे जहां पर कोई खराबी आती है उसकी मरम्मत की जाती है ।

सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा राय-बरेली जिलों के लिये सरकारी नलकूपों का आवंटन

*4—कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत वर्ष में सुल्तानपुर जिले के लिये कितने नलकूप सरकारी आवंटित हुये थे तथा उनमें से कितने लगे, जो नहीं लग पाये उसका कारण क्या था !

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सुल्तानपुर जिले में विगत वर्ष (1973–74) में 35 नलकूप दिये गये जिसमें 20 नलकूप लगे शेष 15 नलकूप बोरिंग मशीन की कमी के कारण नहीं बन सके ।

*5—कुंवर श्रीपाल सिंह—

उपरोक्त प्रश्न के वर्णित समय में ही प्रतापगढ़ तथा रायबरेली जिलों में कितने-कितने आवंटित हुये और कितने लगे !

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रतापगढ़ तथा रायबरेली जिलों के लिये वर्ष (1973-74) में 40-40 दिये गये जिसमें से प्रतापगढ़ में 25 तथा रायबरेली में 40 राजकीय नलकूप बना दिये गये हैं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में उन्होंने कहा कि मशीन की कमी के कारण नहीं बना सके 20 नल-कूप और जो बोर हुये वे क्या बगैर मशीन के बोर हुये और अगर मशीन पहले से थी तो मशीन की कमी बीच में कहां से पड़ गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

कोई मशीन कहीं एक जिले में इस तरह से नहीं रहती है, बल्कि वह इधर-उधर घूमती फिरती रहती है, इसलिए वहां दूसरे जिलों से ली गयी थीं वहां जितने बन पाये बन पाये, बाकी अभी नहीं बन पाये हैं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जो नल-कूप रह गये वह इसलिए रह गये कि जितने बोरिंग की क्षमता की मशीनें सुल्तानपुर में थीं उससे अधिक गहरे बोरिंग की मशीन की जरूरत थी जो रायबरेली जिले से थोड़े दिनों के लिए आयी थी और वह फिर प्रधान मंत्री के क्षेत्र में चली गयी जहां 40 के 40 नल-कूप बोर हुए ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, अभी तो सुल्तानपुर में फिलहाल रायबरेली से नहीं जौनपुर से बड़ी बोरिंग मशीन आ रही हैं और हमको पूरा भरोसा है कि उस बड़ी मशीन के रहने के बाद कभी नहीं रहेगी ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रतापगढ़ में 40 में से 25 बोर हुये और रायबरेली में 40 में से 40 बोर हुये । तो रायबरेली के प्रति इतनी अधिक ममता क्यों है ? और मेरी सूचना है कि गहरी बोरिंग वाली मशीनें तीन हैं जिसमें से एक रायबरेली में और एक चकिया में प्रधान मंत्री और भूतपूर्व मुख्य मंत्री के क्षेत्र में है । तो क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिला भारत के अन्दर ही है या उसके बाहर है जो उसके ऊपर सरकार की अकृपा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

आपकी इत्तिला सही नहीं है, तीन से ज्यादा मशीनें हैं । वहां के लिये यह तय हुआ था कि आगरा से एक मशीन वहां भेज दी जाय लेकिन उसी दौरान में नेपाल गवर्नमेंट से मांग आ गयी इसलिये एक मशीन वहां भेज देनी पड़ी और आगरा की मशीन वहां नहीं पहुंच पायी । जहां तक मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री की बात है, ऐसी बात नहीं है बल्कि कोशिश यह की जाती है कि जहां सर्वे हो चुका है वहीं काम शुरू कर दिया जाय, दूर की बोरिंग में दिक्कत पड़ती है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी यह देखे हुये कि उत्तर प्रदेश में सब से पिछड़ा हुआ जिला सुल्तानपुर है और रायबरली में 40 के 40 बोर हो चुके हैं क्या अब सुल्तानपुर में मशीन भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

पिछले साल हमने बराबर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारी मदद कर द और उसके साथ हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी मुमकिन होगा सुल्तानपुर म मशीन पहुंच जाय और वहां जल्द स जल्द बोरिंग हो जाय ।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

बड़ी मशीन बगर पूरे प्रदेश में नलकूप लगाने में असुविधा हुई । हमारे ज़िले में भी जब यह बात की जाती है तो कहा जाता है कि बड़ी मशीन बगैर आपके जिले में जो बहुत नीचे से पानी मिलने की बात है वह बोरिंग नहीं हो सकती और बराबर यह कहा गया कि यह मशीन रायबरेली में फंसी हुई है । तो क्या हमारे प्रदेश की सरकार बड़ी मशीनों की संख्या बढ़ाने के बारे में सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने कहा कि हमने गवर्नमेंट आफइंडिया को लिखा हुआ है, बराबर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि आजमगढ़ और कई जिले ऐस ह जहां डीप बोरिंग की आवश्यकता होती हैं। उसके लिये हमारी कोशिश यह है कि ऐसी मशीनें हमें ज्यादा से ज्यादा मिल जांय क्योंकि उन एरियाज में नलकूपों की आवश्यकता ज्यादा है और वहां जरूर आवश्यक इन्तजाम होना चाहिये ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

मुख्य मंत्री ने कृपा की, सुल्तानपुर के लि ` बड़ी मशीन की अनुमति दे दी राजा साहब की वजह से परन्तु प्रतापगढ़ में भी जो बकाया ट्यूबवेल हैं वह कब तक लग जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगली मर्तबा सिंगरामऊ की एक सीट आप दीजिये और फिर लीजिये ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

जब मेजर वर्क्स फेल हो रहे हैं क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है, तो सरकार माइनर इर्रीगेशन की फसिलिटी को बढ़ाने की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है ?

श्री अध्यक्ष—

सका उत्तर हो चुका है । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

* 6–7—श्री शिवसम्पत्ति—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

* 8–9—श्री भीखा लाल—

[5वें मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 23–24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सिंचाइ विभाग के मुंशियों व हेड मुंशियों के पदों की समाप्ति

* 10—श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में मुन्शियों व हेड मुन्शी पद को शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, अगर नहीं तो क्या कारण है कि नलकूप मन्डल वाराणसी में 10 मुन्शी व 3 हेड मुन्शी जो 5-6 वर्ष पहले के रेगुलर अधिष्ठान में कार्यरत थे, हटा दिया गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं । 10 मुन्शियों और 3 हेड मुन्शियों के गैर मुस्तकिल पदों का कुछ मु त के लिये सृजन किया गया था जिन्हें बाद म आवश्यकता न रहने पर समाप्त किया गया और उन पदों पर काम करने वालों को उनके मूल पद पर वापस कर दिया गया ।

श्री गिरजा शंकर पाठक—

6 वष के बाद 10 मुंशी और 3 हैड मुंशी अपने उसी पद पर काम कर रहे हैं, यह आपने बताया । लेकिन मेरी सूचना यह है कि उनको वेतन अभी भी कूप-चालक का दिया जा रहा है । क्या इसकी जानकारी आप करायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
मैंने कहा कि उनको पुराने पद पर वापस भेज दिया गया है ।

श्री गिरजाशंकर पाठक--
क्या आपा इसकी सी० आई० डी० से जांच करायेंगे कि वे कहां पर काम कर और कौन-कौन सा उनको वेतन मिल रहा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
मैं फिर जांच करवा लूंगा ।

* 11--श्री ऊदल--
[4थे गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रायबरेली शारदा सहायक फीडर चैनल के मजदूरों की मजदूरी का आधार

* 12--श्री राम सेवक यादव तथा श्री नन्हें लाल (जिला बाराबंकी)--
क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली शारदा सहायक फीडर चैनल की खुदाई टेस्ट वर्क के अन्तर्गत की गई ? यदि हां, तो वर्ष 1973-74 में कितनी मिट्टी की खुदाई की गई और मजदूरों को कितनी धनराशि दी गई एवं मजदूरों की दी गई मजदूरी का आधार क्या था ? क्या यह सही है कि मिट्टी की खुदाई की मात्रा से अधिक धनराशि का भुगतान मजदूरों के नाम कर दिया गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
जी हां ।

द्वितीय भाग
वर्ष 1973-74 में 5.00 लाख घनमीटर मिट्टी का कार्य हुआ और मजदूरों को 10,87,600 पये का भुगतान हुआ । मजदूरों को निम्न आधार पर मजदूरी दी गयी :

1--प्रति पुरुष	3.00 प्रतिदिन
2--प्रति स्त्री	2.50 प्रतिदिन
3--अयवस्क (12 से 18 वर्ष)	1.50 प्रतिदिन

तृतीय भाग
जी नहीं ।

श्री रामसेवक यादव--
क्या इस तरह की शिकायत माननीय मंत्री महोदय को मिली है कि बिना नाम से भी और सेछ लोगों के नाम से भी, कि तृतीय योजना के अन्तर्गत जो मिट्टी का काम हो रहा है वह मजदूरों कु न कराकर ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है तथा मिट्टी का दाम भी निर्धारित भाव से अधिक दिया जा रहा है ! इसके अलावा जो मजदूरी दी गयी है वह कम दी गयी है । मस्टर-रोल पर लोगों की संख्या ज्यादा दिखायी गयी है । क्या इस तरह के भ्रष्टाचार की भी उनको शिकायतें मिली हैं ! यदि हां, तो क्या क्या !

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
मुझे कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली है । अगर आप बतायेंगे कितो मैं जरूर इसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री रामसेवक यादव--

मैंने सूचना तो आपको दे दी, इसी पर आप जांच करवा लें। एक प्रश्न में यह भी पूछना चाहता हूं कि मिट्टी के लिये 9 लाख रुपये खर्च करने के लिये एलाटेड थे, मगर खर्च जो हुआ है वह 11 लाख रुपये हैं, ऐसा क्यों है !

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

आप लिख कर इसके बारे में भी मुझे भेज दें, मैं पूरी जांच करवा लूंगा।

*13--श्री राम सेवक यादव--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित] ।

बांदा विकास क्षेत्र, जसपुरा के ग्राम गौरी कलां में राजकीय नलकूप हेतु सर्वेक्षण

*14--श्री राम अधार तथा श्री नन्हे लाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा, विकास क्षेत्र जसपुरा के ग्राम गौरी कलां की एक समाज सेवा संस्था, "नवयुवक ग्राम सेवा संघ" ने वर्ष 1969-70 में एक आवेदन-पत्र देकर मांग की थी कि इस गांव में उपज को बढ़ाने के लिये नलकूप शीघ्र लगवाये जायं, जिसका सरकार द्वारा सर्वे भी कराया गया था ! यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई !

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं। जिला बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में राजकीय नलकूप लगाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया जा चुका है, बोरिंग के बारे में भी जांच की जा रही है कि वहां बोरिंग सफल हो सकती है या नहीं।

*15--श्री बाबू लाल वर्मा--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

*16--श्री गोरे लाल शाक्य--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

वाराणसी मण्डल सिंचाई विभाग के नहर लिफ्ट तथा बन्धा ड्विीजनों के अधीक्षण अभियन्ता का तबादला

*17--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मन्डल सिंचाई विभाग के नहर लिफ्ट तथा बंधा डिवीजनों में कितने एस0 ई0 ऐसे हैं जो बीसों साल से वाराणसी में ही हैं ! पहले अधिशासी अभियन्ता के रूप में और अब दस वर्ष से एस0 ई0 के रूप में हैं ! यदि हां, तो इसका क्या कारण है !

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रथम भाग--

ऐसा कोई भी अधीक्षण अभियन्ता नहीं है जो बीसों साल से वाराणसी में ही है।

दूसरा व तीसर भाग--

यह प्रश्न नहीं उठता।

*18--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 14 क उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*19—श्री शिव कैलाश—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

*20—श्री ओम प्रकाश सिंह—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

*21—श्री पुरुषोत्तम—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

हाई स्कूल एवं इंटर के छात्रों के छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव

*22—श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में मौजूदा महंगाई को देखते हुये सरकार ने छात्रों को अधिक सुविधा न प्रदान करने हेतु उनकी पूर्व निर्धारित छात्र-वृत्तियों की राशि में बढ़ोत्तरी तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिये कम मूल्य पर भोजन प्रदान करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, वर्ष 1974–75 से छात्रों को सुविधा प्रदान करने हेतु हाई स्कूल एवं उत्तर प्रदेश इण्टर योग्यता छात्रवृत्तियों की वर्तमान दरों में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। योजना के अनुसार उक्त दोनों प्रकार की छात्रवृत्तियों की दर क्रमशः 10 रुपये व 16 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये व 25 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

खाद्यान्न आदि के फिलहाल प्रदेश के 10 नगरों (लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी' गोरखपुर, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद) में स्थापित विश्वविद्यालयों तथा अन्य कालेजों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को शासन के खाद्य तथा रसद विभाग के 11 मई, 1974 के आदेश के अनुसार यूनिटों के आधार पर छात्रावासों में उपयुक्त नियंत्रित प्रचलित दरों पर उपलब्ध करा दिया गया है।

बुलन्दशहर के मकनपुर गांव को हरियाणा सरकार द्वारा बनाये गयेबांध से खतरा

*23—श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले के मकनपुर गांव के सामने हरियाणा सरकार द्वारा बनाये जा रहे बांध से जो बुलन्दशहर के गांवों को खतरा पैदा हो गया है, उसे रोकने का सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

बुलन्शहर जिले के ग्राम मकनपुर के समीप हरियाणा द्वारा बनाये गये बांध से उत्तर प्रदेश के ग्रामों को खतरा पैदा हो गया है। मामला निर्णय हेतु गृहमंत्री, भारत सरकारको सौंप दिया गया है।

*24—श्री सत्यपाल मलिक—
[4थे बधवार के लिये स्थगित।]

छितौनी बांध की सुरक्षा हेतु योजना

*25—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की बड़ी गन्डक नदी की भयंकर बाढ़ में छितौनी बांध की सुरक्षा के लिये सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

बड़ी गन्डक नदी की बाढ़की छितौनी बांध को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सात करोड़ रुपया की लागत की दो योजनायें बनाई गई हैं, जिन पर कार्य चल रहा है ।

*26--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*27--श्री श्रीराम रेखा यादव--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]।

सिंचाई विभाग के रिटायर्ड ओवरसियरों को पेंशन का न मिलना

*28--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962 में रिटायर्ड कुछ ऐसे ओवर सियर के मामले अभी भी शेष हैं जिन्हें पेन्शन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन हैं तथा अब तक पेन्शन केस डिसाइड न होने का कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां ।

प्रश्न का द्वतीय भाग

दो अस्थाई ओविरसियर श्री पी० डी० तुलसियानी तथा श्री चन्दन दास के मामले अभी शेष है ।

प्रश्न का तृतीय भाग

अस्थाई होने तथा इनकी सेवायें पहले अविभाजित भारत की भूतपूर्व सिन्ध सरकार । (अब पाकिस्तान) के अधीन होने के कारण इनसे कहा गया था कि ऐसी शहादत प्रस्तुत करें जिससे इनके द्वारा की गई सिन्ध सरकार में सेवायें प्रमाणित हों। अब यह कुछ शहादतें उपलब्ध करा पाये हैं और वित्त विभाग की राय से मामले पर परीक्षण किया जा रहा है ।

फर्रुखाबाद, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरदा की भवन निर्माण हेतु धन

*29--श्री सूबेदार (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिला स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरदा का भवन-निर्माण हेतु धन स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो कब तथा कितना और भवन अब तक न बनाने का कारण क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ में आशुलिपिकों का स्थायीकरण

*30--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)--

क्या सार्वजनकि निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ में काम करने वाले अस्थायी आशुलिपिकों की ज्येष्ठता की सूची अन्तिम रूप से तयार कर ली है, यदि हां, तो क्या उसक अन्तर्गत आशुलिपिकों का स्थायीकरण किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां। इसी सूची में आधार पर आशुलिपिकों का स्थायीकरण किया गया है।

*31---चौधरी चरण सिंह---

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों को अर्जित अवकाश का नगदीकरण

*32---श्री मोहन लाल कपूर---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण के रूप में न दिये जाने का क्या आधार है? क्या सरकार वह सुविधा उक्त कार्यरत लिपिकों को भी देने पर विचार करेगी, यदि हां, तो कब से?

श्री राम जी लाल सहायक---

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों के लिये उपार्जित अवकाश के नगदीकरण के कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*38---श्री मोहन लाल कपूर---

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

गांव सआदतनगर, पेपरोसा व कुलहवा, तहसील मिसरिख जिला सीतापुर की जमीन का नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रफल

*34---श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गांव सआदतनगर पेपरोसा व कुलहवा तहसील मिसरिख जिला सीतापुर की कितनी एकड़ जमीन नहर की कमान्ड एरिया में है? और पिछले चार साल से इन वाजेआत की कितनी एकड़ जमीन में पानी पहुंचा कर आबपाशी नहर द्वारा की गई है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

ग्राम सआदत नगर तथा कोलहवा तहसील मिश्रिख जिला सीतापुर का 1085 व 478 एकड़ कुल 1563 एकड़ क्षेत्रफल नहर के कमान्ड में है। ग्राम पेपरोसा कोलहवा का मजरा है। नहर द्वारा गत 4 वर्षों में औसत सींच ग्राम सआदतनगर में 244 एकड़ तथा ग्राम कोलहवा में 46 एकड़ कुल 290 एकड़ की गई है।

गोरखपुर नगर के वर्षा के पानी की पम्प द्वारा निकासी

*35---श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार कृपया प्रश्नकर्ता की इस सूचना को सही मानकर कि लगभग आधा गोरखपुर नगर प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाता है? इससे बचाव के लिये किसी योजना पर तुरन्त गम्भीरता से विचार करेगी? यदि हां तो उसका प्रारम्भ कब से हो जायेगा?

श्री मोहम्मद महमद अली खां---

गोरखपुर नगर के 11 मोहल्ले नीचे में बसे हैं तथा वर्षा होने पर प्रायः जलमग्न हो जाते हैं। स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा पम्पों से जल निकासी की एक योजना बनाई गई है, जिस पर तुरन्त कार्य आरम्भ करने हेतु बाढ़ मद से उन्हें 50,000 रु0 दे दिये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री कल्याण सिंह—

[4 थे गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

फर्रुखाबाद, नरोजाकट–ताल–ग्राम सड़क की सुधार योजना

2—श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में नरोजाकट से तालग्राम की सड़क के सुधार हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

3—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

[निरस्त]

4—श्री कृष्ण राय—

[3 रे गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

1973–74 में वाराणसी में राजकीय नलकूपों का आबंटन

5—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सन 1973–74 में कितने ट्यूब-वेल मंजूर हुए और उनमें से कितने की बोरिंग अब तक नहीं की गई है और प्रत्येक ब्लाकों में किन-किन स्थानों में ट्यूबवेल बनाया जाना सरकार ने मंजूर किया है ? क्या सरकार पूर्ण ब्योरा प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वाराणसी जिले में 1973–74 में कुल 93 ट्यबवेल मंजूर किये गये थे। सभी की बोरिंग हो चुकी है। शासन द्वारा राजकीय नलकूपों का आवंटन ब्लाकवार न करके जिलेवार ही किया जाता है। जिले में किस स्थान पर ट्यूबवेल लगाया जायगा इसका निर्णय जिला परामर्श दात्री तथा स्थल चयन समिति द्वारा किया जाता है।

वाराणसी, गांव कनिपर में कुण्डीनाला पर पुल

6—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुन्डी नाला, परगना पन्द्रह, जिला वाराणसी में गांव कनिपर के पास पुल बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमद अली खां—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

7—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[3 रे गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

8—श्री हरिकेवल—

[3 रे गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

1—श्री मोहम्मद असरार अहमद—
[18-6-74 को उत्तरित ।]

गोंडा जिले के बिकास खण्ड उतरौला श्रीदत्तगंज तथा गेंड़ास बुजुर्ग में राजकीय नलकूपों की संख्या

10—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोन्डा जिले के विकास खन्ड उतरौला श्रीदत्तगंज तथा गेंडास बुजुर्ग में अब तक कितने राजकीय नलकूप लगे हैं तथा वित्तीय वर्ष 1974-75 में कितने राजकीय नलकूप लगाने जाने की योजना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—
गोंडा जिले के विकास खंड उतरौला में 7 तथा श्री दत्तगंज में 22 राजकीय नलकूप अब लगे है। गेंड़ास बुजर्ग विकास खन्ड में अभी तक कोई राजकीय नलकूप नहीं लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 1974-75 में गोंडा जिले में 10 नलकपों के निर्माण प्रस्तावित हैं।

11—श्री बाबू लाल वर्मा—
[निरस्त]

बाराबंकी के विकास खण्ड मवई और रुदौली के नलकूपों की मरम्मत

12—श्री राम सेवक यादव—
क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के विकास खण्ड मवई और रुदौली के नलकूप मरम्मत के अभाव में महीनों से बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इन नलकूपों के निरन्तर चलते रहने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—
जी नहीं। सभी नलकूप सुचारु रूप से चल रहे हैं।

गांव सराय घरसौना, नाद नदी तथा गांव कनिपर, कुंण्डी नाला वाराणसी पर पुल बनाने की योजना

13—श्री रामसजीवन (जिला बांदा)—
क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नाद नदी में गांव सराय घरसौना, जिला वाराणसी में तथा कंडीनाला में गांव कनिपर, तहसील वाराणसी जिला वाराणसी में सरकार पुल बनबाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—
सूचना एकत्रित की जा रही है।

14—श्री शारदा प्रसाद रावत—
[4 थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

बहराइच जिले में बहराइच हुजूरपुर, हुजूरपुर से करनैलगंज कूण्डासर हुजूरपुर, कैसर गंज तथा जरवल रोड़ जरवल (सार्टकट, सड़कों का निर्माण

15—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—
क्या सरकार को पता है कि बहराइच जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कई वर्षों से निर्माणाधीन बहराइच से हुजूरपुर, हुजूरपुर से करनलगंज, कुन्डासर से हुजूरपुर, हुजूरपुर से कैसरगंज तथा जरवल रोड से जरवल (सार्टकट) सड़कें कब तक बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

बहराइच जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन निम्नलिखित तीन सड़कों के प्रत्येक के सम्मुख अंकित अवधि तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है:--

1--बहराइच से हुजूरपुर मार्ग--मार्च, 1976 तक ।

2--हुजूरपुर से कैसरगंज मार्ग--मार्च, 1977 तक [इस मार्ग का पूरा नाम प्रयागपुर--हुजूरपुर-कैसरगंज है ।]

3--जरवल रोड से जरवल (शार्टकट) मार्च--जून, 1975 तक ।

शेष दो सड़कों का निर्माण सार्व जनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है ।

16--श्री बाबू लाल वर्मा--

[निरस्त]

17--श्री आशाराम यादव--

[4 थे बुधवार के लिए स्थगित]

18--श्री आशा राम यादव--

[निरस्त]

19--श्री आशा राम यादव--

[4 थे बुधवार के लिए स्थगित]

20--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[4 थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन विधेयक, 1974

सचिव विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियामवली 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन विधेयक, 1974, जिसे विधान सभा ने दिनांक 7 जून, 1974 को पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 18 जून, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, 1974

सचिव विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, 1974, जिसे विधान सभा ने दिनांक 7 जून, 1974 को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 जून, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है ।

प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, प्रश्न पूछत पर यहां प्रश्नों क उत्तर नहीं दिये जाते हैं । आपने यह भी कहा है कि जो वह उचित समझेंग उत्तर दग । तो मान्यवर, विरोधी दलों को उत्तर क्यों नहीं दिय जात हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि वह जवाब तो देंगे, लेकिन मैं बाध्य नहीं कर सकता कि वह कैसा जवाब दें। और यह जवाब आपको संतोषप्रद लगे या न लगे। यह वह और आप जानें ।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला-इटावा)--

मान्यवर, यहां प्रश्नों के उत्तर देने में 15-15 मिनट तक लग जाते हैं । इस तरह से और भी वक्त लगता है जिससे अन्य प्रश्नों के लिये समय बहुत कम रह जाता है । मान्यवर मैं चाहता हूं कि सभी प्रश्नों का उत्तर 2 मिनट में मिल जाया करे ।

अध्यक्ष--

अगर सदन सहयोग दे तो मैं एक घन्टे में ही सारे प्रश्नों को समाप्त कर सकता हूं । यह तो आपस के सहयोग की बात है ।

इलाहाबाद जनपद में डकैती, चोरी, लूटमार, बलात्कार एवं राहजनी आदि की घटनाओं के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

जनपद इलाहाबाद में विगत एक माह (10-5-74 से 10-6-74) में कानून और व्यवस्था में भारी गिरावट आ जाना या जन जीवन असुरक्षित होना किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। जिन आंकड़ों पर यह आरोप आधारित हैं वे वस्तु स्थिति से बहुत परे हैं।

शासन ने जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार 1 जून से 10 जून तक इलाहाबाद नगर में कत्ल की कोई घटना नहीं हुई तथा इस अवधि में पूरे जिले में केवल एक कतल हुआ जो ग्रामीण क्षेत्र, थाना करारी में आपसी रंजिश के कारण हुआ। इसी प्रकार यह कहना बिल्कुल निराधार है कि बलात्कार की घटनाएं पिछले एक महीने में बहुत हुई। सारे जिले में इस प्रकार की दो घटनाएं हुयीं हैं, जबकि इससे पिछले साल इसी महीने में ऐसे तीन अपराध हुए। यह भी असत्य है कि इलाहाबाद में आये दिन रास्ते पर बम फेंकना, गोली चलाना, छूरे-चाकू से वार करना, अपराधियों का साधारण सा कार्य हो गया है। चाकू बाजी की घटनाएं सारे जिले में गत एक माह में उन्नीस हैं जबकि इससे पिछले साल इसी महीने में ऐसी वारदातों की संख्या 18 थी। बम गिराने की केवल एक ही घटना हुई तथा पुलिस ने तत्परता से काम किया और मुलजिम को पकड़ लिया परन्तु इसी अवधि में तीन बमों की बरामदगी भी की गई है। शूटिंग की घटनाओं में थोड़ी सी वृद्धि हुई है परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में इसे असाधारण नहीं कहा जा सकता।

उपरोक्त अवधि में राहजनी के अपराधों की संख्या 23 रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इनकी संख्या 22 थी। गृह भेदन तथा साधारण चोरियों में अवश्य थोड़ी सी वृद्धि हुई है परन्तु इसे भी असाधारण नहीं कहा जा सकता ।

वाराणसी से इलाहाबाद जाने वाली पूर्वोत्तर रेल की गाड़ी में हुई डकैती के सम्बन्ध में धारा 395 आई0 पी0सी0 के अन्तर्गत वाराणसी के जी0 आर0 पी0 थाने में अपराध अंकित किया गया था। इसमें अपराधी अज्ञात थे। परन्तु तफतीश से उनका पता लगा लिया गया है और तीन अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रेल गाड़ियों पर अपराधों की रोकथाम के लिए ट्रेन गार्ड साथ किये जा रहे हैं और प्लेटफार्मों पर भी पुलिस तैनात की गई है।

इलाहाबाद के कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण अवश्य किये गये हैं और इनके स्थानों पर अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। यह स्थानांतरण साधारणतया प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गये हैं और चूंकि शासन की नीति यह है कि जहां तक सम्भव हो स्थानांतरण गर्मियों में शक्षिक संस्थायों के खुलने से पहले हो जायं अतः यह सभी स्थानांतरण पिछले कुछ दिनों में किए गए यह कहना उचित नहीं है कि इन सभी अधिकारियों के थानान्तरण केवल इसलिये किये गये कि कानून और व्यवस्था में गिरावट आ गई थी ।

शासन की यह नीति है कि अपराधियो पर कड़ा नियंत्रण रखा जाय और पुलिस प्रशासन यथा सम्भव अपराधों को होने से बचाये तथा अपराधियों को दंडित कराने में कड़ाई और मजबूती से काम करे। जिला अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महा निरीक्षक को यह आदेश दिये गये हैं कि अपराधों के पता लगाने में बहुत तेजी की जाय और अपराधों को रोकने के उपाय तेजी से अपनायें जायें। पुलिस की सक्रियता बढ़ाने के लिये कुछ कदम पहले भी उठाये गये हैं और कुछ और कदम भी उठाये जायेंगे। इलाहाबाद नगर में पेट्रोलिंग के कार्यों को सुदृढ़ करने के लिये चार जीपें तथा कुछ वायरलेस सेड्स उपलब्ध कराये गये हैं। गुण्डों तथा अवांछनीय तत्वों तथा छुरे बाजी के विरुद्ध अत्यन्त तत्परता और सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा का वातावरण बनाये रखने के सम्बन्ध में जो भी आवश्यक है किया जा रहा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें विगत एक माह यानी 10 मई, 1974 से 10 जून, 1974 तक डकैती की घटना का जिक्र नहीं किया है। कत्ल के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने केवल 1 जून, से 10 जून, 1974 तक का जिक्र किया है। मैं जानना चाहता हूं कि 10 मई, 1974 से 1 जून, 1974 के बीच में इलाहाबाद में कत्ल और डकैती की कितनी घटनायें घटी हैं? तो मेरे इस पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि 1 जून से 10 जून, 1974 तक केवल एक कत्ल की घटना हुई है जबकि डकैती के सम्बन्ध में भी वक्तव्य होना था। परन्तु उन्होंने डकैती का कोई जिक्र नहीं किया है। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में विगत एक माह में डकैती की कितनी घटनायें हुयीं हैं या नहीं हुई हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा–

मान्यवर, मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की भाषा पढ़ी जिसमें 10 जून, 1974 तक की घटना का जिक्र है। मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार इस महीने में 8 डकैतियां पड़ी हैं जबकि आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव में 25 डकैतियों का जिक्र किया है। आपने उसमें लिखा था कि 25 कत्ल तथा 35 डकैतियों की घटनायें हुयी हैं। जबकि महीने में अपराधियों की संख्या कत्ल के मामले में 17 हैं तथा 25 डकैतियों की जगह केवल 8 डकैतियां पड़ी हैं।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। जैसा मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि एक जून से 10 जून तक नगर में कोई कत्ल नहीं हुई, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मेरी खुद की जानकारी है कि पहली तारीख को इलाहाबाद नगर में काफी हाउस के सामने 10 बजे एक हरिजन का कत्ल हुआ। जो आपको जानकारी दी गई है वह सही नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक कत्ल मेयर हाल के सामने 29 तारीख को हुई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जैसा कि मालवीय जी ने कहा वह कत्ल 1 जून, से पहले का है, मई में आ गया इसलिए उस सम्बन्ध में सूचना देने का अधिकारी दोषी नहीं है। लेकिन जो बात कोहली जी ने कही, अगर सूचना गलत है तो वह दण्ड का भागी है।

श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)---

जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि 8 डकैती पड़ी हैं यह बिलकुल असत्य है। 8 या 6 तो केवल हंडिया थाने के अन्तर्गत पड़ी हैं जिसमें एक कत्ल भी हुआ है। इसके साथ

[श्री अठई राम]

ही सराय ममरेज में भी अभी हाल में कत्ल हुआ है। श्री राजितराम पांडे का भी कत्ल हुआ है। यह पुलिस जानती थी क्योंकि दो पट्टीदारों का झगड़ा बहुत पुराना था। उनका कत्ल कराने में थाना इंचार्ज दरोगा का हाथ है। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि थाना ममरेज सराय में मिश्रीगांव है वहां एक चोर चोरी करते पकड़ा गया, वहां की जनता ने उसे पीटा तो मर गया, लेकिन पुलिस परेशान कर रही है। वह पत्र मैं आपको अध्यक्ष के माध्यम से भिजवाऊंगा। वहां पर एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार की घटना है। साथ ही घुरपुर थाना में एक सुपरवाइजर ने हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया। (शेम-शेम की आवाजें) न तो उस सुपरवाइजर को सस्पेन्ड किया और न ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में उचित ढंग से जांच करायें और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री हेमबती नन्दन बहुगुणा--

अठई राम जी ने मान्यवर जो भाषण दिया वह उस तारीख से सम्बन्ध नहीं रखता। माननीय राजित राम पांडे की हत्या 13 तारीख को हुई है। प्रश्न 10 सें जून तक सम्बन्धित था इसलिए कोई भविष्य वक्ता तो था नहीं कि वह भी सूचना मिल जाती। लेकिन जो बात अठई राम जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा होता कि थानेदार वह एक सूचना मुझे लिख कर दे देते। मैं यह करने को तैयार हूं कि आई० जी० को भेजकर थानेवार जो सूचना है उसकी एक प्रति श्री अठई राम जी को भिजवा दूं ताकि उनकी उपस्थित में थाने के रिकार्ड देखें और गलत चीज उसमें कोई निकलती है तो उस थानेदार को आई० जी० सजा करें।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 17 हत्या की घटनाओं को स्वीकार किया है और यह भी कहा है कि अपराध स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष इस महीने में कितनी हत्यायें और डकैती पड़ीं जिनके आधार पर उन्होंने यह कहा कि अपराध स्थिति चिन्ताजनक नहीं है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

पर साल 13 डकैती पड़ी थीं इसी महीने में जबकि इस साल 8 पड़ी हैं और जहां तक कत्ल की बात है इस समय में पारसाल 12 हुए थे और इस साल 17।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

10 मई से 10 जून तक कितनी चोरियां हुई हैं क्या यह भी बता सकेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 17 व्यक्तियों के जो कत्ल किये गये हैं उनके नाम क्या थे और किस-किस स्थान के वह थे....

दूसरे यह कि जो आठ डकैती पड़ी यह किस किस थाने के अन्तर्गत पड़ीं। तीसरी बात यह कि रेलगाड़ी का डिब्बा लूटा गया तो उसमें कितने लोग लूटे गये और कितने का माल लूटा गया।

श्री अध्यक्ष

आप विवरण मांग रहे हैं। यह केवल वक्तव्य के लिए था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह जो उत्तर आया है इसमें तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गयी है। मेरा प्रश्न था एक महीने के सम्बन्ध में और उत्तर आया केवल दस दिन के सम्बन्ध में। जब मैंने स्पष्टीकरण

जानना चाहा तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि 17 कत्ल हुए। मेरा कहना है कि यह सूचना भी जो मुख्य मन्त्री जी को अधिकारियों द्वारा दी गई है, जब तक यह जानकारी न हो जाय कि यह 17 मरने वाले कौन-कौन हैं....

श्री अध्यक्ष—

यह जानकारी आप लिखकर हासिल कर सकते हैं। यहां तो यह ब्योरे की चीज हो जायगी। आपने जैसा लिखा था वैसा ही उत्तर आया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

हमारे यहां सभी पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। आई० जी० साहब का वक्तव्य था कि यहां ला एन्ड आर्डर की स्थिति काबू के बाहर हो गयी।

(व्यवधान)

कम से कम मरने वालों का नाम और डकैती से जो लोग आहत हुए हैं उनके नाम आ जायें।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि आपने जो मांगा है वह 10 मई से 10 जून तक का मांगा है। उसका ही उत्तर आया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट था। जो कत्ल और डकैती हुई तो मरने वालों के नाम मालूम हो जायं। अगर मुख्य मन्त्री जी के पास यह सूचना न हो तो बात दूसरी है। पहले 12 तारीख को वक्तव्य होने वाला था। मुख्य मन्त्री जी ने एक सप्ताह का समय मांगा था। लेकिन फिर भी यह अपूर्ण उत्तर है।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

हमें भी स्पष्टीकरण के लिये अवसर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिये था। स्पष्टीकरण के लिये दो-तीन सवाल हो सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं आपका ध्यान नियम 51 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री गंगा प्रसाद के कुछ कहने पर।)

आप स्वयं अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

मैं सबसे पहले खड़ा हुआ।

श्री अध्यक्ष—

जो खड़े होकर जोर-जोर आग्रह करता है तो उसका नाम मैं नहीं लेता।

श्री गंगा प्रसाद--

यह इलाहाबाद के हैं तो हम उत्तर प्रदेश के हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता। सवाल यह है कि आप लोग किसी व्यवस्था से काम करेंगे या अव्यवस्था से।

श्री तीरथ राम कोहली--

मान्यवर, अभी मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि 10-5 से 10-6 तक डकैतियां बढ़ी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी के पास इस सम्बन्ध में जो लिस्ट आई है, उसमें क्या 15-5 को जो डकैती मनौरा में पड़ी, वह शामिल है कि नहीं। मान्यवर, यह बिल्कुल थाने के निकट डकैती पड़ी थी और इसमें पुलिस भी पहुंची थी।

श्री अध्यक्ष--

यह तो तफसील की बात हो गई। आप जितनी सूचना हो भेज दें, मुख्य मन्त्री जी जांच करवा लेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, ये जो 17 कत्ल, 8 डकैतियां और रेलगाड़ी वाला काण्ड के बारे में बताया, तो इसमें मरने वालों के नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप तफसील में जायेंगे, तो आगे का काम कैसे चलेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, तफसील की बात नहीं है, मुख्य मन्त्री जी ने पहले एक कत्ल की घटाना बताई। फिर एक से 17 हो गयीं। 17 में से 8 घटनायें ऐसी हैं जिनके बारे में इलाहाबाद के अधिकारियों ने सूचित नहीं किया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मेरे पास थानेवार नामों की लिस्ट तो नहीं है। टोटल फीगर्स आई हैं। कम्परेटिव फीगर्स इसलिए मंगाया था कि परसाल और इस साल की डकैतियों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सके, क्योंकि मालवीया जी कह रहे हैं कि वे बढ़ रही हैं। जहां तक रेलवे वाली घटना का सवाल है, वह रेलगाड़ी बनारस से इलाहाबाद आ रही थी। यह डकैती एन० ई० आर० में हुई। इसमें रिपोर्ट जी० आर० पी०, वाराणसी में रजिस्टर हुई, हमारे इलाहाबाद में नहीं हुई। इसमें नामजद रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने तफतीश के जरिये 3 को पकड़ लिया है। इनके नाम मेरे पास नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि थानेवार सूचना दी जाय तो या तो अपनी जानकारी मेरे पास भेंज दें या अल्पसूचित प्रश्न कर लें। उत्तर दे देंगे।

श्री रामसेवक यादव--

अभी माननीय सत्य प्रकाश जी ने आई०जी० के बयान के बारे में कहा कि इलाहाबाद की स्थिति भयावह है और नियंत्रण के बाहर है। लेकिन मुख्य मन्त्री जी का कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं है। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में क्या सत्य है ? आई० जी० का बयान या आपका वक्तव्य ?

श्री अध्यक्ष—

क्या प्रश्न न करना चाहिये और कैसे सरकार को किस प्रश्न के जवाब के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिये, आप लोग यह नहीं करते, बल्कि अपने सवालों द्वारा एक-दूसरे के प्रश्नों को निरस्त करने की प्रक्रिया चलती रहती है और इस तरह से अधिकांश समय आप इसी प्रकार ही नष्ट कर देते हैं। इसीलिये मैं आपसे बार-बार कहता हूं कि अल्पसूचित प्रश्न पहले कर लें ताकि सारी जानकारी हो जाये। उसके बाद फिर निश्चित अवस्था में बहस हो सकती है।

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय के बीच में खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कहना चाहते हैं कि श्री रामसेवक यादव ने जो सवाल उठाया है वह गलत है। आप क्यों खड़े हो गये? इस तरह से आप शासन का काम हल्का कर देते हैं।

श्री हेमवती नन्द बहुगुणा—

आई० जी० का बयान सामने हो तो मैं बतलाऊं कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री रामसेवक यादव—

वह वक्तव्य तो सामने है।

श्री अध्यक्ष—

यदि है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आप उसे भेज सकते हैं उनके पास। यह हो सकता है कि मुख्य मन्त्री जी को न मालूम हो। मुख्य मन्त्री जी के पास कापी भेज करके आप बात कर लेते। समाचार-पत्र में वह छपा है यह मात्र आधार नहीं हो सकता। अपनी जानकारी भी आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

अब एजेंडे पर नं० 8 पर मुख्य मन्त्री जी का शोधन वक्तव्य है उसे वह पढ़ेंगे।

10 जून, 1974 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में चौधरी चरण सिंह द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का शोधन

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 10 जून, 1974 को सर्वश्री राम सेवक यादव, गिरजा शंकर पाठक तथा राम रति विन्द द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मैंने कहा था कि "माननीय चौधरी साहब जब मुख्य मन्त्री थे तो मिस्टर डी० जी० व्यास, आई० ए० एस० उनके उप सचिव थे 1-3-70 से 31-12-70 तक-----"

सही उत्तर इस प्रकार है कि--"माननीय चौधरी साहब जब मुख्य मन्त्री थे तो श्री सोमदत्त त्यागी, डिप्टी कलेक्टर उनके उप सचिव 1-3-70 से 2-10-70 की पर्वान्ह तक रहे और बाद में जब श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्य मन्त्री थे तो श्री त्यागी जी उनके उपसचिव 18-10-70 की अपरान्ह से 31-12-70 तक रहे। श्री बी० डी० व्यास, आई० ए० एस० श्रीमती सुचेता कृपलानी के मुख्य मन्त्री काल में 26-1-64 से 19-5-64 तक उप सचिव रहे हैं।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

[विधान सभा के द्वितीय सत्र (1970) के लिए सर्वश्री राम सेवक यादव, गिरजा शंकर पाठक तथा राम रति बिन्दू द्वारा पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न सं0 359 का उत्तर]

प्रश्न

359—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत राष्ट्रपति शासन काल में इलाहाबाद के तत्कालीन ए० डी० एम0 के विरुद्ध शिकायतें होने पर प्रमुख सलाहकार श्री सतीश चन्द्र ने उनका स्थानांतरण अल्मोड़ा कर दिया था और उनके खिलाफ तहकीकात करने के लिये विजीलेन्स को मामला सौंप दिया था? क्या उस अधिकारी को मुख्य मन्त्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है जबकि उक्त उप सचिव का पद पहले कभी नहीं रहा?

उत्तर

359—विगत राष्ट्रपति शासन काल में इलाहाबाद के तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) के प्रशासनिक कारणों से अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन) चमोली के पद पर स्थानान्तरण के आदेश किये गये थे। उनका स्थानान्तरण अल्मोड़ा नहीं किया गया था। इलाहाबाद की नियुक्ति की अवधि से सम्बन्धित किसी शिकायत के आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला सतर्कता अधिष्ठान को जांच के लिये नहीं सौंपा गया है।

यह सही है कि उक्त अधिकारी को उप सचिव, मुख्य मन्त्री के अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया है किन्तु यह सही नहीं है कि इस प्रकार का उप सचिव का पद पहले कभी नहीं रहा है। वर्ष 1970 में भी मुख्य मन्त्री के सचिवालय में उप सचिव का एक अस्थायी पद विद्यमान था।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 818–819 पर)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-स्थगन के चार प्रस्ताव आये हैं। पहला माननीय तीरथ राम कोहली तथा श्री मोहनलाल कपूर का शासन को अव्यावहारिक गेहूं की वसूली के बारे में आयी है। इस पर बहस हो चुकी है.....

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

इलाहाबाद शहर के अन्दर एक दाना भी गेहूं का नहीं है । वहां पर गेहूं की दुर्दशा हो रही है.....

श्री अध्यक्ष--

पहले आप मुझे पूरा सुन लें । गेहूं के बारे में कितने लोगों ने कहा है । दूसरा श्री दशरथ सिंह ने गोंडा जिले में गेहूं की वसूली के बारे में दिया है । यह भी उसी से सम्बन्धित है । इस पर चर्चा हो चुकी है इसलिये इन दोनों को अस्वीकार किया गया है..... (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आप पहले मुझे सुन लें ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

आप अस्वीकार भी कर रहे हैं और हमें सुनते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है ।.....अपनी बात कहने में माननीय सदस्य इतने मस्त हैं कि दूसरे की बात सुनते ही नहीं हैं ।

एक सदस्य--

आप हम लोगों की बात कम सुनते हैं और अपनी बात ज्यादा कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप की बात ढंग से सुन ली जाय, इसीलिये मैं यहां बैठा हूं । अगर आपको स्वछन्द कर दिया जाय तो कोई आपकी बात सुन ही न पाये ।

श्री त्रिवणी सहाय (जिला गोंडा)--

मेरा सवाल दूसरा ही है । गोंडा जिले के लिये जो कोटा आवंटित था.....

श्री अध्यक्ष--

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आप कृपा करके पहले मेरी पूरी बात सुन लें ।

एक प्रस्ताव देवरिया जिले के छितौनी बांध के निकट आई भीषण बाढ़ से संकट उत्पन्न हो गया है, के सम्बन्ध में आया है । तो इस पर एक तारांकित प्रश्न था और उस पर काफी आपको जानकारी हो चुकी होगी । इसलिए मैंने इसे अस्वीकार किया है..... (व्यवधान) डी0पी0 सिंह, वाइस चांसलर ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके कोआपरेटिव स्टोर्स में 25 करोड़ रुपये का घाटा है बीज बेंचकर । यह वाइस चांसलर ने आरोप लगाया--- यह आपका कहना है । इसमें आपकी जानकारी नहीं है । जो लिखकर दिया है उसकी इतनी लचर भाषा है---"यदि यह आरोप सच है-------" आपने लिखा है ।

(व्यवधान)

यदि आप जवाब चाहते हैं तो इस विषय पर प्रश्न करें ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

छितौनी बांध पर आपने क्या कहा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला-सहारनपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है---

श्री अध्यक्ष--

आपका जो है, उसे कोई भी दुनिया का प्रेसाइडिंग अफसर स्वीकार नहीं कर सकता है । आप खुद कहते हैं---"यदि यह सच ह-------। आपकी जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

इस तरह से नहीं चलेगा । मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं । ----बहुत शोर मच रहा है । (व्यवधान) इसका मतलब है कि आप लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह की अव्यवस्था ठीक नहीं है। अब हम आगे चलते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। जितने माननीय सदस्य खड़े होकर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप उन सब को एक-एक मिनट सुन लें। क्योंकि इतनी देर से मैं कुछ भी नहीं सुन पाया हूं । उनसे सरकार को जो लाभ होना चाहिए वह नहीं हो पाया है । यो आपका निर्णय ठीक है, और वह हमें शिरोधार्य है । लेकिन जब कभी ऐसा होता है और कई सदस्य एक साथ बोलते हैं, तो वे किसी जोश के कारण बोलते हैं और जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो उनके मन में कोई भ्रम या आशंका पैदा होती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सदन की गरिमा के अनुरूप, यदि सम्भव हो सके, आप माननीय सदस्यों से कह दें कि वे एक-एक मिनट बोल लें मैं समय दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं

(दो-तीन सदस्य के एक साथ बोलने पर)

देखिये, इतनी अपील के बाद दो-दो बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल, कपूर—

अध्यक्ष महोदय मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य के सम्बन्ध में वादविवाद 8–9 रोज हुए सदन में हुआ लेकिन सदन उठा और मैं मेरठ गया था। मेरठ में यह स्थिति है, पांच रोज से शहर में गेहूं का दाना नहीं है, लोग एक दूसरे से उधार मांग कर काम चला रहे हैं, शायद दो एक रोज चल पायेगा । इसके लिए वहां पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाठी चार्ज हुआ, 144 लगायी गयी, 12 व्यक्ति अरेस्ट कर लिये गये। सरकार की अदूरदर्शी और गलत नीति के आधार पर आज शहर का प्रत्येक व्यक्ति भूखों में मरने की स्थिति में है। मेरठ, सुल्तानपुर, इलाहाबाद में यही स्थिति है, सभी शहरों में स्थिति ऐसी कि गेहूं उपलब्ध नहीं है। लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं। यह नयी स्थिति उत्पन्न हो गयी है माननीय मुख्य मंत्री तुरन्त इस प्रकार की व्यवस्था करें और आप उनका वक्तव्य दिलाएं जिससे मेरठ आदि शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय और प्रदर्शन में जो लोग पकड़े गये हैं उनको छोड़ दिया जाय इस प्रकार की व्यवस्था फौरन होनी चाहिए।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

आपकी आज्ञा से मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं। अभी मैं मेरठ दौड़े पर गयी थी। वहां अधिकारियों से भी बातचीत हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गयी और जनता के लोगों से भी मिली थी। लोगों ने बताया कि मेरठ में गेहूं सस्ते गल्ले की दूकान पर मिलता था उन दूकानों पर फिर से चालू करवा दें, हम को दिक्कत हो रही है। कल ही मैंने अध्यादेश दे दिया है कि मेरठ में इस पखवाड़े से फिर सस्ते गल्ले की दूकान चालू कर दी जायं जिससे जनता को इसमें कोई परेशानी न हो।

श्री अध्यक्ष—

(श्री मोहनलाल कपूर के उठने पर) अब नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

हमारे मित्र ने जो काम रोको प्रस्ताव दिया था, टाइम्स आफ इंडिया के अखबार में छपा है—रूपीज 25 करोर ए–इयर स्कैंडल, गवर्नमेंट, कोआपरेटिव स्टोर्स सेल सब स्टैंडर्ड सीड्स।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं। अखबार घर पर पढ़ सकते हैं। आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें। आपने देखा नहीं है। आप आसन ग्रहण करें।

जो सूचना आप देते हैं अपनी जानकारी पर देते हैं। जो सूचना दी है वह जनार्दन जी के नाम से नहीं है बल्कि गर्ग साहब के नाम से है। मैंने कहा कि जो भाषा उन्होंने प्रयुक्त की है उस भाषा पर कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सुना नहीं निर्णय देने से पहले। वाइस चांसलर ने आरोप लगाया ह...

श्री अध्यक्ष—

आप बड़े ऊंचे वकील हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी चीज को आप कहना चाहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वह बयान है ही उन का ?

श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग—

आप काम रोको प्रस्ताव पर निर्णय कर रहे हैं और आप सुनने का मौका नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह जरूरी नहीं है।

श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग—

आरोप लगाया ह वाइस चांसलर ने।

श्री अध्यक्ष—

आपने नहीं कहा है यह बयान जो है वाइस चांसलर का है, इसके बारे में आप तसल्ली से नहीं कह सकते।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी।

श्री अध्यक्ष—

न वाइस चांसलर ने चिट्ठी लिखी है, न वाइस चांसलर ने भेजा है। आपने अखबार में पढ़ा है कि बयान दिया है।

श्री राजेन्द्रकुमार वर्ग—

वाइस चांसलर ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि इस तरह के स्कैंडल होते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह तो होगा। (व्यवधान) इसके पढ़ने की आज्ञा मैं नहीं देता हूं। इस तरह से सदन कैसे चल सकेगा। आप स्वयं लिख कर देते हैं कि अगर यह सच है तो ऐसा है। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं हो सकता है। (व्यवधान) माननीय गर्ग साहब, मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो आपने लिख कर दिया है वह ठीक नहीं है। इस तरह से मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। यह ढंग ठीक नहीं ह जो आपने अख्तियार किया है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

उन्होंने सरकार को लिखा है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—
श्रीमन्, यह पूछ लें नाराज होने से पहले कि दोनों आदमी सीरियस हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग—
आप सरकार से कहिये कि वह सदन को बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
म आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं। आप कैसे वकील हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे लज्जा है कि कोई ऐसा भी वकील है जो मामूली बात नहीं समझ सकता है। मैं इसको बिल्कुल पसन्द नहीं करता हूं। मैं चुनौती देता हूं कि आपके पास एक भी तर्क नहीं है और यह तरीका नहीं है कि इस तरह से सदन का समय नष्ट करें। मैं यह कहता हूं कि सही भी मामला है तो आपने ठीक लिख कर दिया होता। 56 में लिखने का ढंग नहीं मालूम है तो हम कैसे बतायें।

(व्यवधान)

1974–75 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—
मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। इसमें दो सम्मति नहीं हैं। चाहे विरोधी पक्ष हो या सरकारी पक्ष हो कि देश और प्रदेश की स्थिति बड़ी गम्भीर है और सरकार अपनी ओर से यह कहा करती है कि इस गम्भीर स्थिति का मुकाबला करने के लिए आप हमारा साथ दीजिये और यह भी कहती है कि कमर कसे रहो। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पिछली चार योजनाओं से कमर कसते कसते उसके टूटने की स्थिति आ गई है। अनेक बार आपने इस सदन में सुना कि चार योजनाओं के बाद भी हमारे देश म अन्न की तंगी हो रही ह। आज सारे देश में अशान्ति व्याप्त ह। इसका मूल्यांकन किया जाय और इसके परिप्रेक्ष्य में सरकार जो उचित समझती है और जो कदम उठाना चाहती ह वह उठाये। हमारे और सरकार के विचार में एक और मतभेद है कि हम भूखे नंगों का प्रतिनिधित्व करते ह इस सरकार क सामने। मान्यवर, हेलीकाप्टर पर चलने वाले राजा महाराजा मंत्री बन कर आज उधर बठे हैं। धैर्य रखिए। तो मैं कहता हूं कि आज स्थिति है। ये इनवेस्टमेंट से आंकते हैं अपनी उपलब्धियों को और जनता पर क्या भागती है इनको कुछ पता नहीं है।

पिछली 4 योजनाओं में जब जब ये बजट लेकर आये और हमसे अनुदान मांगा हमन अनुदान दिया। मान्यवर, स्थिति क्या थी। पिछली 4 योजनाओं में 1952 में 1974 तक हमन इनको लगभग 27 अरब 25 करोड़ रुपया खर्च करन क लिए दिया ह। आज जब हम हिसाब लगाते हैं तो उनका खर्चा 50 और 51 क मूल्यों पर 375 रुपया आता ह। आय है 350 रुपये की। अब इसके बाद हमें परिणाम निकालना है कि लगभग 25–26 वर्षों से इन्तजार करने के बाद हमारी आमदनी 350 रुपया हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश की 70 फीसदी जनता जो 35 पैसे प्रति दिन पर अपना जीवन निर्वाह करती है। उत्तर प्रदेश में 70 फीसदी लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं के बाद भी दोनों जून भाजन नहीं कर सकते हैं। इन चार योजनाओं का यह परिणाम है। ऐसा क्यों हुआ? इसका परिणाम क्या होगा? जैसा मैंने कहा आज दरिद्रता इतना गम्भीर रूप धारण कर चुकी है, भुखमरी दिन दूना बढ़ रही है और

---

†18 जून, 1974 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेकारी के बारे में मुझे कुछ सबूत नहीं देना है। इनके मोहन धारिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इन चार योजनाओं के परिणामस्वरूप गरीब और अमीर की खाई बढ़ी है। आज कीमत किस तरह से बढ़ रही है इसकी चर्चा इस सदन में काफी हो चुकी है।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये अपनी अर्थ व्यवस्था में कृषि को प्राथमिकता दिए होते तो परिणामों में अन्तर अवश्य आया होता। ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग का जाल बिछाया गया होता और धन गांव तक पहुंचा होता तो निश्चय ही स्थिति म सुधार हुआ होता। इन्हें एग्रो इन्डस्ट्रीज बेच दनी थी। इन्हें योजनाओं के साथ ही साथ मूल्यों में स्थायीकरण करने का प्रयास करना था। अगर ये सब बातें की गयी होतो तो मुझे निश्चित रूप से यह विश्वास था कि जो भयावह परिणाम होने वाले हैं वह न होते। हम भूखे नंगों का प्रतिनिधित्व आपके सामने करते हैं। यह मखौल की चीज है। मखौल की चीज आप बनाते हैं। आपके हाथ में शासन ह, आपके हाथ में सत्ता ह आप जो चाह कर लें। अभी मैं आपक सामन उसका उदाहरण रखता हूं। तो मैंने कहा कि अगर सरकार का ध्यान इन बातों की ओर गया होता तो परिणामों में अन्तर होता।

मान्यवर, पांचवीं योजना का श्रीगणेश होने वाला है। इसके पहले चुनाव हो गये और आप सत्ता में लौट कर आये। डिफेक्टिव इलेक्टोरेल सिस्टम के कारण आपको 150 आना चाहिए था लेकिन आये 215। आप मेजारिटी में हो गये। लेकिन सारी जनता ने इस बार दो पक्ष माने--एक विरोधी पक्ष और दूसरा सरकारी पक्ष। आज उसने आपको अस्वीकार कर दिया। जनता के 32 परसेंट वोट आपको मिले। सारी चीजें चल रही हैं। तो मैं कहता हूं कि आज 150 होना चाहिए था लेकिन 215.....। तो आज 68 फीसदी पर आप राज्य कर रह हैं लेकिन कर नहीं पायेंगे। आप को भय है। आप को यही भय है जो बिहार में हुआ, गुजरात म हुआ। तो पांचवीं योजना तो आपको चलानी है तो टैक्स तो लगायगे ही आप। कोई चीज हमारे नता विरोधी दल न छोड़ी नहीं इसलिए मैं बहुत ही मुख्य-मुख्य अपनी बात कहूंगा। मैं अधिकांश बातों से उनस सहमत हूं। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि...

मुख्य मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---

एक ही पार्टी बना लीजिए तो आराम और रहेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, मंत्री की स्थिति है वह हम नहीं करना चाहते हैं, जो कांग्रेस कर रही है। इससे तो शर्म से सिर झुक जाता है कि साम्यवादियों को लेकर गवर्नमट बनी। वही साम्यवादियों को लेकर सरकार बनी और वह गिर गई। हमें अवसर आयेगा तो हम मिल जायग। अगर हमने एसी खिचड़ी सरकार बनाकर चलाने का प्रयास किया होता तो हम अब तक छोड़ दिये होते। तो मान्यवर, जब पांचवीं योजना आयी जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा कि चौधरी साहब न बहुत सी बात कह दीं। अब पांचवीं योजना आई तो सरकार का साथ जनता देने वाली नहीं। तो सरकार ने क्या सोचा कि हम पुलिस के बल पर चलायग सरकार क्योंकि शक्ति है। हमें दुःख तो एक साम्यवादी भाई से है क्योंकि वह भी उनक साथ ह। हो सकता ह कि वह अपने मतलब से हों।

मान्यवर, 1967-68 का मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक कहता हूं। 1967-68 में पुलिस का बजट था 21 करोड़ 50 लाख, 71-72 में 28 करोड़, 72-73 में 34 करोड़, 73-74 में 42 करोड़ 50 लाख। यह जो पुलिस का बजट हमारे सामने आ ेगा तो मैं पुलिस के बारे में बात करूंगा। आपने पुलिस के बल पर योजना चलाने के लिए ही इतना भारी आपने बजट बनाया। पुलिस में आपने जो कुछ सुधार किया या नहीं किया या क्या किया यह तो हम उस समय बात करेंगे जब पुलिस का बजट आयेगा। लेकिन हमें आपकी नेक नियती में सन्देह है। अब योजनाओं में क्या किया मान्यवर, आज इस कांग्रस की पिछली 20-22 वर्षों

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

की नीतियों में और इन प्लान्स में यह स्थिति कांग्रेस की देन है। ये हमारे कांग्रेस भाई कलाबाज हैं। कलाबाज कहता हूं मान्यवर, और कुछ नहीं कहता हूं। एक जमाना था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो मैं यह कहता हूं मान्यवर, कि इनकी कला यह है कि दो हिस्सों में बांट दें। आज इन्होंने एक प्रतिमा रख दी हमारे सामने जो 26 दर्जे वाला जो मोहन धारिया जी के मुताबिक और आज एक नीचे से नीचे है आज समाज के सामने एक फेनामना ला दिया समाज के सामने इतना जबरदस्त, अट्टालिकाओं में बैठे हुए जो नीचे घर से निकल नहीं पाता है वह देखता है मनुष्य का हृदय...

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

तो मैं इनके लिए कनपटीमार शब्द का प्रयोग करना उचित समझता हूं। हीरोज हैव विकम नीरोज। टैक्स लगा भी लेकिन उसमें भी कला है। वित्त विभाग के जो लोग हैं वे भी बड़े निपुण तो हैं ही। टैक्सों के बारे में जितना भी विरोध किया जाय उतना कम है। कहा गया कि ये टैक्सेज हैं। लेकिन अगर वे अमीर पर असर डालते हैं तो निसन्देह गरीब पर भी उसका असर पड़ता है चाहे वह रोड टक्स हो, बिक्री कर टैक्स हो, आबकारी टैक्स हो मनोरंजन कर हो। कोई भी टैक्स हो चाहे वह अपरोक्ष कर हो सब का असर गरीबों के ऊपर पड़ता है। अपने चुनावों में कांग्रेस ने कहा और बहिन इन्दिरा गांधी भी कहती हैं कि ऊपर से अगर नीचे तक एक पार्टी रहेगी तो रुपया मिलने में सहयोग मिलेगा, केन्द्र से ज्यादा रुपया मिलेगा। लेकिन केन्द्र ने इन्कार कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले वर्षों से 32 प्रतिशत कम हो गया और कहा गया कि आप अपने संसाधन जुटायें। अब आपको तो पब्लिक के पास जाने के लिए 5 वर्ष में मौका मिलेगा। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, उनको 5 वर्ष के बाद अपना वायदा याद आता है। तो उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा है कि तुम अपने संसाधन जुटाओ तो इन्होंने अपने संसाधन जुटाने के लिए टैक्स लगा दिए। कैसे हमारी आंख में धूल झोंकी जाती है। बजट में प्राप्तियां कम दिखायी जाती हैं जब कि वे वास्तव में ज्यादा हो जाती हैं। 1972-73 में ये 509 करोड़ 90 लाख रुपया दिखाया गया लेकिन वास्तव में हुयीं 578 करोड़ 79 लाख और 1974 में 658 करोड़ लेकिन जब मैं यह समझता हूं कि ये निराधार हैं। एक राइट इन्होंने हम से ले लिया है 12 प्रतिशत तक बिक्री कर ये बढ़ाते जाते हैं, तो इसमें इनको खुली छट है। खर्चा अपना कम नहीं किया। कभी नहीं ये कहते कि हम अपने एक्सपेन्सेज, गवर्नमेंटल एक्सपेंसेज कम करेंगे। अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, गवर्नमेंटल एक्सपेंडीचर कम करो। लेकिन गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। नौन प्लान का एक्सपेन्डीचर 14 प्रतिशत है जब कि उत्तर प्रदेश की इन्कम 1 1/2 परसेन्ट ह। सरकार कीमतें रोक नहीं पाती है। संकट इस प्रदेश पर इतना है कि आवाहन किया जाता है कि कमर कसो, हमारा साथ दो, इसलिए मैंने इनके लिए कनपटी मार का शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से वह आदमी की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर बड़ा प्रसन्न होती है, इसी प्रसार ये जनता पर, जिसे कन्ट्रोल का कपड़ा नहीं मिलता ह, नंगे रहते हैं खाने को नहीं मिलता है, टैक्स लगा कर, जिसका कोई औचित्य नहीं है, खश होते हैं। तो मुझे केवल कनपटीमार शब्द को दोहराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता है।

श्रीमन्, खाद्य स्थिति के बारे में भी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। खाद्य की स्थिति आज हमारे प्रदेश में बड़ी ही विस्फोटक है, बड़ी ही एक्सप्लोसिव है। सदन में इसके बारे में अनेक चर्चायें भी हुयी, उनके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री ने आज सदन में कहा कि उन्होंने मेरठ में सस्ते गल्ले की दुकानें खोल दी हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 27-28 जिलों को छोड़ दिया है। पता नहीं उनमें मेरठ है या नहीं है। लेकिन अगर उन 28 जिलों में मेरठ एक जिला है तो आपका कल्कुलेशन कैसा! अगर ह तो आपके अधिकारी कसे! आपने कहा था कि 1 करोड़ 28

लाख को हम सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन देंगे। और जो बाकी 70 फीसदी गरीबी के स्तर से नीचे रहते हैं, जिनकी हड्डियां दिखायी देती हैं, जो इमेशियेटेड हैं, न्युट्रिशन शब्द को जिन्होंने सुना नहीं है, जिनके बीबी बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं उनका क्या होगा ? आपने तो कह दिया कि उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मान्यवर, यह कांग्रेसी हृदय ही बर्दाश्त कर सकता है दूसरा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। आपने अभी डेढ़ करोड़ का राशन काट दिया। इनको किस के भरोसे छोड़ा ! जिनका राशन काट लिया उनको भी और जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको भी खुले बाजार में शीर्षकों के भरोसे छोड़ दिया। क्या स्थिति होगी ! जैसे किसी के शरीर में रोग पैदा करने वाला हो और एक फुन्सी हो जाय, उसको वह खुजला दे और यह समझे कि अच्छी हो जायगी लेकिन वह बढ़ कर कारबंकल का रूप धारण कर ले। यह मेरठ की स्थिति है। यही स्थिति सारे उत्तर प्रदेश की होने वाली है क्योंकि आपने नवम्बर तक की बात कही है। आप प्रबन्ध कीजिये नहीं तो यहां फूड रायट्स होंगे, कोई रोक नहीं सकता। और इस पर आपने तरीका क्या निकाला ! लेवी का। और लेवी की शर्तें क्या लगायीं ! जो छोटा किसान था, जिसने जून के पहले बेंच दिया उसको न खाद मिलेगी न बीज। गेहूं उसके पास है नहीं। खरीफ की फसल भी नहीं बो पायेगा। पिछले साल गेहूं की बोवाई कम हुई थी, इस साल उससे भी कम हुई और अगले साल और भी कम होगी। आप लेवी के नाम पर जबरदस्ती छापा मार कर दुःख दे रहे हैं। आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आयन्दा भी कोई नहीं बोयेगा। फूड रायट्स तो होंगे ही। तो नवम्बर की तिथि जो आपने रखी है उसको एक्सटेंड करिये। खरीफ की फसल भी अच्छी नहीं होने जा रही है। आप बरी नहीं होंगे इस दोष से अगर इस प्रदेश में वही स्थिति हुई जो आज दूसरे प्रदेशों में हो रही है। आप खुले बाजार में जाकर खरीदते, आप लेवी समाप्त करते और उनको प्रोत्साहक मूल्य देते चीजों के दाम आप नीचे चले आते। लेकिन आपने इसको गलत समझा इसीलिये कोई सवाल नहीं किया।

इसी से अटैच्ड है कृषि नीति। उसके बारे में हमारे माननीय चौधरी साहब एक्सपर्ट हैं। आपकी हरित क्रान्ति का भंडाफोड़ हो गया। दि मिथ हैज एक्सप्लोडेड। मैं कहता हूं कि अगर इससे किसी को लाभ पहुंचा है तो मासेज को नहीं बल्कि कुछ बड़े फार्म-होल्डर्स को ही लाभ पहुंचा है जो आपकी पार्टी में आयेंगे क्योंकि आप ही से उनका इन्टरस्ट सुरक्षित रहेगा, और किसी पार्टी में उनका इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। वही आपके यहां भरे पड़े हैं और इसीलिये आप कहते हैं कि आप सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बड़े फार्मर्स को लाभ हुआ लेकिन जो 70 फीसदी अनएकोनामिक होल्डिंग्ज हैं इनके लिये आपने क्या किया? क्या इससे भी बड़ा प्रमाण आप चाहते हैं कि उस 70 फीसदी के पास खाने को नहीं है। आपकी कृषि नीति फेल हो गयी क्योंकि आपने कृषि को अपने अर्थ व्यवस्था की धुरी नहीं माना। आपने उसको योजना में प्रधानता नहीं दी, सिंचाई का प्रबन्ध नहीं किया। आपने इस वर्ष थोड़ा सा रुपया कृषि पर बढ़ा दिया है लेकिन मुझे सन्तोष नहीं है। हम तो उपलब्धियों से ही आंकेंगे। यह आपकी उपलब्धियां लाभकर नहीं हो पा रही हैं।

खाद के भाव आपने दूने कर दिये और बीज स्मगलिंग करा रहे हैं। नेता लोग बड़े-बड़े शामिल हैं स्मगलिंग में, कल-परसों ऐडजर्नमेंट मोशन आया था कम्युनिस्टों की तरफ से। आज हालत यह है कि "पोलिटिकल लाइफ हैज कम्पलीटली बीन करप्टेड ऐंड सो दि ब्यूरोक्रेसी ऐज ए रिजल्ट"। मैं सारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं कहूंगा, अच्छे भी लोग हैं उसमें। आज बीज बोने को कौन कहे खाने को नहीं है और बीज बाहर जा रहा है। मैं लेवी के लिए कहता हूं कि देहात में घूमिये, हैलीकाप्टर से मत घूमिये। उससे टेरेलीन नजर आता है, छिदा बदन नजर नहीं आता, खालीपन नजर नहीं आता। किसानों को सबसिडाइज्ड खाद दीजिये। अपनी फिजूलखर्ची बन्द कीजिये, गवर्नमेंटल एक्सपेंडीचर को कम कीजिये, आपने कहीं कम नहीं किया। आप कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गयी, अधिकारियों की बढ़ गयी, वह किसकी देन है ! वह आप की ही देन है। क्यों नहीं उनकी तनख्वाह को आपने प्राइस इंडेक्स से लिंक-अप किया। वह नहीं चाहते ज्यादा रुपया। उनको तो 4 सेर का

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

गेहूं चाहिए जो पहले मिलता था, वह मिलना चाहिए। उनको कपड़ा चाहिए। कौन आपका रुपया खायेगा? रुपया आपको चाहिए जो अपने इलेक्शन फंड में जमा करना चाहते हैं। अगर आप गरीब किसान को वास्तव में सुखी बनाना चाहते हैं तो वही बढ़िया मार्केट बनायेगा। सब्सिडाइज्ड रेट पर उसे खाद मिलेगी, अच्छा बीज और सस्ता पानी मिलेगा तो नाना प्रकार के सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स जो आप लगाते हैं उसके रूप में आपके काफर्स में पैसा किसान के जरिये आयेगा और आपकी ट्रेजरी में पैसे जायेंगे। इसलिए आप उसको इग्नोर मत कीजिये। खाद यहां सबसे महंगी मिलती है, पानी समय से नहीं मिलता। ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मामला है, आप कोई चीज तय कीजिये कि इतने कुएं बनाने हैं, इतने हजार बनवा दीजिये। आपने माइनर इरिगेशन का कोई इन्तजाम नहीं किया, नीति शुरू से ही आपकी गलत ह, और पुराने सिस्टम को समाप्त कर दिया ह।

आज बिजली की क्या हालत है? लखनऊ मालूम होता है अखाड़ा है, दिल्ली अखाड़ा है। सिनेमा में आपके कभी बिजली को कमी नहीं होती और कैबरे डांसेज जहां होते हैं वहां कमी नहीं होती, लेकिन ट्यूबवेल्स और लैंगुईशिंग! तो उसको भी कम करिये जहां जरूरत नहीं है।

पानी की हालत यह है कि पहले एक रुपये का 60 थाउजेंड लिटर्स आप देते थे, अब आपने उसे 1/10 कर दिया, 6 थाउजेंड देते हैं। तो आप उनको सस्ती खाद, सस्ता बीज और सस्ता पानी दीजिये और एक वर्ष इन्तजार कीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

सिनेमा और कैबरे डांस में नहीं करवाता। आप आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, बार-बार 'आप' आप' कहते हैं। मैंने ऐसी गलती नहीं की।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह भी नहीं कहता कि आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके द्वारा ही कहता हूं। यह तो खाद के बारे में कहा। जो उत्पादन बढ़ाने की बात है, इंडस्ट्रीज की उसकी क्या हालत है! औद्योगिक वाणिज्य समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश का। औद्योगिक उत्पादन तो कुंठित हो गया था, वातावरण भी उसका समाप्त हो गया क्योंकि उसको कोई आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होती, कोई पावर नहीं मिलती, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। इंडस्ट्री भी चली गयी। इन्डस्ट्री के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। जो इस बारे में मेरे दल की नीति है वह मैं कई बार यहां कह चुका हूं। एग्रो इन्डस्ट्रीज को गांव गांव में फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। जिन बसिक इन्डस्ट्रीज को सरकार द्वारा चलाना हितकर हो, उनको सरकार अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन प्राइवेट इन्डस्ट्री वालों को भी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिये। आपने शुगर इन्डस्ट्री को नेशनालाइज करने का नारा दिया, क्या हुआ उसका? उसको भी आपने समाप्त कर दिया। आज जरवल रोड वाली मिल बन्द होने जा रही है, चारों ओर वहां हाहाकार मचा हुआ है। औद्योगिक वातावरण का भविष्य आपने अन्धकारमय बना दिया है। उत्तर प्रदेश में बैंक में जो डिपाजिट हुआ वह 13 परसेंट हुआ और कर्जा लिया गया 9 परसेंट। यह बताता है कि आपका औद्योगीकरण कितना गलत हो रहा ह। सारी इन्डस्ट्रियल सिचुएशन एक तरह स डांवाडोल है। क्या सरकार इस जिम्मेदारी से विमुक्त हो सकती ह?

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

(सदनमें कुछ बत्तियां बुझ जाने पर) श्रीमन्, स सरकार का चिराग गुल क्यों हो गया है?

श्री अधिष्ठाता—

सरकार का चिराग गुल नहीं है, सदन में काफी काश आ रहा है। (हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
पंचवर्षीय योजना के बावजूद बिजली का उत्पादन बराबर घटता गया है।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--
मान्यवर, माननीय कुंवर साहब को दिन में चिराग दिखायी नहीं देता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि आखिर बिजली कम क्यों हो गयी ? इसके लिये कौन दोषी है ? माननीय बहुगुणा जी ने आते ही, पहले ही दिन आर्डर दे दिया कि उत्पादन बढ़ना चाहिये। बढ़ा जरूर होगा, मगर कागज पर और वह भी 10–5 दिन। फिर वह भी घटने लगा होगा। आज तो इतनी कम बिजली हो गयी कि तमाम कारखाने बन्द हो गये ह, नलकूप बन्द हो गये हैं, रोपाई का काम भी अभी नहीं हो पाया है, जितना संकट आज है बिजली न होने के कारण, उतना पहले कभी देखने में नहीं आया। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1600 मेगावाट की हमारी क्षमता थी, मगर वह भी घटकर 850 मेगावाट ही रह गयी। आखिर पूरा उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है ? पब्लिक अन्डरटेकिंग्स तो बढ़ती जा रही है, मगर बिजली का उत्पादन घटता जा रहा है। घनानन्द कमेटी ने बिजली की चोरी के लिये कुछ सुझाव दिये थे। क्या आपने उनको माना है ? उन पर कोई अमल किया है ? आज 3 करोड़ रुपया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बकाया है, क्यों वसूल नहीं हो रहा है ? आज सारे देश की आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने लपटा बना दिया है, उसको चौपट कर दिया है। माननीय बहुगुणा जी ने एक दिन कहा था कि मुझे तो यह विरासत में मिली है, विरासत में तो आपको और बहुत सी चीजें मिली थीं, वे सब कहां चली गयीं .....

श्री अधिष्ठाता--
आपका समय अब समाप्त हो गया है। आप 30 मिनट बोल चुके हैं .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
कल मुझे एक घंटा देने के लिये मैंने कहा था। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि देखा जायेगा .....

श्री अधिष्ठाता--
अध्यक्ष जी ने 30 मिनट का ही समय आपके लिये रखा था, यह समाप्त हो गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
आप देखें लें श्रीमन्, वैसे आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मगर मुझे एक घंटा मिलना चाहिये। कल भी मैंने खड़े होकर यही कहा था।

श्री अधिष्ठाता--
यह निश्चय हुआ कि नेता विरोधी दल के भाषण के लिये कोई समय सीमा नहीं होगी। अन्य दलों के नेताओं के लिये 30 मिनट तथा सदस्यों को 10–10 मिनट समय दिया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
मान्यवर, समय बहुत कम है कम से कम 1 घंटा तो मिलना ही चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--
आप कितने समय तक और बोलना चाहते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
मान्यवर, 20 मिनट या आधा घंटा और मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपको 15 मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकार ने इतने कारपोरेशन्स बना दिये, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिये। आपका जितना डेवलपमेंट हुआ सब अन-बैलेंस्ड डेवलपमेंट हुआ। एक कारपोरेशन बना कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आपको भागना नहीं चाहिये। आपको इन सब से अनुभव लेना चाहिये। इलेट्रिक सिटी बोर्ड से, एग्रो से, मिल्क बोर्ड से, आपको अनुभव लेना चाहिये। पर आप अनुभव नहीं ले रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं मेरी विनम्र प्रार्थना है मुख्य मंत्री जी ध्यान अवश्य देंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर इशारा करना चाहता हूं। मैंने अनेक अखबारों में पढ़ा। यह प्रदेश खड्ड में गिरता चला जा रहा है। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक देखने का प्रयास किया मैं कुछ सुझाव के रूप में कहता हूं। अभी तक यहां सरकार पूरी गठित नहीं हुयी है। अभी सरकार पूरी गठित नहीं हो पायी है। मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री के पास अनेक विभाग हैं। इन विभागों की वजह से हमारे मुख्य मंत्री पर बड़ा बोझ पड़ता होगा। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मान्यवर, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बलिंग हो रहा है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा रहा है, अस्त-व्यस्त हो रहा है। इसलिये कह रहा हूं आप मेरी बात का जवाब दीजियेगा।

दूसरी बात मान्यवर, जो मुख्य मंत्री का सचिवालय है, चूंकि यहां व्यक्ति बाहर के हैं वे मुख्य मंत्री अपने साथ लाये थे क्योंकि इस पूरे उत्तर प्रदेश में उनको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिस पर कि वह विश्वास कर सकते। यह तो उचित ही है कि आदमी में सत्यता होनी चाहिये, इन्टेग्रिटी होनी चाहिये। आदमी ऐसे होने चाहिये कि जिन पर शंका न की जा सके।

दूसरी बात यह है कि आपको यह एक सूचना देना चाहता हूं कि आपके पास चार आदमी हैं, श्री एम0ए स0संत, श्री एस0आर0 कोहली, श्री हेलोन और श्री मासूम। हैलोन साहब के बारे में कहता हूं। डाइरेक्टर की फाइल देखें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि कोई आदमी जो यहां सदन में अपना जवाब देने का अधिकार नहीं रखता है उसका नाम न लिया जाय तो ज्यादा न्यायपूर्ण होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो मैं कह रहा था कि ये जो चारों आदमी आपके हैं सिफारिश करते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि एक सिनेटरी इन्सपेक्टर के बारे में मेडिकल डाइरेक्टर से सिफारिश की है। इन सब बातों का जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि सारी सर्विसेज में घोर असंतोष है। दूसरी बात आजतक अधिकारियों की पदोन्नति मेरिट के आधार पर नहीं हो रही है बल्कि सिफारिश के आधार पर होती है। अधिकारियों का रेकार्ड ठीक नहीं है, इन्टेग्रिटी ठीक नहीं है परन्तु फिर भी सिफारिश के आधार पर पदोन्नति हो रही है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज जहां विरोधी पक्ष का कंफलिक्ट है वहां सरकार सीधे इन्टरफियरेंस करती है। मुख्य मंत्री जी, मैं एक आगरा जिले की घटना का जिक्र करता हूं और शायद उससे संबंधित व्यक्ति कल आपसे मिले भी होंगे। आगरा की घटना यह है कि एक व्यक्ति ने एक दुकान लूट लिया और उसमें वह व्यक्ति गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके ऊपर 142 तथा 147 की दफायें लागू की गईं। मुझे उस व्यक्ति के संबंध में जानकारी एक हमारे आगरा जिले के विधायक मित्र द्वारा मालूम हुई। जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसने पब्लिक से कहा कि हम अभी छोड़ दिये जायेंगे

तुम मुझे बेकार में गिरफ्तार करवा रहे हो । और फिर रात में मुख्य मंत्री जी का टेलीफोन वहां गया और प्रातः ही वह व्यक्ति छोड़ दिया गया । उसकी कोई इन्क्वारी नहीं हुई । मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात सही है कि नहीं । इस प्रकार यह बात पोलिटिकल इंटरफिरेंस की है । यहां मैंने यह एक उदाहरण दिया है इसी प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं । दूसरे कागज मुझे नहीं मिल रहे हैं इसलिये अब मैं एक ही उदाहरण देकर आगे चलता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

गलत बात होगी तो कागज मिलेगा ही नहीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इस प्रकार आजकल जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वे सब डिमोरलाइज हो गये हैं । वह व्यक्ति कई बार पकड़ा गया, दुकान लूटना, मार-पीट करना आदि उसका धंधा है । परन्तु पकड़ने के बावजूद भी उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाता है ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पी0सी0एस0 की लिस्ट जनवरी माह में बनी थी उसके आधार पर पदोन्नति की जायेगी परन्तु जिनकी सेवायें 25 साल की हो गई हैं और वे सीनियारिटी लिस्ट में नीचे हैं तो उनकी पदोन्नति नहीं होगी और जो नये-नये पी0सी0एस0 हैं जिनकी सेवायें 10 साल भी नहीं हुई हैं उनको पदोन्नत करके जिले का कलेक्टर बना दिया जाता है । इसका परिणाम यह होगा कि उनमें पुराने अधिकारियों के बराबर अनुभव नहीं होगा परिणामस्वरूप प्रशासन में इफीशियन्सी नहीं आ सकती है ।

करप्शन की बात मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अगर कोई मंत्री करप्शन करने पर बरखास्त हो जाय और पुनः वह मंत्री पद पर आ जाय तो मैं करप्शन के बारे में क्या बात करूं, क्योंकि इस पर कोई जोर नहीं है । तो हम करप्शन की बात अधिकारी और अर्दली के प्रति कैसे करें कि वह पैसे न लें और मंत्री लोग करप्शन करें । एक और मुझे सूचना मिली है कि श्री अशरफ अली को जिला परिषद् में नामिनेट कर दिया गया है । मैं तो कहता हूं इसको बतायें कि यह सही है या गलत ? पोलिटिकल लाइफ, पब्लिक लाइफ और आफीसस लाइफ सही हो सकती हैं । मैं इलेक्शन फंड की बात नहीं करता जो कि कबूल किया गया है । मान्यवर, इस पिछले इलेक्शन में जितना मौरल वैल्यूज लास हुआ है उतना कभी नहीं हुआ तो इन शब्दों के साथ मैं इस बात का सपोर्ट करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन लड़खड़ा रहा है ।

बहुगुणा जी ने प्रेस के बारे में कह दिया । मैं तो कोई बात ऐसी कहता नहीं, बयान देता नहीं कि प्रेस में छप जाय । लेकिन इतना कहूंगा कि अगर किसी ने इसको काबू किया है तो वह कांग्रेस की जादूगरी है । मान्यवर, चाहे न्यूज प्रिंट हो, किसी को पैसे देने हों चाहे कुछ करना हो कमाल किया है कांग्रेस नें लेकिन कांग्रेस के बारे में अभी ब्लिटज में निकला कि शुगर वालों से 10 लाख रुपया लिया, मैं उसकी बात नहीं करता जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कबूल किया, मनुभाई ने कहा, डालडा की कीमत क्यों बढ़ी, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा । यह तो समझने वाली बात है ।

श्री अधिष्ठाता---

बढ़ा हुआ समय आपका समाप्त हो रहा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह लोग कहते ह कि पावर कम्स थ्रू बैरेल आफ गन लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सूचना के लिये कहूंगा कि वाइलेंस कम्स थ्रू बैरेल आफ फ्रस्ट्रेशन । जिस प्रदेश में सामाजिक न्याय न मिले, मैं पुनः दुहराता हूं । जिस प्रदेश में गरीबों के लिये न्याय मंहगा हो, खेती के लिये ट्यूबवेल सूख रहे हों, जहां शासक हेलीकोप्टर पर उड़ता हो, दूसरी तरफ लोग झुग्गी और झोपड़ी में रहते हों, जहां गरीबी और अमीरी में इतना फर्क हो, जहां

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

दवाओं का अभाव हो, अस्पतालों में मरीजों के लिये बेड्स न हों, जहां 21 प्रतिशत लिटरेसी हो, जहां न्याय मंहगा हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप संभालिये । कहीं ऐसा न हो कि असंतोष भड़क उठे । प्लान न बनाते जाइये जिस तरह से एक शेर ने एक चूहे से कहा कि शेर सो रहा था, उठा, देखा चूहा, पूछा क्या चाहते हो ? बोला गरीब हूं और भूखा हूं । उसने कहा कि ठहरो प्लान बनाकर तुमको बड़ा किया जायेगा । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लान बनाकर उन गरीब और कंगालों को इस स्थिति में मत लाइये कि उनके असंतोष की अग्नि भड़क उठे, और एक ऐसा समय आयेगा कि वह अग्नि का विस्फोट होगा, परिस्थिति इस समय गम्भीर है । सभी अखबार कह रहे हैं कि परिस्थिति गम्भीर है । सभी संकेत कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कह देता हूं दूसरे नहीं कह पाते । मैं यह नेकनियती से आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिये । ताज्जुब नहीं कि जो असंतोष, जो फ्रस्टेशन फैल रहा है वह इतना बढ़ जाय कि आपके संभाले न संभले । जो स्थिति आ चुकी है उसको ज्यादा मत बढ़ाइये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)---

अधिष्ठाता जी, इस बजट के संबंध में मैं कुछ कहूं मैं बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की उपेक्षा संपूर्ण भारत के पैमाने पर हो रही है । हमारे कांग्रेसी भाई कभी कभी कहा करते हैं गौरव के साथ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने हिन्दुस्तान को प्रधान मंत्री दिये तो मैं कहना चाहता हूं कि वहीं पर पूर्वी उत्तर प्रदेश ने सम्पूर्ण देश की जनता को कुली दिये, बोरी ढोने वाले दिये और बम्बई, कलकत्ता में रिक्शा चलाने वाले दिये । जिस तरह से केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करती है उसी तरह से यहां उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करती है । महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब के मुकाबले में केन्द्र ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की । पंजाब और महाराष्ट्र में औसत आमदनी 700 रु0 और उत्तर प्रदेश में 400 रु0; उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की आमदनी 250 रुपया । इस प्रकार जहां एक तरफ केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की । मैं बतलाना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत समाचार-पत्र के अन्दर एक कार्टून निकला था। उस कार्टून के अन्दर दिखाया गया था कि एक गदहे पर तराई से टैक्स का रुपया लादा गया है । वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री पहाड़ की चढ़ाई पर से गदहे की रस्सी पकड़ कर खींच रहे हैं और पहाड़ पर ले जा रहे हैं । वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री पहाड़ में विभिन्न निगमों के नाम पर पैसा ले जा रहे हैं लेकिन आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये कोई योजना नहीं है । यहां का आदमी बम्बई और कलकत्ता की तरफ भाग रहा है । जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है उसके कारण यहां की पर कैपिटा इंकम सबसे कम है । पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करके आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी । बंगला देश की मिसाल सामने है । वहां भी यही डिफरेंस था । पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे थे । यही कारण था कि वहां विद्रोह हुआ । पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ उपेक्षा की जो नीति बरती जा रही है तो वहां की जनता इसको बरदाश्त नहीं करेगी और किसी भी दिन वहां की स्थिति आपकी सरकार के लिये विस्फोटक साबित होगी जिस तरह से बंगला देश पाकिस्तान के लिये हुआ । आपने बेकारी की समस्या मिटाने के लिये कहा है कि केंद्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत बेकारी मिटाने की योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत 5 करोड़ 89 लाख रुपया मिला और आपने लिखा है कि 46,837 लोगों को रोजगार मिला । आपकी योजना यह नहीं थी बल्कि यह भी केंद्र से मिले रुपये पर आधारित योजना था । हिन्दुस्तान के अन्दर 11 करोड़ परिवार हैं । अगर एक परिवार में से एक आदमी बेकार है तो इस प्रकार यह संख्या 11 करोड़ होती है । सरकार की रिपोर्ट है कि 4 करोड़ 90 लाख बेकार

है । अगर इसी हिसाब से बेकारी की समस्या मिटनी है तो 98 साल में पूरे हिन्दुस्तान की बेकारी को मिटा सकेंगे । यदि 1 वर्ष में 5 लाख लोगों को काम देने की जैसी सरकारी योजना है इसलिये आप केन्द्रीय सरकार से अलग हटकर आप उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बेकारी की समस्या है, उसको दूर करने के लिये कोई योजना बनायें ताकि जो पढ़े-लिखे बेकार नौजवान चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार की तरफ जा रहे हैं, उसके लिये उत्तर प्रदेश कलंकित न हो ।

जहां तक अस्पतालों की बात है, आपने बड़े-बड़े लोगों के लिये, विधायकों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के लिये तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन देहात के लिये एक नये पैसे की दवा भी प्रति व्यक्ति नहीं आती । गरीबों के लिये दवा की कोई व्यवस्था नहीं है ।

मान्यवर, आपके बजट नोट के अन्दर हर जगह केवल पहाड़ की बात की गयी है । सड़क और पुल अब केवल पहाड़ों में बनेंगे । हमारे आजमगढ़ में केवल 2 पुल और 2 सड़कें ली गयी हैं, जो पिछले साल से चल रही हैं । गोरखपुर, बस्ती और देवरिया आदि पूर्वी जिलों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । उत्तर प्रदेश से ही जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये कुछ नहीं किया । इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही प्रधान मंत्री हैं, लेकिन वह भी उत्तर प्रदेश को भूल गयी हैं । आबादी के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश के लिये अनदान कम है । हमारे वित्त मंत्री जी को पहाड़ों का बड़ा ख्याल है । अतः मेरा निवेदन है कि इस बजट को पास नहीं होना चाहिये और इसमें संशोधन होना चाहिये । वित्त मंत्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है । चूंकि मैं इस बजट से संतुष्ट नहीं हूं । इसलिये मैं इस बजट की कापी को फाड़कर आपकी तरफ फेंक रहा हूं ।

(माननीय सदस्य के द्वारा बजट की कापी फाड़कर फेंकी गयी)

श्री शिव कुमार पांडेय––

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने जिस प्रकार बजट की कापी फाड़कर फेंकी है, यह इस माननीय सदन का अवमान है ।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है, आप लिखकर भेज दें ।

श्री रामअधार––

मान्यवर, मैंने इसलिये बजट की प्रति फाड़कर फेंकी है, क्योंकि इसमें पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है और चूंकि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनकर आया हूं इसलिये मैं इसको बरदाश्त नहीं कर सका ।

कुमारी रमा (जिला अल्मोड़ा)––

मान्यवर, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है और पुल, सड़कें अब पहाड़ों पर बनेंगे, तो मैं कहना चाहती हूं कि वह इस बात को क्यों नहीं देखते कि पहाड़ कितने पिछड़े हुये हैं । माननीय सदस्य को पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की बात तो नजर में आती है लेकिन जो वाकई पिछड़े इलाके हैं, वह बात भी उनकी नजर में क्यों नहीं आती ।

श्री सलाहउद्दीन (जिला फतेहपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो 1974–75 का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह सीमित साधनों के द्वारा प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक सराहनीय कदम है । लेकिन मान्यवर, हमें खेद है कि विपक्ष बजाय उस सराहनीय कदम की प्रसन्नता करने के,

[श्री सलाहउद्दीन]

ऐसा लगता है कि हमारे अपोजीशन का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वह हमारे हर काम को आंख बंद कर अपोज करेगा, हर अच्छी चीज की आलोचना करेगा, क्रिटीसाइट करेगा । कल से आज तक जितने भी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, केवल आलोचना ही की गयी है, किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया, जो कि कन्स्ट्रक्टिव होता ।

बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार कृषि की उपेक्षा कर रही है । ऐसा लगता है अपोजीशन ने माननीय मंत्री जी के बजट का अध्ययन नहीं किया है, अगर वह ऐसा कर लेते तो शायद यह भूल न करते । जब से ये योजनायें चालू की गयी इसमें कृषि को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया लेकिन कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में उतना ही हाथ इंडस्ट्रीज का भी है जितना किसी और चीज का भी हो सकता है । इस पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता यह है कि सन् 51 से लेकर कर आज तक क्या-क्या कृषि के लिये किया गया । मान्यवर, आप यह देखें कि सिंचाई के साधनों के लिये सरकार ने जो कदम उठाया और सरकार ने देहातों में सिंचाई के लिये जो कार्य किये वह सराहना की बात है । अगर 51 से आज तक आप तुलनात्मक दृष्टि से देख तो पता चलेगा कि सरकार ने किस कदर खेती की तरफ ध्यान दिया है । 1951 में जहां पक्के कुओं की संख्या 6,24,192 थी वह बढ़ कर 12,27,262 हो गयी । इसी प्रकार पर्शियन व्हील्स जो 51 में 82 हजार थे वह अब बढ़ कर 4,23,573 हो गये । पंपिंग सेट जहां 51 में 1,124 थे वे आज बढ़ कर 1,83,135 हो गये । इसी प्रकार 51 में जहां प्राइवेट ट्यूबवल्स की संख्या 2792थी वह बढ़ कर 2,73,354 हो गयी । इसके बावजूद भी अगर यह कहा जाय कि कृषि के साधन नहीं बढ़ाये गये, कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यह मुमकिन नहीं हो सकता ।

केवल कृषि की ओर ही ध्यान दिया जाय और दूसरी तरफ कोई ध्यान न दिया जाय ऐसा नहीं किया जा सकता । शहरों में रहने वाले लोग भी हैं । इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना है, अस्पतालों का डेवलपमेंट होना है । इसके लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना है । ये चीजे एक दूसरे से को रिलेटेड हैं । कृषि की तरफ ध्यान बढ़ा कर दूसरी चीजों को नजरअन्दाज कर दिया जाय तो इससे जीवन दुखमय हो जायगा । आप देखेंगे कि इस बजट में ट्यूबवेलों के लिये दो निगमों की स्थापना भी की गयी है और उसमें हर एक के लिये 50 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । आप यह भी देखेंगे कि खाद्यान्नों के वितरण के लिये एक निगम की स्थापना की है ताकि शहरी एवं ग्रामीण जनता में खाद्यान्नों का बराबर बराबर वितरण हो सके । यह एक सराहनीय कदम है । यह भी आप देखेंगे कि अपोजीशन हर चीज से डरता है । हर एक को शक की निगाह से देखता है । शक तो यहां तक करता है कि प्रेस भी सरकार से मिला हुआ उसे लगता है । उनको अपनी बुराइयां नजर नहीं आती है । ये हर एक को बेईमान और डिस-आनेस्ट समझते हैं । शासन की अच्छाइयों को अगर अच्छाइयों के रूप में लिया जाय तो.....

एक सदस्य--

आप बजट पर बोलिये.....

श्री सलाहउद्दीन--

आप हर आदमी को बेईमान समझते हैं । इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा । यह बात सही है कि हमारे यहां का प्रशासनिक ढांचा बड़ा ढीला ढाला है । लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जो इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंन बड़ी खूबी के साथ इसको ठीक करने की कोशिश की है । कुछ चीजें जो जनता तक नहीं पहुंच रही थीं, वे अब पहुंचने लगी हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस ओर भी अपना कदम सख्त करें । आज सरकार ने चाहे वह कृषि का हो, स्वास्थ्य का हो, लघु उद्योग का हो या इन्डस्ट्रीज का हो, सभी के सम्बन्ध में साधन उपलब्ध करने की कोशिश की है । अगर हमारे यहां यहां की ब्यूरोक्रेसी ईमानदार बन जाय तो मुझे पूरा विश्वास है कि इतने ही साधनों में उद्योग

बढ़ेंगे, अच्छी आमदनी होगी तथा काफी सीमा तक बेरोजगारी दूर होगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमारी व्यूरोक्रेसी के ऊपर और कड़ी निगाह रख। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि जो बजट पेश किया गया है वह एक सराहनीय बजट है। उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सिर्फ एक पहलू पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आंकड़ों के द्वारा यह बता सकता हूं कि सन् 1873 से 1938 तक महंगाई 32 प्रतिशत बढ़ी लेकिन इन पिछले चार सालों यानी 1969 से 1974 तक 60 प्रतिशत बढ़ गई।

इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की बेकारी की समस्या पर आता हूं। हमारे प्रदेश के अन्दर 8,42,000 अनइम्प्लाइड हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और यह आपको मालूम ही है कि एक रजिस्टर्ड व्यक्ति के पीछे 10 आदमी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इस तरह से हमारे प्रदेश में डेढ़ करोड़ व्यक्ति बेकार हैं। मान्यवर, हमारे संविधान के आर्टिकिल 41 में साफ लिखा हुआ है कि

"41. The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

कहने का प्रयोजन यह है कि हमारे देश के अन्दर सरकार यह व्यवस्था करे कि जो लोग बेकार हैं उनको कुछ न कुछ भत्ता दिया जाय। यह हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ले डाउन है। हमारे यहां 3 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लिये आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। 60 लाख मकानों की इसके लिये आवश्यकता होगी। 48 हजार गांव हमारे देश में ऐसे हैं जहां कि पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ समय पहले हमारे प्लानिंग कमीशन ने बड़ी बेशर्मी से यह कह दिया कि सभी गांवों को पानी की पूर्ण व्यवस्था करने में 40 वर्ष लगेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की आबादी पूरे हिन्दुस्तान की आबादी का 17 प्रतिशत है और प्रोडक्शन में 7 प्रतिशत है। यह हाल है उत्पादन और आजादी का।

स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चर्चा होती है कि बड़े-बड़े अस्पताल खोले गये। मैं आपके सामने चेचक के आंकड़े देना चाहता हूं। चेचक से मृत्यु 1971 में 2,706, 1972 में 5,457, 1973 में 15,343 तथा 1974 में 15,946 हुई हैं। हमारी केन्द्रीय सरकार ने 3 कमेटीज बनाई थीं और हमारे मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि अभी हाल ही में जो ग्लूकोज कांड हुआ है उस सिलसिले में यहां के कंट्रोलर को बदल दिया जाय। चूंकि वे उसके स्पेशलिस्ट नहीं हैं। पिछली रिपोर्टों को सरकार ने नहीं माना, जिसकी वजह से कानपुर में 54 या 56 आदमी मरे। इसके अलावा मेरे पास एक आदमी ने लिखा है कि उसका पुत्र अस्पताल में इसी प्रकार की गड़बड़ी से मरा, लेकिन आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला है। इतना ही नहीं केन्द्र के सूचना मंत्री श्री गुजराल जी को भी इस बारे में बड़ा कड़वा अनुभव रहा है और उन्होंने उसी दृष्टिकोण से कहा है। नेशनल हेराल्ड में एक एडीटोरियल छपा है, जिसमें उनके विचारों को स्पष्ट किया गया है। उसमें यह भी लिखा है कि यू0 पी0 में डाक्टरों से नहीं पूछा जाता है कि कौन सी दवाएं दी जायें, उसके लिए वहां एक बेईमान परचेज कमेटी बना दी गई है और उसके माध्यम से दवाएं खरीदी जाती हैं।

इस भ्रष्टाचार में बड़े-बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर्स और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स शामिल हैं यह मेरा कहना नहीं है, बल्कि यह आपकी ही पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है। यह श्री गुजराल इन्फार्मेशन मिनिस्टर का कहना है। बहू की बात सास ज्यादा समझती है। फिर भी उनकी बात को इस प्रदेश की सरकार ने नहीं माना है, जबकि उन्होंने बार बार कहा है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है, उसको संभालिए, संभालिए। आज भी जहरीली

[बाबा रामनाथ]

शराब पीने से हजारों लोगों की मृत्युएं हो रही हैं। ब्लड बैंकों की जो दुर्दशा है उसका कुछ कहना ही नहीं। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बेची जाती है, वैसे ही ब्लड बैंकों में ब्लड बेचा जाता है। अनाड़ी लोग ब्लड ले लेते हैं और ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। यह सरकार हरिजनों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करती है, बड़ी उनकी हमदर्द बनती है। किन्तु आज वास्तविकता यह है कि समूचे हिन्दुस्तान में करीबन 200 हरिजन भाइयों को गोली से उड़ा दिया जाता है या नंगा करके उड़ा दिया जाता है। खासकर बांदा, बलिया, गाजीपुर में इस तरह की वारदातें प्रायः सुनने को मिल जाया करती हैं।

अब मैं भूमि व्यवस्था के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि गरीबों को भूमि मिल रही है, किन्तु मैं कहता हूं कि जिनके पास पहले थोड़ी भूमि थी भी वह भी अब छिन रही है। भूमिहीनों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। आज उनकी संख्या दो-ढ़ाई करोड़ के करीब हो गई है। ऐसी हालत में यह कहना कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, बिलकुल गलत है। इस संबंध में योजना आयोग के एक बड़े पदाधिकारी का उद्धरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं:—

Head of planning Comission task force Shri P. S. Appu says ;—

'In no sphere of public activity in our country since independence has the hiatus between preceipt and practice between policy--pronouncements and actual execution, been as great as in the domain of land reform."

इसका आशय यह है कि लैण्ड रिफार्म के संबंध में इनकी कथनी और करनी में जितना फर्क है उतना दुनियां में कहीं नहीं होगा। मेरे साथी प्रायः अमेरिका, रूस आदि देशों की बात कहा करते हैं, इस बार में मैं आपके सामने जापान का एक उद्धरण पेश करना चाहता हूं कि जापान ने 3 साल के अंदर अपने देश की भूमि समस्या को हल कर दिया। मैं उसे पेश करना चाहता हूं :—

"The experience of Japan shows that within three years (that is 1946 and 1949) the Japanese Government brought up nearly one third of all the cultivated land which had been in the hands of large cultivators or absentee owners. The land was then resold to four million tenants-families on easy terms. As a result 94 per cent of all Japanese farmers now own and cultivate their own land, the average holding is three acres."

श्री अधिष्ठाता—

आपने जो कुछ पढ़ा है, उसका हिन्दी रूपान्तर सदन को बता दीजिए।

बाबा रामनाथ—

वही बताने जा रहा हूं। यह जापान ने कर के दिखा दिया जो लोग अपनी भूमि को नहीं जोतते थे, उससे भूमि छीनकर उसे दे दी गई, जो स्वयं खेती करते थे। हमारे प्रदेश में भी बड़े-बड़े जमींदार, ताल्लेकुदार पड़े हैं, जिनके पास हजारों एकड़ भूमि बेकार, अर्द्ध बेकार पड़ी है। जापान ने केवल 3 साल में इतनी ज्यादा भूमि भूस्वामियों से खींची है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के लिये जापान का यह उदाहरण एक आदर्श उदाहरण है।

अब मैं वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है-'विश्वव्यापी अन्न संकट है'। मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट मुल्कों में न तो किसी प्रकार का अन्न का संकट है और न अर्थ का कोई संकट है। वहां आलू, दूध, चावल, डबल-रोटी आदि आवश्यक सामग्रियों के जो भाव सन् 54 में थे, वे आज भी हैं।

श्री शिव कुमार पान्डेय---

चीन में उत्पादन की हालत क्या है बता दें ।

एक सदस्य---

जितनी जोर से आप यहां बोल रहे हैं, रूस में इतनी जोर से बोलते तो गोली मार दी जाती ।

बाबा रामनाथ---

मेरे कहने का मतलब यह है कि विश्व की जगह पर पूंजीवादी विश्व लिखा जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सीधे बात चीत न करें । यह सदन की मर्यादा के विपरीत है । आप अपना भाषण जारी रखें ।

बाबा रामनाथ---

योजनाओं के संबंध में बता दूं । फर्स्ट फाइव इयर प्लान में टार्गेट से 15 परसेंट पीछे रहे । तीसरी पंचवर्षीय योजना में टार्गेट से 35 परसेंट पीछे रहे और चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 परसेंट टार्गेट भी पूरा नहीं कर पाये । आप कहते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना से बड़ी उपलब्धियां हुईं ।

आज उत्तर प्रदेश का मतलब हो गया चार जिले--कानपुर, लखनऊ, रायबरेली और इलाहाबाद । इसके अलावा बाकी जिले सब बेकार । उनके विकास की कोई जरूरत नहीं है । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मेरे जिले मैनपुरी में गेहूं सबसे ज्यादा होता है । मूंगफली सबसे ज्यादा हो सकती है, वहां तेल की फैक्ट्री लग सकती है लेकिन वह पिछड़ा जिला है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री लगानी हुई, तो कहीं इलाहाबाद में लगेगी या राय बरेली में लगेगी । इन चार जिलों के अलावा अन्य जिलों में प्रदेश का शासन कुछ नहीं है । प्रधान मंत्री आदेश कर देंगे रायबरेली में हवाई जहाज का कारखाना लग जायगा । दूसरे जिलों से कोई मतलब नहीं । 36 जिले जो पिछड़े माने गये हैं, उनमें मैनपुरी की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इन चार जिलों की तरह चार नगर भी हैं । उनमें कानपुर में डेवलपमेंट इस तरह से बढ़ रहा है कि कहीं कन्नौज से न लग जाय । विकास पूंजीवादी युग में लापसाइडेड होता है, सर्वांगीण विकास नहीं होता है । मेरा माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री को सजेशन है कि जब वह विकास की बात कहें तो कम से कम जो जिले सबसे पिछड़े हुए हैं उनकी ओर ध्यान दें ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं 1974–75 के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 1974–75 के बजट को जिस तरह से बनाया गया है, यदि बारीकी से छानबीन करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह सही दिशा में समाजवादी बजट है । जो तरक्की की दर व स्तर चौथी योजना में हासिल किया गया, 1974–75 में जो कि उसे पांचवीं योजना का पहला वर्ष है सिर्फ कायम रखा गया है बल्कि उसमें बढ़ोत्तरी की गयी है । चौथी पंचवर्षीय योजना में 965 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले करीब 1121 करोड़ रुपया खर्च हुआ । यह हमारी प्रगति का सिगनल है । इसके साथ-साथ हमने चौथी योजना में 214 लाख मीटरिक टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा था । लेकिन 1972–73 में बाढ़ के कारण और 1973–74 में कुछ जिलों में बाढ़ और सूखे के कारण 200 मीटरिक टन तक ही हमारा लक्ष्य पहुंच पाया ।

[श्री प्यारे लाल]

1974-75 में 210 लाख मीटरिक टन लक्ष्य रखा गया हैं। इस मकसद को कायग्राब बनाने के लिये फैजाबाद में नयी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, पंतनगर कैम्पस बढ़ाया जायगा व कानपुर का ऐग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट अपग्रेड होगा। दो नये ट्यूबबेल कारपोरेशन बनाये जा रहे हैं। खाद की कोआपरेटिव फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगायी जायगी। गंडक, शारदा व रामगंगा की कमांड अथारिटी बनायी गयी है ताकि उन इलाके के काश्तकारों को पानी की सुविधायें पूरे तौर से मिल सकें। कृषि की उन्नति की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

इसके साथ इंडस्ट्रीज में पांचवीं योजना में पिछली योजना के मुकाबले में दुगनी धनराशि रखी गयी है। अपनी प्रदेश की उन्नति के लिये 15 कोआपरेटिव मिलों के लिये 3 करोड़ रुपया रखा गया है। चार गन्ना शुगर मिलों के लिये प्राविधान किया गया है कि उनको शुगर कारपोरेशन लगायेगा। चमड़ा उद्योग तथापीतल के बर्तनों के उद्योग के लिये कारपोरेशन बनाने का जिक्र बजट में किया गया है। एक खास बात यह है कि मुख्तलिफ उद्योगों को सलाह देने के लिये एक कंसल्टेटिव बोर्ड की स्थापना की गई है। (व्यवधान) (मैं आप से ज्यादा जानता हूं गंगा राम जी। आप क्या जानते हैं।)

श्री अधिष्ठाता---

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग शान्त रहें। विरोधी दलों का अधिक महत्व होता है। मैं बराबर देख रहा हूं कि जब इधर के माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं तो आप लोगों को बेचैनी मालूम होती है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बजट की आलोचना की तो उनके वही रटे रटाये वाक्य थे जो वे हमेशा बोला करते हैं। प्रदेश की उन्नति के विषय में उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया खाली बजट की आलोचना की। उनका भाषण साहीन, नीरस व दिशा विहीन था। माधव बाबू ने कहा कि कांग्रेस को 150 सीट्स मिलनी चाहिये थी तो मैं माधव बाबू से पूछना चाहता हूं कि क्यों हमने 65 सीटों के लिये बेईमानी की। अगर हमें बेईमानी ही करनी होती तो 150/120 सीटों के लिये करते जिससे हमारा 300/350 का बहुमत होता। बेईमानी तो चौधरी साहब करने वाले है इनके क्षेत्र में बंदूक की गोली और भाले की नोंक पर वोट लिये जाते है। जहां निर्बल को वोट नहीं डालने दिये जाते (व्यवधान) स्वयं ही मोहर लगाकर डालते बलवान लोग। यदि उनके क्षेत्र में ऐसा नहीं होता तो (तालियां) छपरौली और बरनाला को छोड़कर वह कहीं से खड़े हो जांय। मेरठ की शेष 14 सीटों में और मैं भी त्यागपत्र देकर के मुकाबले पर लड़ने के लिये तैयार हूं यदिवह जीत कर आ जायं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और यदि न आ पायें तो सारी दुनियां को उनकी ईमानदारी का राज ज्ञात हो जायेगा।

(व्यवधान)...

जहां तक जनसंघ की ईमानदारी का प्रश्न है उसे भी साफ करना अपना कर्तव्य समझता हूं ये जनसंघी खुद बेईमानी करके 5 हजार 10 हजार व 15 हजार वोट लेते हैं। जाली बनवाते है और जाली वोट डलवाते है। इस प्रकार जब ये बेईमानी स्वयं करते है और बेईमानी करने के बाद जब दिल के आइने में देखते हैं तो बजाय अपनी शक्ल के उन्हें हमारी सूरत नजर आ जाती है और फिर वे अपने आप को बेईमान न कह कर हमें बेईमान कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आप उधर देखकर न बोलें। कृपा करके अध्यक्ष की ओर देखकर बोलें।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

चौधरी साहब, मैं समाजवादी भाइयों से कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि सवा 6 एकड़ जोत पर फिर से लगान लगाया जाये (व्यवधान)...

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

मान्यवर, इनका समय नोट किया जाय । यह विषय से बाहर बोल रहे हैं ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

मैं समाजवादी लोगों को बताना चाहता हूं कि उनका खून जम गया है, सफेद हो गया है क्यों डरते हैं बी0के0डी0 के लोगों को तो डर है कि यदि वे इसकी मुखालफत करेंगे तो चौधरी साहब टिकट नहीं देंगे नाराज होकर लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यह लगान पुनः लगाया गया तो वह चुप रहें तो रहे परन्तु मुझ जैसा समाजवादी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा घोर विरोध करेगा और 6 1/4 एकड़ पर पुनः लगान नहीं लगने देगा ।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । यह बजट भाषण है या चौधरी साहब की आलोचना की जा रही है ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

आपके द्वारा किये जाने वाले हुल्लड़ पर मुझे हैरत होती है । जनतंत्र में ऐसे अवसरों के लिये जिनको आप रोज व्यवधान द्वारा कर रहे हैं । मुझे एक जुमला याद आ गया है--

"न सुनना हराम है न सुनाना हराम है ।
सुनने के बाद जोश में आना हराम है ।"

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आपको जब अवसर मिले तब बोलें । बैठ जायें । आपको समय मिलेगा ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात कहूंगा कि प्रदेश की उन्नति के लिये सुझाव देना चाहिये था । प्रदेश की उन्नति के लिये चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हैं । मिलकर कदम उठाना चाहिये और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे प्रदेश के गरीब, शोषित, पीड़ित प्रदेश की जनता का विकास और उन्नति हो सके । केवल आलोचना करने से काम नहीं चलने वाला है । कार्यों में रोड़ा अटकाने से काम नहीं चलेगा और न ही प्रदेश की उन्नति होगी । वे कुर्सी के लिये आलोचना करते है । आलोचना करना आपने अपना धर्म बना लिया है । पेशा बना लिया है । इस प्रकार से इस प्रदेश की उन्नति होने वाली नहीं है । चरित्र निर्माण की ओर प्रदेश के विरोध पक्ष का ध्यान नहीं जाता है । सन् 47 में प्रदेश की शक्ल क्या थी और आज क्या है, आप जरा देखिये 1947 में प्रदेश के मजदूरों का वेतन क्या था और अब क्या है । अधिष्ठाता महोदय मैं पांच मिनट और लूंगा मेरा समय काफी नष्ट किया गया है । 47 में स्कूल कालेज व उद्योग कितने थे और आज कितने हैं । इस सिचाई को कैसे झुठलाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट का समय रह गया है 2 मिनट बोले ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश की उन्नति के लिये ठोस कदम उठाये हैं । उन्होंने गाजियाबाद की उन्नति के लिये भी प्रयास किये है।

[श्री प्यारे लाल]

वहां पर ठेली, पटरी, खोखा व खोंमचें वालों के लिये सस्ते किराये की दुकानों को बनवाने का निश्चय किया है जिससे छोटी आमदनी वालों को अपना पेट भरने का मौका मिलेगा। गरीबों के 8–10 हजार मकानों को डिमालिश आदेशों से जो गरीबों में बेचैनी थी उसके लिये एक कमेटी बनाई है जो उन मकानों को नियमित करेगी, जिससे और गरीबों को राहत मिलेगी शान्ति की सांस लेंगे। गाजियाबाद को जिला बनाने का निर्णय कर लिया, 100 शय्याओं का इ0एस0 आई0 का अस्पताल, टेक्निकल कालेज खोलने आदि का निर्णय लिया है इस सबके लिये मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। इसके साथ ही कुछ सुझाव देता हूं। गाजियाबाद में जब 60–61 में जमीन एक्वायर की गयी थी तो कुछ किसानों ने सरकार के आदेश को ही मानकर अपनी जमीन दे दी उन्हें तो 1.44 पैसे प्रति वर्गगज दिया गया और कुछ किसान इस मामले को लेकर हाई कोर्ट चले गये सरकार को तंग किया उन्हें 2 रु0 गज दिया। जिन लोगों ने पहले ही जमीन दे दी थी उनको जो 1.44 की दर से मुवावजा दिया गया और जो हाई कोर्ट में चले गये थे उनको 2.00 की दर से मवावजा दिया गयाइस 46 पैसे प्रति गज के फर्क को पूरा करें। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने आप से सरकार के आदेश पर जमीन दे दी थी उनको भी 2.00 की दर से मुआवजा मिले। जिससे कि यह फर्क पूरा हो तथा किसानों को न्याय मिले।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जमीन गाजियाबाद वाई पास (नेशनल हाई वे) की सड़क के लिये किसानों से ली गई है उसका मुवावजा मिट्टी उठाने वाली भूमि का 2 रु0 गज और सड़क में जाने वाली भूमि का कम से कम 3 रु0 प्रति गज की दर से दिया जाना चाहिये। मान्यवर, गाजियाबाद में एक और समस्या है कि दिल्ली से प्रतिदिन 10–15 हजार छात्र-छात्रायें पढ़ने के लिये आते हैं जिससे गाजियाबाद के गरीबों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता है। इस कारण उसको शिक्षा में व्यवधान पड़ता है। इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चाहे प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार से पैसे ले या स्वयं बनाये। ऐसे कालेज बनाये जिसमें 10,15 हजार बच्चे बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)

अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण पढ़ा और इस सदन में भी सुना। दूसरे बजट साहित्य को भी पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन मुझे एक बड़ी निराशा हुई। सरकार की तरफ से बराबर इस बात का दावा किया गया है कि हम प्रदेश को नया मोड़ देने जा रहे है। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस बजट में कोई ऐसी चीज है जिससे यह मालूम हो कि प्रदेश जो नया मोड़ दिया जाने वाला है।

यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है। जाहिर है इस बजट में अगले पांच वर्ष तक क्या होगा। कौन सी नीतियां लागू होंगी। कौन से डेवल्पमेंट, विकास के कार्य किये जायेंगे। किस दिशा में उत्तर प्रदेश जायगा। उसकी झलक इस पांचवीं पंच वर्षीय योजना के पहले बजट में मिलनी चाहिये थी। लेकिन वह झलक मान्यवर, नहीं मिलती है।

जहां तक हमारी पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों का सवाल है जिसका माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें जिक्र किया है। लक्ष्य बड़े सुन्दर है, बड़े आकर्षक है, बड़े पवित्र हैं लेकिन वह आकर्षक और पवित्र तभी हो सकते है जब कि उसी पवित्रता से अमल किया जाय। मैं दो लक्ष्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक आर्थिक सत्ता को केन्द्रीभूत होने से बचाना और आमदनी तथा सम्पत्ति में असमानता को कम करना। लेकिन एक शंका उत्पन्न होती है मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने आर्थिक सत्ता को केन्द्रीभूत होने से बचाने की बात कही है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी भाषण में बड़े माहिर है। यह जो लक्ष्य

रखा गया है कि आर्थिक सत्ता को केन्द्रीभूत होने से बचाना इसके माने हैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मानकर चलते है कि हमारे प्रदेश में आर्थिक सत्ता केन्द्रीभूत नहीं है । अगर यह मानते हैं कि आर्थिक सत्ता केन्द्रीभूत है तो उसको तोड़ने की बात कहते लेकिन भविष्य में बचाने की बात कर रहे हैं । इसके माने हैं कि अभी आर्थिक सत्ता केन्द्रीभूत है नहीं । इसलिये मैं कह रहा हूं कि मुझे शंका उत्पन्न होती है । क्या माननीय वित्त मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं जानते कि हमारे देश और प्रदेश में और पूरे देश में आर्थिक सत्ता आज औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ 75 इजारेदार पूंजीपतियों के धरानों के पास केन्द्रीभूत है । देश की औद्योगिक पूंजी का लगभग आधा भाग 75 घरानों के कब्जों में है । क्या माननीय नारायण दत्त तिवारी जी नहीं मानते कि आज कृषि के क्षेत्र में अधिकांश जमीन कुछ थोड़े से ही आदमियों के हाथ में केन्द्रीभूत है । अगर उत्पादन के साधनों के केन्द्रीयकरण को नहीं तोड़ा जायगा तो आर्थिक सत्ता को केन्द्रीभूत होने से नहीं रोका जा सकता । क्या माननीय मंत्री अपने जवाब में बताएगे कि इस बजट में कौन सी ऐसी बात है जिससे आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण कम होगा । एक बात बार-बार इस सदन में कही गई और उस पर सरकारी पक्ष के लोग नाराज होते हैं । लेकिन मैं फिर दुहराना चाहता हूं चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात आपने बजट में नहीं कहीं । कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात आपने नहीं कही । हिन्डालकों के राष्ट्रीयकरण की बात आपने नहीं कहीं । बनस्पति के राष्ट्रीयकरण की बात आपने नहीं कही । मान्यवर, कृषि क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री कहेंगे कि हमने सीलिंग लागू कर दी । लेकिन मान्यवर, कानूनी शक्ल और बात है और व्यवहार की और बात है मान्यवर, कागज पर १८ एकड़ की सीलिंग हो गई है । लेकिन पूरे राज्य में बड़े फार्म जैसे पहले कायम थे वैसे अब भी कायम हैं उनका मालिक एक है, मैनेजमेंट एक है और उनका मुनाफा भी एक ही व्यक्ति या एक परिवार लेता है । कागज में भले ही कई हिस्सेदार हो गए हों या खाते छोटे-छोटे बन गए हों । पयागपुर का फार्म जैसा पहले कायम था आज भी वैसा ही कायम है । बहराइच में सरदार भोगेन्दर सिंह का फार्म पहले जैसे कायम था वैसे आज भी कायम है । इसी तरह से बस्ती, गोरखपुर, बिजनौर, और पूरे तराई के इलाके में अगर फार्मों की वही स्थिति है जो पहले थी तो सीलिंग का कानून बिल्कुल निरर्थक हो गया है । कृषि क्षेत्र में भी आर्थिक सत्ता को केन्द्रीभूत होने से बचाने के लिये कुछ नहीं किया गया है । वास्तविकता यह है कि अमल उल्टी दिशा में हो रहा है ।

कांग्रेस के विभाजन के बाद, इसके दो टुकड़े हो जाने के बाद, सत्ता कांग्रेस की नीतियों में एक मोड़ आया था, जिसे हम वामपक्षीय मोड कहते है । समय की गति ने सत्ता कांग्रेस को इस वास्तविकता को मानने के लिए विवश किया है । कि इस मोड के बिना काम नहीं चल सकता है उस समय कुछ अमली कदम उठाये भी गये थे और सरकार ने जो समाजवाद का नारा दिया था, उस पर जनता में यह विश्वास पैदा हुआ था कि सरकार समाजवादी दिशा में आगे बढ़ेगी । उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ । जनरल बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रीविपर्स समाप्त की गई, गेंहूं के व्यापार का अधिग्रहण किया गया लेकिन उसके बाद ही निहित स्वार्थी तत्वों ने जो कांग्रेस के अन्दर भी मौजूद हैं और बाहर भी हैं बराबर केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकारों पर दबाव डाल कर उस रास्ते से मोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि दो साल पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति टाटा साहब प्रधान मंत्री से मिले और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया, जो टाटा मेमोरेंडम के नाम से मशहूर है और उनसे वकालत की कि आपका पब्लिक सेक्टर फेल हो गया है, अब आप राष्ट्रीयकरण की नीति छोड़िए । उत्पादन बढ़ाने के तो हम माहिर हैं, हमारे पास टेक्नीशियन्स हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, सरकार उत्पादन नहीं बढ़ा सकती है । इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र को छोड़ दीजिये । और हमारे साथ ज्वाइन्ट सेक्टर में कारखाने लगाइये । हमारा और आपका साझेदारी में काम चलेगा । आपके 51 प्रतिशत शेयर रहेंगे और हमें 49 प्रतिशत दे दें । आधिपत्य आपका रहेगा लेकिन मैनेजमेंट हमारा रहेगा । सरकार इन तत्वों के दबाव में आकर कार्य कर रही है । यह सार्वजनिक क्षेत्र की परम्परा

[श्री भीखालाल]

धीरे-धीरे छूटती जा रही है और ज्वाइन्ट सेक्टर की तरफ सरकार बढ़ रही है और उसकी वकालत भी बजट में की गयी है । गेंहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण की योजना को आपने छोड़ दिया । संयुक्त क्षेत्र, की शुरुआत आपने कर दी है ।

बजट भाषण में कहा गया है कि लघु उद्योगों में 10 योजनायें संयुक्त क्षेत्र में चालू कर दी गयीं हैं और उद्योग के क्षेत्र में योजनायें चालू हो रही हैं । अल्मोड़ा में मैंगनेसाइट का कारखाना संयुक्त क्षेत्र में टाटा साहब को सुपुर्द कर दिया गया है और अन्य स्थानों में भी रायबरेली, बलिया, उन्नाव आदि में संयुक्त क्षेत्र में कारखाने खोले जा रहे हैं । इसलिये जब आप पब्लिक सेक्टर को छोड़कर बड़े-बड़े उद्योग पतियों के साथ मिल कर कारखाने खोल रहे हैं तो जाहिर है कि जब उनके हाथ में मैनेजमेंट होगा तो वास्तव में उनके हाथ में मुनाफा भी होगा । तो कैसे हमारे माननीय वित्त मंत्री जी कह सकते हैं कि वे आर्थिक सत्ता को केन्द्रीभूत होने से बचाने के लिये चल रहे हैं । इसलिये मेरा कहना है कि अमल उल्टी दिशा में हो रहा है । इसलिये मुझे संशय है कि लक्ष्यों की पूर्ति की ओर भी सरकार का कोई प्रयास नहीं है । जब आर्थिक सत्ता को आप केन्द्रीभूत होने से नहीं बचा सकते हैं तो यह आर्थिक असमानता को दूर करने की बात कहना कभी पूरी नहीं हो सकती है । ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपस में जुड़े हुये हैं, इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक योजनाओं के कार्यान्वयन की बात है, नयी-नयी स्कीमों के लिये हमारे माननीय वित्तमंत्री ने कुछ सलाहकार मुकर्रर किये हैं, कुछ समितियों का निर्माण किया है, जो उनकी मदद करेगी । लेकिन एक बात जिसके बारे में मैं पेश्तर भी कह चुका हूं उस पर जोर नहीं दिया जाता है । आपने योजनाओं के लिये पैसे का प्राविधान किया है, पैसा खर्च भी कर देंगे, लक्ष्यों की घोषणा भी कर देंगे लेकिन योजनाओं का सही मूल्यांकन, की लक्ष्यों की पूर्ति होती है या नहीं, नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी किस की है, जिम्मेदारी किसी के ऊपर रखी गयी है या नहीं सरकार की योजनाओं में यह कमी है कि लक्ष्यों की पूर्ति न होने की दशा में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता । बड़ा अफसर हो अथवा छोटा अफसर उसकी तरफ कोई अंगली नहीं उठा सकता चाहे कितनी योजनायें उसके डिपार्टमेंट की फेल होती रहें । लेकिन वह तरक्की करता रहेगा । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जितने विभागों के अध्यक्ष हैं, योजनाओं की पूर्ति के लिये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिये और उनकी तरक्की, तनज्जुली और पदोन्नति उन्हीं योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति पर निर्भर रहनी चाहिये । अगर यह नहीं किया तो योजनाओं की पूर्ति कभी नहीं होगी जैसा अभी तक होता आया है ।

दूसरी चीज यह है कि योजनाओं की पूर्ति के लिये जब तक पब्लिक का कोआपरेशन, सहयोग नहीं होगा तब तक वह पूरी नहीं होगी । लेकिन आज सरकार आदेश जारी करती है रुपया सैंक्शन करती है, प्लान बना देती है और नौकरशाही पर छोड़ देती है और निश्चित हो जाती है । जैसे गल्ले की उगाही के लिये आदेश जारी कर दिये और जिलाधीशों को तलाशी लेने के अधिकार दे दिये गये । इस तरह पूरी योजना को नौकरशाही पर छोड़ दिया गया और नौकरशाही जनता का समर्थन हासिल करने के लिये कोई कोशिश नहीं करती । प्रश्न यह है कि जनता का समर्थन कैसे मिलेगा ? वह तभी मिलेगा जब सरकार अपनी नौकरशाही पर अपने संगठन के जरिये अंकुश रखे । अगर आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के लोग योजनाओं को लागू करवाने में जनता के बीच नहीं जाते और नौकरशाही की गतिविधियों पर नजर नहीं रखते और अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगाते तो काम नहीं चल सकता । हम विरोधी पार्टियों के लोग जब कामों में गड़बड़ी देखते हैं तो आवाज उठाते हैं तो सरकार की 144 और डी0आई0 आर0 आड़े आता है और हम जेलों में होते हैं । इसीलिये जनता का सहयोग प्राप्त किये बिना, आपका लक्ष्य कितना ही उमदा हो, पूरा नहीं हो सकता ।

फूड पालिसी आपकी फेल हो गयी । पिछले वर्ष सरकार ने एक कदम बढ़ाया था गेंहूं की खरीद का । सरकारीकरण किया और उसकी तरफ बढ़े, आपका घोषित लक्ष्य पूरा नहीं

आ में जानता हूं लेकिन उसमें बहुत सी अड़चनें थीं–बाहर से थीं और कांग्रेस के अन्दर से भी थीं। कांग्रेस के अन्दर बैठे हुये निहित स्वार्थ के लोग, बड़े बड़े फार्म वाले जिनकी भड़सालियों से साठगांठ है उन्होंने कोआपरेट नहीं किया, बाहर से कोआपरेशन नहीं मिला। लेकिन बावजूद इसके उसमें आंशिक सफलता मिली। कठिनाइयों के बावजूद पिछले साल साढ़े 5 लाख टन गेंहूं वसूल हुआ था। मेरा निश्चित मत है कि इस वर्ष 7–8 लाख टन वसूल हुआ होता। पिछले अनुभवों के आधार पर गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिलता। लेकिन आपने व्यापारियों के दबाव से उस स्कीम को छोड़ दिया। उन्होंने आपको विश्वास दिला दिया कि वह प्रापरली बिहेव करेंग और सब कुछ आपकी मानेंगे, लेकिन उन्होंने बीच में आपकी नाव डुबो दी और आपको फिर घूम कर जबरिया वसूली का रास्ता अपनाना पड़ा। और वह कैसे? जबरिया वसूली घरों में घुस करके। अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मेरे पास उदाहरण मौजूद है जिनको समय पर सकता हूं कि इस स्कीम के द्वारा किसानों के साथ अनेकों प्रकार की ज्यादतियां की गई है। ऐसे लोग जिनके पास गल्ला है, वे सकते हैं वह छोड़ दिय गये हैं और छोट-छोट किसानों के घरों में तलाशियां ली गयी हैं, उनको परेशान किया गया –ये मिसालें हैं। ऐसा लगता है कि बड़ा भारी तीर मार लिया कि डेढ़ लाख टन हमारा गल्ला आज तक वसूल हो गया है। लेकिन 40 हजार टन इसमें तो व्यापारियों द्वारा दी गई लेवी का है और 1 लाख 10 हजार टन और वसूल हुआ है। महीना 15 दिन में अगर बहुत कोशिश होगी तो 3–4 लाख टन हो जायगा। इससे आप कितने दिनों प्रदेश की जनता को खिला सकेंगे और नगरों में सप्लाई कर सकेंगे। अगले दो महीनों में अगस्त, सितम्बर में बड़ा संकट आने वाला है।

मैं त्रिपाठी जी की बात से इत्तिफाक करता हूं कि अभी तो फूड राइट्स थोड़ी ही जगह पर हुये हैं अब बड़े पैमाने पर ये फूड राइट्स होंगे और अगर सरकार ने गल्ले की कोई उचित व्यवस्था नहीं की और प्रबन्ध नहीं किया। सरकार की नीतियों का यह एक पहलू है। गल्ले की कीमतों के बढ़न का कारण भी सरकार की गलत नीति है। जिस वक्त सरकार ने सरकारी खरीद योजना का परित्याग करने की बात नहीं की गयी थी उस वक्त तक गेंहूं के दाम कम थे और तब नई फसल भी नहीं आयी थी।

लेकिन जैसे ही यह घोषणा हो गई कि सरकार ने सरकारी खरीद का परित्याग कर दिया है और अब वह व्यापारियों के माध्यम से खरीदेगी बाजार में कीमतें बढ़ गयीं। यहीं नहीं गेंहूं की तीन प्रकार की निश्चित कीमतें कर दी गईं। सरकार जो व्यापारियों से खरीदेगा उसकी कीमत 105 रुपये, व्यापारी जो खुले बाजार में बेचेगा उसकी कीमत 150 रुपये और जो सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलेगा उसकी कीमत 133 रुपये। तो यह इन गलत नीतियों का ही परिणाम है जिसके कारण कीमतें बढ़ीं हैं। इसलिये आपकी खाद्य नीति फेल हुई है, महज कदम पीछे हटाने से।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं –माननीय चौधरी चरण सिंह कह चुके हैं–वह है कारपोरेशन्स की बात। अब इस प्रदेश में एक नया प्रयोग माननीय नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा शुरू किया गया है। अभी तक 13 कारपोरेशन्स यहां बने थे। अब करीब दो दर्जन कारपोरेशन्स और बनाने की घोषणा है। अब हमार प्रदेश में कारपोरशन्स का रूल होगा। पता नहीं यह कारपोरेशन्स क्या हैं। हो सकता है इससे कुछ फायदा भी हो। लेकिन मेरा एक ही कहना है। आपने जो 13 कारपोरेशन्स बनाये हैं, कोई 2 साल से चल रहा है, कोई चार साल से, कोई 6 साल से चल रहा है। आप इनके कार्य का मूल्यांकन करें और तब आगे कदम बढ़ायें। लेकिन नमूना जो हमारे सामने आ रहा है वह बड़ा खराब है। ऐग्रो की कहानी प्रेस में छपी है, सब लोगों ने पढ़ी होगी। 6 साल पहले इस कारपोरेशन ने काम करना शुरू किया था। सरकार ने इसमें तीन करोड़ की पूंजी लगाई थी। उसने 1 करोड़ 32 लाख रुपया बैंक से कर्जा भी लिया था। आज वही ऐग्रो घाटे में जा रहा है और 2 करोड़ 29 लाख रुपया ऐसा बकाया हो गया है जो वसूल करने के लायक नहीं है। उसमें सरकार मंत्रि-मंडल

[श्री श्रीखा लाल]

के सदस्य लोग भी बाकीदार हैं, पिछली त्रिपाठी सरकार के कुनबे के लोग भी बाकीदार हैं, और उनके व्यक्तिगत स्टाफ के लोग भी बाकीदार हैं। जब यह स्थिति होगी तो कारपोरेशन्स कैसे चलेंगे। मैं समझता हूं कि हर कारपोरेशन्स इसी तरह से होगा। चौधरी चरण सिंह ने जो शंका जाहिर की थी वही शंका मेरी भी है। एग्रो के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के 16 सदस्य ह जिनमें 14 आई0 ए0 एस0 और दूसरे अफसर हैं केवल 2 नान-आफिशियल्स हैं। इसीलिये इस संस्था की यह हालत हुई। इसलिये ऐसा जल्दबाजी का प्रयोग जब तक ठीक तौर से मूल्यांकन न कर लें न कीजिये। यही एग्रो किस तरह से मनोरंजन का और क्रीड़ा का और एक शब्द जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं बड़ा सख्त हो जायगा लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने कल ही इस्तेमाल किया था लिहाजा मैं भी कहता हूं कि अफसरान की ऐय्याशी का अड्डा बना हुआ है। पिछले साल ऐग्रो के कुछ अधिकारी जापान गये कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिये। एक ही अनुभव वह अपने साथ लाये कि जापान के स्टाइल का ओइशी रेस्टोरेन्ट बना दिया जाय और वह बन गया। वह बना है। सिर्फ अधिकारियों के मनोरंजन के लिये। आज वह घाटे पर चल रहा है। इसलिये यह नये नये प्रयोग ऐक्सचैकर के बल पर न कीजिये बल्कि समझ बूझ कर कीजिये।

इसी तरह से वस्तु निगम की बात कहूंगा। कहा गया है कि नगरों और शहरों में वस्तु निगम के द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को जीवनोपयोगी चीजें उचित दामों पर मिल सकेंगीं। ठीक है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आप देहात को क्यों भूल गये? क्या इन सब चीजों की जरूरत नगरों में ही होगी देहातों में नहीं होगी। आपने सुपर बाजार भी इसीलिए कायम किया था कि खुले बाजार के मुकाबिले वहां पर सस्ती चीजें मिलेंगीं और सुविधा मिलेंगी।

लखनऊ के सुपर बाजार की कहानी ही निराली है। 35 लाख रुपया सब खा-पीकर लोग बैठ गये। कहीं इन निगमों की भी हालत ऐसी हो न हो। इसीलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नये निगम बनाने से पहले इस प्रश्न पर अच्छी तरह से बिचार कर लें कि किस तरह से उनका संचालन होगा, कहां से धन प्राप्त होगा, धन की देख-रेख किस प्रकार से की जा ेगी, किस प्रकार आडिट आदि की व्यवस्था होगी, जब इन सारी बातों की व्यवस्था आप कर लें तो पहले यहां आप सदन में उनको बतायें, सदन को आश्वस्त करें, फिर जब यह सदन आपको अधिकार दे दे, तब आप नये निगम बनायें। वरना यदि अपने तजुर्बे के लिये आपने नये नये निगम बनाये और जनता के धन का दुरुपयोग किया तो यह प्रदेश के लिये हितकर नहीं होगा।

एक सवाल भूमिहीनों को तथा हरिजनों की जमीन बांटने का भी चला आ रहा है। कहा जाता है कि जमीन बंट रही है। आदेश हो गये हैं। रोज भाषण भी होता है कि इतनी जमीन सीलिंग से निकलेगी और उसे इन लोगों में बांटा जायेगा। एक चीज का एलान इस बजट भाषण में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने किया कि इन कामों की देख रेख के लिये एक जनप्रिय कमेटी बनायी जायेगी, मगर आज तक कोई कमेटी नहीं बनी है, न ब्लाक स्तर पर, न जिले के स्तर पर। माल विभाग के सचिव ने अखबारों में बयान देकर कहा है कि सितम्बर तक हम सीलिंग का कानून लागू कर देंगे, उससे ढाई लाख एकड़ जमीन निकलेगी जो इन लोगों में बांटी जायगी। अगर इतनी जमीन निकल आये तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। पहले जो माल मंत्री थे उन्होंने बिल के पास होने के समय सदन में कहा था कि सवा लाख एकड़ जमीन निकलेगी। राजस्व सचिव ने आपके बयान में यह भी कहा है कि काश्तकारों की नोटिस जारी हो गई है, 600 एकड़, जमीन कब्जे में आ गई है जो 30 जून तक वह बंट जायेगी, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। मुझे पता नहीं कि उसमें कौन सा विलम्ब है? इनकी कथनी और करनी में समावेश नहीं है। अगर कहीं किसी भूमि हीन को 5 बीघा जमीन मिली है तो जमीन का कब्जा होने तथा पट्टा आदि लिखने तक वह बुरी तरह से लुट जाता है उसकी गृहस्थी लुट जाती है, नायब तहसील दार, कानून गो, लेखपाल आदि को इतना

खिलाना पड़ता है उसे कि वह बरबाद हो जाता है। इसलिये आप जल्दी इन कमेंटी का निर्माण कीजिये।

मान्यवर, एक बात खतिहर मजदूरों के विषय में कहना चाहता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष बजट में उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि पहली बार वह निश्चित की गई है। मगर किसी सदस्य से तो क्या, आप किसी कबिनेट के मिनिस्टर से या लेबर मिनिस्टर से ही पूछें कि किस क्षेत्र में कितनी मजदूरी निश्चित की गई है, तो वे बता नहीं पायेंगे। उनको पता नहीं होगा। उसका कारण यह है कि उस तरफ सरकार का विशेष ध्यान नहीं है और उसके पास उसको अमल में लाने की कोई मशीनरी नहीं है। आप नियम बना देते हैं, मगर उनका पालन नहीं होता। अगर मजदूरी आपने निश्चित कर भी दी, तो उसको लागू करने के लिए आपके पास कोई मशीनरी नहीं है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट में भी जो प्राविधान है कि एक कमेटी गठित की जावेगी जो विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन करके यह सिफारिश करेगी कि वहां के खेतिहर मजदूरों के लिए क्या मजदूरी निश्चित की जाय, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। होता क्या है, यहां सेक्रेटरिएट में बैठकर नौकरशाही मनमाने ढंग से मजदूरी निश्चित करती है। पूर्वी जिलों में और बांदा जिले में आज भी बन्धुवा मजदूरी की प्रथा है। आज भी उनको 8 आने, 12 आने, एक रुपया मजदूरी दी जा रही है। इस महंगाई के जमाने में। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मुताबिक आपने मजदूरी निश्चित की है उसको रिवाइज कीजिए। उसको लागू करने वाली मशीनरी बनाइए।

प्रति व्यक्ति आय के बारे में कल चौधरी साहब ने कहा। वह आंकड़ों में माहिर है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1960-61 में मन्त्री महोदय के अनुसार 246 रुपए और 1971-72 में 274 पए हो गयी। इन 12 सालों में कितनी बढ़ी, वह प्रतिशत क्या है। प्रति व्यक्ति आय 0.8 प्रतिशत बढ़ी है। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की आय जो बढ़ी है वह है 3.2 प्रतिशत है। इस प्रदेश की आय 3.2 प्रतिशत बढ़ी है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय केवल 0.8 प्रतिशत बढ़ी है यह असमानता क्यों है। माननीय वित्त मन्त्री जी इस बात को मानते हैं कि प्रदेश की आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है, यह उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि 1968-69 में जो हमारे प्रदेश की आय में कृषि का हिस्सा था वह 57.5 का था। यह 1973-74 में घटकर 54.7 रह गया। इसलिए 2.8 प्रतिशत की कमी हुई। मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इसको कैसे बढ़ायेंगे। मन्त्री जी को यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे यहां जो हरित क्रांति की योजनायें चलाई गयीं हैं उनसे व्यापक रूप से आम किसानों को फायदा नहीं पहुंचा और यही कारण है कि कृषि से उतनी आय नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी।

(कई सदस्यों के खड़े हो जाने पर)

(मा0 सदस्यों से)---मान्यवर, आप लोग बैठ जायं। मैं अभी समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आप कितना समय और चाहते हैं।

श्री भीखा लाल---

5 मिनट और।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, ले लीजिये।

श्री भीखा लाल---

हमारा प्रशासन बहुत ढीला हो रहा है। हमारी सरकार उसको पकड़ने की, उसको चुस्त करने की कोशिश कर रही है। मुझे मन्त्री जी भी उसको चुस्त दुरुस्त करना चाहते

[श्री भीखा लाल]

हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि स्थिति उनकी पकड़ से बाहर होती जा रही है। प्रशासन बिल्कुल उनके हाथ से, उनकी गिरफ्त से निकलता जा रहा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तरह-तरह की और बातें आज प्रशासन में छाई हुई हैं। बहुगुणा जी को विरासत म ढीला, कमजोर और भ्रष्ट प्रशासन मिला है। आपके भूतपूर्व मुख्य मन्त्री थे श्री कमलापति त्रिपाठी, जिनके जमाने में ष्टाचार की पूरी छूट थी। मेरी यह धारणा है कि भ्रष्टाचार आज समाज का एक सिस्टम बनता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी विकास की देन है। यह तभी खत्म हो सकता है, जब पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जाय। इसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता इस पर अंकुश अवश्य लगाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। लेकिन सरकार इस पर अंकुश भी नहीं लगा पा रही है। इसका कारण यह है, मान्यवर, हमारा प्रदेश इतना बड़ा है।

जैसा कि अभी श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी कहा कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है। इतने बड़े, 55 जिलों वाले इस प्रदेश की सरकार के मन्त्रि मंडल में केवल 12 आदमी हैं। और उसमें भी एक बीमार हैं अस्पताल में हैं। असेम्बली में भी नहीं आते हैं। सिर्फ 11 आदमी इस प्रदेश को चलाते हैं सरकारी पक्ष के लोग कह सकते हैं कि यह हमारा मसला है। विपक्ष का नहीं। लेकिन आपका मसला हमारा मसला भी बन जाता है। यदि प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए शासक दल इतना बड़ा मन्त्रि मंडल बना लें कि प्रदेश पर अनावश्यक भार बढ़ जाय और ज्यादा पैसा खर्च होने लगे तो हमारा मसला बन जाता है। इसी प्रकार यदि मन्त्रि मण्डल इतना छोटा हो कि प्रदेश के प्रशासन और जनता का अहित हो रहा हो तो भी हमारा मसला बन जाता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी 29 विभाग अपने पास रखे हुए हैं तो क्या वह उनके साथ न्याय कर सकते हैं। यदि प्रत्येक विभाग की पांच-पांच फाइलें उनके पास आवें तो इस प्रकार 145 फाइलें हो जायेंगी और मैं समझता हूं कि इनको ीक प्रकार देखना व निबटाना बड़ा मुश्किल है। इसके बावजूद मुख्य मन्त्री जी को रोजाना कम से कम 500 आदमियों से मुलाकात करनी है। प्रतिनिधि मंडलों से मिलना है, अधिकारियों की मीटिंगें करनी हैं। उद्घाटन करने जाना है, कहीं भाषण करने जाना है और कभी दौड़े पर जाना है आदि। इन सब कामों को करते हुए 29 विभागों का काम देखना बिल्कुल असम्भव है। यही कारण है कि आज सब कार्य नौकरशाही के ऊपर ही छूटा आ है और बहुत सी घटनाओं की सूचना उनको समय से नहीं मिल पाती। तराई के क्षेत्र में धान की स्मगलिंग दो महीने से हो रही है परन्तु मुख्य मन्त्री जी का कहना है कि मुझे इसकी सूचना 8 जून को मिली। सूचना इसलिए नहीं है कि आपके पास इन सब चीजों के देखने का समय नहीं है तथा वहां का नौकरशाही स्टाफ कोई सूचना नहीं भेजता है। इसलिए मैं कहने पर मजबूर हूं कि मन्त्रि मंडल के लोगों के पास आफिस है लेकिन रियल एथारिटी नहीं है पद है अधिकार नहीं है। ये लोग पदों के भूखे हैं और उसी को बचाने के जोड़-तोड़ में लगे हैं और इसीलिए मन्त्रि मंडल नहीं बढ़ा रहे हैं। अतः आज रियल एथारिटी सरकार नहीं है बल्कि नौकरशाही है। इसलिए अगर प्रदेश के प्रशासन को चुस्त व दुरुस्त करना है तो इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। नौकरशाही को गिरफ्त में लेना होगा।

मान्यवर, किफायतशारी की भी बात कही गई है। मेरा कहना है कि किफायतशारी होनी चाहिए। पेट्रोल काटा जा रहा है, नई कारें नहीं खरीदी जा रही हैं। किफायतशारी अच्छी बात है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कारों के प्रयोग पर रोक लगाई गई परन्तु हेलीकाप्टर की सवारी में कितना खर्च होता है और अगर कार से अधिक खर्च होता है तो यह मितव्ययता का परिचय है। आजमगढ़ में नत्थूपुर के चुनाव में मुख्य मन्त्री जी दोहरी घाट सूरजपुर तक जो केवल चार मील की दूरी पर है किस हेलीकाप्टर से भाषण देने जाते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसमें कितनी मितव्ययता हुई है। हेलीकाप्टर पर क्या इसलिए सवारी की जाती है कि जिससे जनता जाने कि प्रदेश के बादशाह सलामत आ रहे हैं या सभाओं में जनता को बटोरने के लिए

हेलीकाप्टर उड़ाया जाता है। मेरा केवल इतना कहना है कि इस प्रकार की फिजल खर्ची रोकी जाय क्योंकि हमारा गरीब प्रदेश इनको बर्दाश्त करने योग्य नहीं। आशा है कि वित्त मन्त्री हमारे सुझावों पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि इस बजट पर मुझे भी विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैंने कल से और इस समय तक दोनों पक्षों के बजट के सम्बन्ध में विचार सुने। मानव स्वभाव के अनुकूल जाता कि होता है बीते हुए दिन अच्छे लगते हैं और वर्तमान कड़ुवा लगता है। इन दोनों बातों का जिक्र विरोधी पक्ष के नेता और कुछ सदस्यों ने किया तथा उसका आभास उनकी बातों में मिला लेकिन जो भविष्य की आशायें होनी चाहिए उसका उनके विचारों में नितान्त अभाव पाया गया। मुख्य तौर पर विरोधी पक्ष के नेता चौधरी चरण सिंह ने कृषि के बारे में कुछ बातें कहीं और यह दिखाने का प्रयास किया कि कृषि की आय में कमी हुई है।

(इस समय 2 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुईं।)

और, जो व्यय किया जाना चाहिए था उसमें कटौती हुई। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई तरक्की इतने वर्षों में नहीं हुई और साथ ही एक बात और उठाई कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडीचर बहुत ज्यादा है। मैं समझ नहीं पाया कि चौधरी साहब ने यह बात आंकड़ों के आधार पर कही या यूं ही पुरानी बातों को कह दिया। अगर आंकड़े उठाकर देखे जायं तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन पर हिन्दुस्तान में, केवल बिहार, को छोड़कर, सभी प्रदेशों से प्रति व्यक्ति खर्च कम है। 1972-73 में उत्तर प्रदेश में 6.21 था और बिहार में 5.33 था। जबकि आंध्रप्रदेश में 9.52, आसाम में 8.78, गुजरात में 90.31 और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह से ज्यादा है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है और विकास के कार्यों में कम है। अगर पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों को जोड़ दिया जाय तो पिछले आंकड़ों से यह पता चलता है कि जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है और जो उसमें मदें रखी गयी हैं वह किसी भी प्रकार कम नहीं है। आमदनी बढ़ाने की बात कही गई और उसके साथ बापू का नाम भी जोड़ दिया गया। एक तरफ तो चौधरी साहब चाहते हैं वेलफेयर स्टेट हो और दूसरी तरफ जब सुझाव देते हैं तो पुलिस स्टेट की बात करते हैं। अगर वेलफेयर स्टेट है तो उसमें यह आवश्यक है कि समाज के सुधार के कार्यों में, खेती में, हरिजनों के उत्थान में, आवास देने में, शिक्षा में, चिकित्सा में, इन सब पर खर्च करना होगा और अगर एक बार इन पर खर्च किया जायेगा तो फिर राजस्व पर भार बढ़ेगा। जब आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं तो कहते हैं कि दुबारा भूमि पर कर लगाओं सवा 6 एकड़ के नीचेकी जोत पर जो कि उन्होंने ही माफ कर दिया था अपने दिनों में। उनके साथ जो सोशलिस्ट भाई बैठे हैं मालूम नहीं क्या कोई समझौता हुआ है नेगेटिव आसपेक्ट पर, इसलिये कि कांग्रेस का बिरोध करना है, नहीं तो यह उन्हीं की यह बिचार धारा थी कि यह लगान माफ हो। अगर यह कर फिर से लगा भी दिया जाता है तो केवल 12 करोड़ की आमदनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक्साइज को बन्द करने को कहा उसमें 65 करोड़ रुपये की आमदनी होती है और खर्चा केवल 70 लाख रुपया होता है। किस तरह से आमदनी बढ़े और खर्चा कम हो, यह उनकी एकोनामिक्स समझ में नही आती।

अब जहां तक पिछली बातों का जिक्र किया गया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमारे मित्र जो विपक्ष में बैठे हुये हैं जिनका नाम श्री राम अधार राय है और सीनियर मेंम्बर हैं इस सदन के, मैं उनसे विनम्रता के साथ आपके जरिये अधिष्ठाता महोदय, से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि पूर्वांचल गरीब है, बुन्देल खंड गरीब है और पर्वतीय क्षेत्र वह भी गरीबी का शिकार है। बजट के आंकड़ों से उन्होंने यह बात कही

[श्री बालकृष्ण सनवाल]

कि बजट पहाड़ की ओर जा रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल का 18 प्रतिशत क्षेत्रफल पहाड़ी हिस्से का है।

श्री राम अधार---

आबादी क्या है ?

श्री बाल कृष्ण सनवाल---

केवल चार सवा चार प्रतिशत। आज भी जोत की सीमा प्रति व्यक्ति कम है। औसत आमदनी भी प्रति व्यक्ति कम है। आज भी वहां ऐसे इलाके हैं जहां लोगों ने बस और मोटर नहीं देखी, रेल की बात तो दूर रही। महिलायें चढ़ाई पर मील मील दूर से पीने का पानी लाती हैं जाड़े बरसात के दिनों में। जिस पहाड़ से नदियां बहकर सारे उत्तर प्रदेश की सिंचाई और पीने के लिये पानी देती हैं वहां की महिलायें 1 मील दूर से पानी लायें तो यह बड़े दुख की बात है। मेरे साथी इससे सहमत होंगे कि जो भी पिछड़े इलाके हैं चाहे वह पूरब के हों, बुन्देलखंड के हों या पर्वतीय क्षेत्र के हों वहां विकास होना चाहिये। पहाड़ी क्षेत्र के लिये केन्द्र से जो सहायता मिली वह किस तरह आरम्भ हुई वह शायद इतिहास की बात है। वर्षों से वह क्षेत्र पिछड़ा रहा। हिमांचल प्रदेश बना, नागालैन्ड बना। हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति भी आपको मालूम होगी कि चीन की सीमा 200 मील से अधिक दूरी पर नहीं है। एक तरफ नपाल है, दूसरी तरफ तिब्बत और चीन है। अगर उस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं होता तो उस सीमावर्ती क्षेत्र में क्या स्थिति पैदा होगी यह सोचने का विषय है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुये आज से 3 साल पहले प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय आयोजना विभाग में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक सेल की स्थापना की। उसके सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिये जाने की शुरुआत हुई। इससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में आशा की लहर दौड़ी। कृषि पर आधारित हमारा प्रदेश है और पर्वतीय प्रदेश भी कोई अपवाद नहीं है। वहां भी 85 से 90 प्रतिशत जनता कृषि पर मुन्हसर रहती है और उनकी जोत सीमा एक एकड़ से भी कम है। वहां पर किस तरह से कृषि का विकास किया जाय तो इसमें भी चौधरी साहब को कुछ नाराजगी होती है। शहादरा की रेलवे लाइन पर 5 करोड़ खर्च होगा तो वह चाहते हैं कि गंगा कैनाल में उसको लगा दिया जाय। टिहरी विश्वविद्यालय के लिये 25 लाख रुपया रखा गया तो उसको न रखा जाय। (लाल बत्ती होने पर) मुझे कुछ बातें और कहनी है 5 मिनट का समय और दे दें। जब विश्व-विद्यालय खोलने की बात हुई तो चौधरी साहब को नाराजगी होती है। जहां सिंचित क्षेत्रों के लिये पंत नगर विश्वविद्यालय है तो जहां सिंचाई नहीं हो सकती, जहां की अलग मिट्टी है, अलग जलवायु है अगर वहां पर कृषि अनुसंधान करके काम किया जाय तो इस पर नाराजगी नहीं होनी चाहिये। लेकिन उनको शिकायत है कि यह रुपया वहां क्यों खर्च किया जा रहा है।

जहां यह बात कही गयी कि इस बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जोकि तरक्की के रास्ते को बताता। इस संबंध में, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों के लिये 2 करोड़ रुपये का प्राविधान, कुटीर उद्योग के लिये 50 लाख, पिछड़े जिलों के लिये 40 लाख का प्राविधान किया गया है और हरिजनों के आवास के लिये धन का प्राबिधान होना, समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिये और पिछड़े तबकों को ऊंचा उठाने के लिये एक साहसिक कदम है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें जहां पहले एक हजार करोड़ से कम की रूप-रेखा थी, वहीं हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी प्रयास करके 3 हजार करोड़ की योजना बनाने जा रहें हैं और यद्यपि इस बजट में योजना के अन्तर्गत खर्च कम रखा गया है, फिर भी हम आगे के लिये आशा करते हैं कि अधिक धन उपलब्ध हो सकेगा। कृषि, सिंचाई, भूमि-संग्रहण आदि के लिये इसमें जो प्राविधान किया गया है, उससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। ऐसे अवसर पर जो यह बजट पेश किया गया है, इसके लिये सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी आलोचना न करें बल्कि उसका समर्थन करें और इस प्रदेश की प्रगति में हाथ बटायें।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)--

मान्यवर, म आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। म आपक माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता आज किस तरह से आर्थिक और राजनतिक कठिनाइयों से ग्रसित है लेकिन सत्ताधारी दल के लोग इस तरह से इस सदन में उत्तर देते हैं, मानों वह कोई रिक्रियेशन क्लब है। आज प्रदेश मे सारी प्रशासन व्यवस्था भंग हो चुकी है। राज्य कर्मचारियों में आज अनुशासनहीनता चरमसीमा पर पहुंच चुकी है। कोई कमचारी न समय से पहुंचता है, न सीट पर बठता है, समय से पहले चला जाता है और सारा दिन लंच पर बठा रहता है। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूगा कि कर्मचारियों की जो जायज मांगे ह और उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनको प्राइस इन्डेक्स क साथ जोड़ दिया जाना चाहिये जिस तरह से पुलिस विभाग में डिसिप्लिन है वही चीज अन्य विभागों के कर्मचारियों में लागू की जानी चाहिये।

गेहूं की कीमत के संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार ने गेहूं की कीमत 76 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये कर दिये। सरकार ने देखा कि किसान तो खुशहाल हो जायेगा। इसलिये खाद का मूल्य 52 रुपये से 103 रुपय कर दिये। इस तरह स इस सरकार ने किसानों को नीचे गिरा दिया है। भारत में जो 80 प्रतिशत किसान रहते हैं उन्होंने सरकार की इस हरकत को अच्छी तरह से समझ लिया ह कि सरकार किस तरह स हमारा खुशहाल नहीं देखना चाहती और यह जो अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को नुकसान पहुंचाया गया है, इसके लिये वह आगे चल कर अच्छा सबक सिखायेगी।

कोआपरेटिव के बारे में कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव ऐक्ट में जो धारा है, जिसमें यह है कि अगर कोआपरेटिव के झगड़ों को कोर्ट में लाया गया तो वे कोर्ट में इन्टरटेन नहीं किये जाते हैं। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि सरकार को इस धारा को कोआपरेटिव ऐक्ट से निकाल देना चाहिये ताकि जो भी झगड़े हों, वे कोट म भी इन्टरटेन किये जा सकें। मेजारिटी जो सोसाइटी में होती ह जो प्रेसीडट या सेक्रेटरी कोआपरेटिव सोसाइटी के होते है वे आर्टिफिशियल मेजारिटी बना लेते हैं और तरह तरह से मेम्बर्स का शोषण होता है। बहुत से मेम्बर्स को यहां तक भी नहीं मालूम होता कि वे कोर्ट में नहीं जा सकते। जब आर्बिट्रेशन में वह जाते ह तो अधिकतर प्रेसीडेंट अथवा सेक्रेटरी सोसाइटी के होते ह उनकी सांठ-गांठ रजिस्ट्रार अथवा असिस्टेंट रजिस्ट्रार स होती है और वे अपने अनुकूल फैसला करा लेते हैं। इसलिये कोआपरेटिव ऐक्ट की इस धारा को निकाल देना चाहिये और जब कोई झगड़ा हो तो उसे किसी भी मेम्बर को कोर्ट में ले जाने का हक होना चाहिये। यह कोआपरेटिव सेक्टर थर्ड सेक्टर है। जब यह बनाया गया तो आशा यह थी कि इससे देश के गरीब किसान, मजदूर की काया कल्प होगी लेकिन वह आशा निराशा में परिणत हो गयी। गरीब किसान तथा मजदूर को यह सेक्टर नुकसान पहुंचाने लगा है। एक उदाहरण दे दूं। एक बिसम्भर दयाल जी ग्राम छोला ने भरथना सोसाइटी के अन्तर्गत उन्होंने 166 रुपया उधार लिया था ऋण अदा न करने पर हवालात में उनको बन्द कर दिया गया। जब 166 रुपया का उन्होंने भुगतान किया तो उनको हवालात से मुक्ति मिली लेकिन आज भी उनसे 500 रुपये की मांग की जा रही है। यह वर्किंग कोआपरेटिव सेक्टर की है। आप देखें कि हर साल बजट पेश होता है।

ये जो राजकीय दफ्तर हैं उनमें से 70 फीसदी से अधिक दफ्तर किराये पर हैं। कोई भी काम अगर अस्थायी रूप से किया जाता है तो किराये का दफ्तर उसके लिये ले लिया जाता है लेकिन अगर पर्मानेन्ट फीचर बना लिया है तो किराये के दफ्तर चलते रहना कहां तक मुनासिब है? सरकार कोई पंचवर्षीय अथवा दस वर्षीय योजना बनाती ताकि किराये के दफ्तर खत्म हो सकते। सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि जो दफ्तर किराये पर चल रहे हैं अथवा जो कर्मचारी किराये पर रहता है 20 साल में इतना किराया दे दिया जाता है कि उस किराये से वह मकान बनवा सकते हैं। जो किराया इस

[श्री गोरेलाल शाक्य]

समय प्रदेशीय सरकार बेती है अगर वह किराया 20 साल का जोड़ लिया जाय तो उस किराये से सारे प्रदेश में आलीशान दफ्तर बनाये जा सकते हैं । लिहाजा सरकार 10 अथवा 15 वर्षीय कोई योजना बनाये ताकि उसके पास स्वयं की अपने दफ्तरों के लिये बिल्डिगें हों इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता के पहले आन्दोलन हमारे पूर्वजों ने किया था उस समय यह मांग थी कि बेसिक एजूकेशन बदली जायगी और मद्यनिषेध किया जायगा लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता ह कि 25 साल हो गये लेकिन 50 हजार प्राइमरी स्कूलों में से केवल 25 हजार के पास बिल्डिगें हैं । शेष या तो पेड़ों के नीचे लगती हैं अथवा खंडहरों में । न जाने कितनी दफा ईटें गिरने से बच्चे मर चुके हैं लेकिन उन स्कूलों की बिल्डिगों का प्रबन्ध हम 25 साल में नहीं कर सके ।

इसके साथ ही मद्य निषेध अगर नहीं होना था तो शायद स्वतंत्रता सेनानी अथवा हमारे पूर्वज स्वतंत्रता की लड़ाई न लड़े होते । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह शराब की कीमतों को बढ़ा कर कंजम्पशन को रोकेंगे । उनको पता नहीं है कि नसीली वस्तुओं की कीमत और मांग में क्या संबंध है । जो आदी हो जाता है तो कीमत बढ़े अथवा घटे कोई कंजम्पशन में फर्क नहीं पड़ता है ।

अभी कुछ दिन पहले यहां पर ग्लूकोज कांड पर बहस हुई है । अस्पतालों में इमरजेन्सी वार्ड की हालत आज बहुत खराब है । हिन्दुस्तान के अन्दर सभी अस्पतालों में जितने भी इमरजेन्सी वार्ड हैं उनमें हजारों आदमियों की अकाल मौत हो जाती है । जब मरीज गंभीर रूप से बिमार हो या डाक्टरों के काबू में नहीं रहता है तभी उसको इमरजेन्सी वार्ड में भरती करने के लिये भेजते हैं । कोई सीनियर डाक्टर उसको अटेन्ड नहीं करता है । कालेज के स्टुडेन्ट ही अटेन्ड करते हैं । वे मरीज पर तरह तरह के इन्जेक्शन्स लगाकर सीखने के लिये प्रयोग करके उसको अकाल मौत कर देते हैं । हमारे यहां कानपुर में हेलेट अस्पताल में 10 सम्बन्धियों को मैं इमरजेन्सी वार्ड में ले गया किन्तु किसी सीनियर डाक्टर के उनको अटेन्ड न करने पर उनकी अकाल मृत्यु हो गई । इमरजेन्सी वार्ड में जूनियर एवं मेडिकल स्टुडेंट्स (डाक्टरों) की मरीजों को अटेन्ड करने पर रोक लगा देनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि फाइनेन्शियल डिसीप्लियन न होने पर महंगाई बढ़ती है .....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

सिर्फ दो मिनट का समय और चाहूंगा । आज हमारी सरकार कैश प्रोग्राम की बात करती है । हिन्दुस्तान में सैकड़ों सड़कें बन रही हैं लेकिन कोई सड़क 50 गज बनाकर और कोई 100 गज बनाकर ही छोड़ दी गई । अब आगे बरसात आने वाली है और जितनी भी आपकी ये सड़कें बनी हुई हैं, सारी की सारी बह जायेंगी । इस हिसाब से करोड़ों रुपया हमारा नष्ट हो रहा है और जो भी सड़कें इस कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनी हुई हैं उनकी मरम्मत आदि के लिये किसी फन्ड आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये इर्रीगेशन की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि हम अनाज का उत्पादन बढ़ायेंगे और जो नारमल स्कीम, कार्माशयल स्कीम ट्यूबवेल्स लगाने के लिये चलाई जा रही है उसके अन्तर्गत किसी को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । इन्जीनियर और सेक्रेटरी कहते हैं कि अब वह स्कीम समाप्त हो गई है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह स्कीम क्या समाप्त हो गई ।

इसके अलावा टैक्स इवेजन को रोकने के लिये आपको डाइरेक्ट टैक्स लगाना चाहिये इन्डाइरेक्ट टैक्स नहीं लगाना चाहिये आज करोड़ों रुपया लगभग 50 करोड़ रुपया टैक्स का एरियर है और नये टैक्स लगाये जा रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और सरकार से चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको वह अमल करे ।

एक सदस्य—

मेरा विशेष खयाल करके समय दें....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

यहां बैठ कर किसी का विशेष ख्याल नहीं रखा जाता ।

श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 1974-75 के बजट के ऊपर कुछ अपनी बातें रखना चाहती हूं । मौजूदा बजट में जनहित को देखते हुये कुछ आवश्यक कदम उठाये गये हैं तथा सरकार का ध्यान एक गरीब वर्ग की तरफ भी गया है । शिक्षा की तरफ सरकार का ध्यान बराबर आगे बढ़ता जा रहा है। अनेक शिक्षण संस्थायें खोली जा रही हैं तथा बच्चों के लिये उचित मात्रा में आवास हेतु भी व्यवस्था की गई है जिससे पूर्वी जिले के हजारों निर्धन बच्चे लाभान्वित होंगे ।

(इस समय 3 बज कर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहती हूं कि उनका ध्यान पूर्वी जिलों की तरफ भी गया है । महोदया....

(हंसी) (चूंकि माननीय अध्यक्ष पीठासीन थे)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इसका स्पष्टीकरण कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आदत मुश्किल से जाती है ।

श्रीमती रामरती देवी—

महोदय, जहां सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ है, वहां कृषि की तरफ भी ध्यान देते हुए कदम उठाये गये हैं । काफी मात्रा में ट्यूबवेल्स में वृद्धि हुई है तथा अनेक किसानों को सुविधा के लिये साधन दिये गये हैं । इस प्रदेश की गरीब जनता जो इस सरकार के प्रति बहुत बड़ी आस्था और विश्वास लगाये बैठी थी, उसके हित में भी सरकार ने बहुत नये कदम उठाये हैं, जैसे हरिजनों की पुलिस में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा तत्काल लगभग डेढ़ हजार सिपाहियों की भरती की गई है और पुराने सिपाहियों में काफी मात्रा में हमारे नौजवान सिपाहियों को सहायक थानाध्यक्ष की ट्रेनिंग दी गई है, इसके अतिरिक्त गरीब तबके के लिये जो हमारे देश में बेकारी की समस्या है, जो रिक्शा चालक के रूप में हैं आदि, ऐसे लोगों की तरफ भी सरकार का ध्यान गया है । उनके लिये हमारी सरकार की तरफ से कुछ अनुदान की व्यवस्था की गई है । यह बेचारे ग़रीब बड़ी-बड़ी ऊंची दरों पर महाजनों से रुपया उधार लेते थे और ब्याज देने में ही इनका दिमाग और समय लग जाता था । आज इस सरकार के द्वारा उनको ऋण सम्बन्धी कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

इसके साथ-साथ वह हरिजन छात्र जो पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थे, किन्तु उनको जो छात्रवृत्ति दी जा रही थी, वह समय को देखते हुये, मंहगाई को देखते हुए बहुत कम थी, अतः उसमें भी हमारी सरकार द्वारा ड्योढ़ी वृद्धि की गई है । मान्यवर, इस तरह के सराहनीय कदम इस गरीब तबके के लिये उठाये गये हैं। आज उनमें सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो गया है । किन्तु जहां हमारा यह गरीब तबका इस सरकार की तरफ आंख उठाये रहा है अपनी आशा और विश्वास को लेकर वहीं जितने कानून उनके पक्ष में बनाये गये हैं, उसके

[श्रीमती रामरती देवी]

द्वारा जितना लाभ इस गरीब तबके को मिलना चाहिये ,नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है सरकार के कुछ कर्मचारी अथवा अधिकारी वर्ग। इन गरीब लोगों के, मैं कहूंगी ये लोग पूरे दुश्मन हैं। उनकी निगाह इन गरीबों की तरफ बिलकुल नहीं जाती है। उनके इन कारनामों को मौके पर देखा जा सकता है। मिसाल के रूप म चकबन्दी के सिलसिले में, आबादी के सिलसिले में कृषि हेतु सरकार के द्वारा जो इनको जमीन देने की व्यवस्था की गई है उसके सम्बन्ध में। आबादी के लिये सरकार द्वारा डेढ़ सौ वर्ग गज--लगभग एक बिस्वा जमीन इनको देने की व्यवस्था की गई है। इसमें अधिकारियों द्वारा जो कदम उठाये गये हैं, उसमें एक तरह का क्षोभ गरीब तबके में आज भी बना हुआ है। कहीं-कहीं यह अधिकारी गड्ढे, कहीं-कहीं घूरे पर या कहीं-कहीं डेढ़ मील या एक मील की दूरी पर आबादी की जमीन नाप देते हैं। महोदय, इतना ही नहीं, इस से ज्यादा भी देखने को मिलता है। हमारे फैजाबाद जिले के बरखारी ब्लाक में किछौछा गांव में 137 बिस्वा के करीब जमीन हरिजनों को देनी चाहिये। लेकिन 137 बिसुआ जमीन की जगह पर अधिकारियों द्वारा केवल 37 बिसआ जमीन दी गयी है। यह है उनके प्रति व्यवहार अधिकारी वर्ग द्वारा। कृषि हेत जमीन गरीबों को देने के लिये सीलिंग से बहुत कम जमीन निकली है और जो जमीन निकली भी है उसमें किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहीं-कहीं पर गरीबों को पट्टे दे दिये गये हैं लेकिन कृषक को यह बताया ही नहीं गया कि तम्हारा खेत कहां है और इसके साथ ऊपर से यह दयालुता का व्यवहार किया जा रहा है कि वह लगान भी अदा कर रहा है। यह है व्यवहार हमारे अधिकारी और कर्मचारी वर्ग द्वारा।

महोदय, यही नहीं। चकबन्दी में इन गरीब लोगों को जो अनपढ़ हैं, पैसे में कमजोर हैं, बुद्धि से कमजोर हैं, उनके साथ इस तरह से इन अधिकारियों का व्यवहार हो रहा है वह भी सब जानते हैं। ब्लाक के द्वारा गरीबों के लिये खाद और अन्य प्रकार की सुविधायें दी गयी हैं लेकिन होता क्या है कि गरीब वहां पहुंच ही नहीं पाता। बड़े-बड़े लोगों तक यह सारी सामग्री पहुंच जाती है। गांवों में आज हरिजनों के साथ व्यवहार क्या हो रहा है। यह गरीब तबका गांव के जबरदस्त लोगों के द्वारा किस तरह से पीटा जा रहा है। पुलिस इस दुर्व्यवहार को देखती रहती है। उसे गरीबों के प्रति कोई दया नहीं आती है। मैं अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कम से कम जहां आपने इन गरीबों के हित में इस तरह से लाभ के कदम कानून द्वारा उठाये हैं वहां इधर भी आपको ध्यान देना चाहिये। यदि उनके प्रति इस तरह से ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह नहीं रखी जायगी तो महोदय, इन गरीबों की हालत कानून के रहते हुये भी ज्यों की त्यों बनी रह जायगी। मैं आशा ही नहीं विश्वास रखती हूं कि अधिकारियों तथा कर्मचारी के लिये इस तरह का सख्ती का कदम हमारी सरकार उठायगी। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूं तथा मौजूदा बजट का पूर्ण समर्थन करती हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा --

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बजट की सामान्य चर्चा पर आपने हमें अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी जो नियोजन के विशेषज्ञ भी हैं उन्होंने इस बजट को तैयार किया है। अपेक्षा उनसे यह थी, उनसे कुछ विशेष आकांक्षाएं इस प्रदेश को थी कि एक नयी दिशा देंगे समाजवाद की ओर इस प्रदेश को ले जाने में। लेकिन जो हमने उनका बजट भाषण पढ़ा और जो कुछ अध्ययन करने का अवसर मिला, हमने देखा कि जिन लोगों के माध्यम से बजट तैयार किया गया है, मंत्रियों के पास तो समय है ही नहीं, जिस नौकरशाही ने यह बजट तैयार किया है, उसके दिवालियापन का यह एक सबूत है। गांधी जी ने एक बार कहा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुरानी बात है, अंग्रेजी में है —नो रिफार्म इज पासिबिल अनलेस रेचेड ऐंड डेप्लोरेबिल कंडीशन आफ इंडियन पीजेंट इज बेटर्ड। जब तक गांवों में रहने वालों की दशा वास्तव में नहीं सुधरेगी तब तक देश में कोई सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट को देख कर उन लोगों को प्रसन्नता होगी जो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इस बजट का तीव्र विरोध होना चाहिये था। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कोताही दिखाई गई है। यह पूंजीपतियों का बजट है, यह सरमायेदारों का बजट है, यह बड़े लोगों का बजट है, यह धनिकों का बजट है। यह उन लोगों के लिये बनाया गया है जिनके काले धन को लेकर सत्ता पक्ष ने गरीबों को खरीदने का काम किया है और चुनाव जीता है। आज भी काले धन के एवज में इस सरकार ने यह बजट पूंजीपतियों के लिये ही बनाया है।

मैं कुछ नीतिगत सवाल करना चाहता हूं। यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है। इसकी कुछ नीतियां होती हैं। यह सरकार आज राष्ट्रीयकरण के सवाल से कितना पीछे हट गई है। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का सवाल कहां चला गया, माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का सवाल कहां चला गया, टेक्सटाइल मिलों के राष्ट्रीयकरण का सवाल कहां चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह लोग इसी तरह से बराबर भागते चले जा रहे हैं। आपने जो अपने अधिवेशनों में प्रस्ताव पास किये हैं उनसे आप भागते चले जा रहे हैं। आज आप पूंजीपतियों के सामने घुटने टेकते चले जा रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीयकरण का सवाल स्वीकार किया। आप हरित क्रान्ति की बात करते हैं तो यह बात किस के लिये करते हैं। सरमायेदार लोगों के लिये हरित क्रान्ति की बात करते हैं, बड़े-बड़े लोगों के लिये यह बात करते हैं। फ्यूडल समाज जो टूट रहा था उसको इस क्रान्ति ने जमा दिया है। उसकी जड़ों को मजबूत कर दिया है। आप फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर्स किस को देते हैं। उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स हैं। इसी तरह से आप कर्जा और अनुदान उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं। जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स वाले लोग हैं उनको आप पैसा देकर उनके वोट खरीदते हैं। उनको आपने क्या दिया? उनको आपने कुछ नहीं दिया।

माननीय चौधरी साहब ने कहा है कि अलाभकर जोतों पर लगान माफ नहीं होना चाहिये। मैं अभी से कह देना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस मामले में जरा भी पीछे हटने की बात हुई, अलाभकर जोतों पर अगर पुनः लगान आयद करने की बात आई तो 70 परसेंट किसान बगावत करने के लिये निकल पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार को पीछे नहीं हटना है। इन को बिना पैसे के खाद तथा सिंचाई की सुविधा देनी चाहिये। डाक्टर लोहिया और जय प्रकाश जी और गांधी जी ने कहा था उससे आज भागने की बात हो रही है। क्या डाक्टर लोहिया के प्रति आप लोगों की श्रद्धा समाप्त हो गई है। आज आप लोग कहां जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा बुनियादी सवाल है। सवाल इस बात का नहीं है कि 2/4 रुपये किसानों के ऊपर लगान के पड़ जायेंगे बल्कि किसान और मजदूरों का सवाल है। हम इसके लिये हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे।

श्रीमन्, बताया गया है कि हमारी पर कैपिटा इनकम टैक्स 246 थी और वह आज 276 हो गयी है। आप तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधान मंत्री हैं, हमारे प्रदेश की नागरिक हैं। उनका रोज का खर्चा 35 हजार रुपया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के गरीब लोगों की, गरीब जनता की आमदनी 35 पैसा प्रति-दिन है। पूर्वी जिलों में 150 से 175 के बीच में है। यह सरकार आंकड़े देती है। इसी प्रदेश में ऐसे जिले हैं जहां की आमदनी 500 से भी ज्यादा है। हमारी प्रदेश के प्रति कोई अनास्था नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि इस बजट में पूर्वी उत्तर

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

प्रदेश के विकास के लिये कुछ नहीं दिया गया है । कोई भी योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये नहीं दी गयी है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां के नौजवान कलकत्ता की सड़कों पर लाठी लेकर कब तक पहरा देते रहेंगे, हम बम्बई के होटलों में कब तक प्लेटों को साफ करते रहेंगे । आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हिन्दुस्तान के कोने-कोने में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है ? इसलिये घूम रहा है कि यहां पर उसके लिये पेट भरने के लिए कोई साधन नहीं है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उन नौजवानों के लिये क्या किया ? मुझे खुशी है कि पहाड़ी जिलों के विकास के लिये आपने काफी प्रयास किया है, लेकिन आपको उसके विकास के साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का भी ध्यान रखना चाहिये था जिससे वे और अधिक न गरीब रहें और न पिछड़ने पावें । यदि सरकार ने पूर्वी जिलों के उत्थान के लिये कुछ न किया तो यह मेरा एलान होगा एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते कि यह सरकार पूर्वी जिलों के लिये कुछ नहीं कर पायी है इसलिये हमें अलग होना चाहिये और एक दूसरा प्रदेश बनाना चाहिये । उसे हमारी किस्मत पर छोड़ दीजिये । हमें करने दीजिए और तब देखिये । प्रदेश की 70 चीनी मिलों में से 28 चीनी मिलें हमारे सीने पर चल रही हैं और हमारी हालत यह है कि वहां के लोग यह नहीं जानते हैं कि बिजली के बल्ब क्या होते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह स्थिति कब तक रहेगी । आपकी नीतियां व्यवहार में बिलकुल असमाजिक हैं वे विशुद्ध पूंजीवादी नीतियां हैं ।

इस प्रदेश के सांगोपांग विकास के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है । आप बजट को पढ़ें । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने कई समस्यायें हैं । मेरा कहना है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके विकास के लिए अधिक धन दिया जाये और जो विकसित हैं उन्हें कम दिया जाये जिससे पूरा प्रदेश एक समान विकास कर सके । मेरा किसी से विरोध नहीं है । मैं तो पूरे देश को अपना घर मानता हूं । बजट में जिन बातों की अपेक्षा की गयी थी उनकी इसमें झलक नहीं दिखाई देती है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन सुझावों को मैंने रखा है उन पर विचार करेंगे और बजट में संशोधन करेंगे जिससे कि प्रदेश में व्याप्त पोलिटिकल इम्बैलेंस समाप्त हो सके और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसे दूर करने का प्रयास किया जाये ।

एक मिनट में मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं । यह सरकार भ्रष्टाचार से दबी हुई है । टाइम्स आफ इंडिया में इस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में साफ कहा गया है । मान्यवर, 25 करोड़ रुपये का सब-स्टैंडर्ड बजट दिया जाता है । यह विरोधीदल का कहना नहीं है । यह पंत नगर यूनिवर्सिटी के जो वाइस-चांसलर हैं यह उनका बयान है । दूसरा बयान इस अखबार में है । लेकिन स्थिति क्या है ? हम यह नहीं कहते कि अखबार सही है । सिंचाई मंत्री को 10 हजार प्रतिमास इंजीनियर्स ने रिश्वत दिये । मान्यवर, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं वहां पर परिवार नियोजन के नाम पर 72-73 में 900 लोगों की नसबन्दी हुई । वह 900 लोगों में से एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं रहता है । इस बारे में रिप्रेजेंटेशन हुआ । विभागीय अधिकारियों ने इन्क्वायरी की । वहां पर 50 हजार रुपये का भ्रष्टाचार करने वाला पर डाक्टर मौजूद हैं । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

एक सदस्य--

मान्यवर, हमको समय नहीं दिया जाता है और लोगों को दिया जाता है ।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, आज हमारी तरफ से एक आदमी कम बोले हैं ।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

माननीय, हमारी पार्टी से तो एक ही व्यक्ति बोले हैं ।

श्री विमल प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया । मैं इस समय खड़ा हुआ हूं उस बजट के समर्थन के लिये जिसे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रस्तुत किया । मैंने कल और आज जो इस बजट पर विचार हुआ उसको सुना और मुझको खेद हुआ--मा० चौधरी चरण सिंह जी, मा० माधव प्रसाद त्रिपाठी जी और विरोधी दल के अन्य सम्मानित सदस्यों के विचारों को सुनकर । जहां तक मैं समझता हूं कि इस बजट ने उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा दी, एक नया मोड़ दिया और जैसा कि मा० नेता विरोधी दल ने कहा कि आज कोई अगर हमारी आवश्यकता है तो वह है कि घाटे की अर्थव्यवस्था से छुटकारा पाया जाय । तो अब आज की आर्थिक स्थिति इतनी विषम हो और आज हम महंगाई के शिकार हों तो उस हालत में बहुत साहसिक तौर से कुछ कदम उठाने आवश्यक थे जिसे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उठा कर घाटे की अर्थ-व्यवस्था समाप्ति की दिशा में कदम उठाया है । मुझे खेद इस बात का है कि विरोधी दल के नेताओं ने बारबार इस पक्ष पर इल्जाम लगाये कि पूंजीवादी व्यवस्था को यह पक्ष पनपाता है । माननीय, इस बात का इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा चोट अगर किसी ने पूंजीवादी ताकतों को पहुंचाई तो वह 1947 के जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ आज तक कांग्रेस ने ही पहुंचाई है । मुझे आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जब यह कहा कि वे भूखे और नगों के प्रतिनिधि हैं और कांग्रेसी पंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अगर ये भूखे और नंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे बड़े-बड़े लोगों को चोट लग रही थी, तो उसके विरोध में क्यों समर्थन किया ? उन्हें तो हमारे साथ-साथ एक कतार में खड़े होकर यह कहना चाहिये था कि 14 नहीं समस्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । इसी प्रकार से जब 500 राजा-महाराजों के विशेषाधिकार व प्रिवीपर्स समाप्त करने का प्रश्न पार्लियामेंट में उठा तो इन भूखे नंगों के प्रतिनिधियों ने उनका समर्थन किया, उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठायी । आज ये लोग नाराज हैं । कल मैंने माननीय चौधरी चरण सिंह का भाषण सुना और आज माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का भाषण भी सुना । मुझे ऐसा लगा कि वे नाराज हैं अपने आप से और प्रदेश की जनता से जिसने इनका साथ नहीं दिया । ये माननीय बहुगुणा जी से भी नाराज हैं कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता ने बहुगुणा जी के नेतृत्व में विश्वास करके उनके हाथ में सत्ता की बागडोर दे दी ।

जहां तक इस सरकार और प्रदेश के मुख्य मंत्री का प्रश्न है, वे कांग्रेस के किये हुये वायदों को पूरा कर रहे हैं और निश्चित पूरा करेंगे । हमारे प्रदेश में जो संविद की सरकार बनी थी, जिसके मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह थे और जिसमें जनसंघ और अन्य दल भी शामिल थे, उनके भी वायदों को यह सरकार और माननीय बहुगुणा जी पूरा कर रहे हैं । इस सरकार ने भूमि भवन कर का निरसन किया, जो संविद सरकार नहीं कर पायी थी ।

जहां तक टैक्सों का प्रश्न है अगर आप देखें तो पायेंगे कि इन टैक्सों का सारा का सारा बोझ गरीब आदमियों पर न पड़ कर बड़े-बड़े आदमियों पर ही पड़ा है । यह भी यहां पर कहा गया कि पूंजीवादी शक्तियां कांग्रेस को खरीद लेती हैं । अगर उनमें ऐसी शक्ति होती तो 1947 में बड़े-बड़े जमींदारों ने कांग्रेस को खरीदकर अपनी जमींदारी बचा ली होती और अगर 500 राजा-महाराजाओं ने कांग्रेस को खरीद लिया होता तो उनकी रियासतें न चली जातीं और फिर जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो बड़े-बड़े आदमियों के बैंक न जाते । कांग्रेस की नीतियां स्पष्ट और साफ हैं और उस पर उंगली उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

[श्री विमल प्रसाद]

जहां तक इस बजट का प्रश्न है इसमें घाटे की व्यवस्था से लड़ने के लिये साहसिक कदम माननीय नारायण दत्त तिवारी ने उठाये हैं । बजट में होटलों पर टैक्स लगाया गया है। यह कदम बहुत ही प्रशंसनीय है और ऐसा है जिसके लिये वे बधाई के पात्र हैं ।

इस संबंध में, मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि एक आवश्यक वस्तु निगम 50 लाख रुपये से कायम होने जा रहा है । मेरी प्रार्थना है कि जो आवश्यक वस्तु निगम बने, उसकी दशा कहीं सुपर बाजार जैसी न हो । उसके हर पहलू को सोच लेना चाहिये ताकि वह जनहित में कार्य कर सके । वह कहीं सुपर बाजार की तरह से घाटे में न चलने लगे ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के द्वारा हरिजनों के क्षेत्र में बड़े-बड़े कार्य हो रहे हैं, उनकी छात्रवृत्तियां बढ़ायी गयी हैं, उनके नौकरियों में अधिकार सुरक्षित किये गये हैं । उनको भूमि देने की बात भी की गयी है । मैं इस संबंध में एक सुझाव माननीय मंत्री को देना चाहता हूं कि वे शहरी क्षेत्र में रहने वाले हरिजनों के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि नगरपालिकाओं की जमीनों को जिसे बड़े-बड़े आदमी कब्जे में कर लेते हैं, शहर में बसने वाले हरिजनों को भी आवास के लिये आवंटित करने के आदेश दिये जायं । इस सुझाव पर वह विचार करें ।

इसी के साथ-साथ एक सुझाव और देना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रक कार्य के लिये इस बजट में 2,73 लाख रुपये की धनराशि निश्चित की गयी है। मैं राजेपुर ब्लाक से आता हूं जो गंगा और रामगंगा नदियों के बीच में बसा हुआ है । जब इन नदियों का तांडव होता है तो उस भीषण तांडव का यह ब्लाक हमेशा शिकार होता है । दसियों साल से वहां की जनता यह आशा लगाये बैठी है कि कब उसकी बात सुनी जायगी । मैं नम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां का सर्वे करा कर बाढ़ नियंत्रक कार्य के लिये एक योजना बनायी जाय और शनैः शनैः राजेपुर ब्लाक को बाढ़ से बचाने के लिये प्रयास किये जायं ।

बजट भाषण में यह कहा गया कि बुनकरों के लिये जो एक कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिये कर्जे की व्यवस्था की गयी है । मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे फर्रुखाबाद क्षेत्र में लगभग 6 हजार बुनकर हैं । वह यह भी पता करने का प्रयास करें कि उनमें से कितने लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कर्जा दिया है । मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय और लघु-उद्योग के मंत्री भी उपस्थित हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि वे बुनकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें जोकि देश और आपके प्रदेश को 3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी अर्जित करके देते हैं ।

एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। सरकार द्वारा कई ऐसी समाज के कमजोर वर्ग के हित के लिए कार्यक्रम चलाये गये हैं। एक है वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसके अनुसार ऐसे वृद्धों को पेंशन दी जाती है जिनका कोई सहारा नहीं होता । दूसरी योजना है निराश्रित विधवा पेंशन योजना । मैं एक सुझाव वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि इन पेंशनों के मिलने में नौकरशाही बड़ी दिक्कत डालती है । कभी-कभी ऐसा होता है कि पेंशन के लिए प्रार्थी स्वर्गवासी हो जाते हैं तब उनकी पेंशन मंजूर होती है। इसलिये वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन को समयबद्ध कर दिया जाय, प्रार्थना-पत्र देने के बाद एक निश्चित अवधि में उस पर आदेश हो जायं । वह मंजूर हो या नामंजूर हो जाय ताकि समुचित लाभ उसका प्रार्थी को मिल सके । इसी के साथ-साथ अगर संभव हो सके तो लेबर कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के बजाय इसके लिये जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया जाय और वे वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित विधवा पेंशन को स्वीकृत करें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट में दिये गये कर प्रस्तावों और इस बजट का पूरे जोर से समर्थन करता हूं और साथ ही साथ एक बात बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, यह बहुगुणा मंत्रिमंडल कभी रुकने वाला नहीं है · · · (हंसी) एक माननीय

सदस्य कह रहे थे कि बहुगुणा जी तेजी से भागे जा रहे हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि बहुगुणा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भागेगा-तेजी से गरीबी मिटाने की तरफ, भागेगा असमानता मिटाने की तरफ और तेजी से भागेगा समाजवाद की तरफ, धन्यबाद ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि प्रस्तुत बजट पर जो मैं अपने विचार प्रकट करूंगा उस पर न तो कोई ध्यान दिया जायगा और न उस पर कोई कार्य किया जायगा । लेकिन फिर भी, एक बार डा० राम मनोहर लोहिया ने लोक सभा में बोलते हुए कहा था कि "मैं उस जहाज पर सवार हूं जो वह लोग चलाते हैं जो हमें विरोधी कहते हैं । वह जहाज बेतहाशा उस दिशा की ओर चला जा रहा है जहां एक बहुत बड़ी चट्टान है और यदि इसी तरह से उसी दिशा की ओर जहाज चलता रहा तो वह जहाज चकनाचूर हो जायगा । मैं भी उस जहाज पर सवार हूं । इसलिये उसके विनाश के साथ मेरा भी बिनाश निश्चित है । इसीलिये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि इस जहाज को रोको और दिशा बदलो । लेकिन मैं जानता हूं आप ऐसा करेंगे नहीं । मैं प्रदेश के कोने के उन नागरिकों का प्रतिनिधि हूं जिनके मन में एक बहुत बड़ी व्यथा थी और वर्तमान परिस्थितियों की एक घबराहट थी । उस घबराहट और मनोव्यथा को व्यक्त करने के लिये मैं यहां आया हूं ।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में यह कहा है कि प्रदेश खुशहाली की ओर चला जा रहा है और प्रदेश की आय बढ़ती जा रही है और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है । इस संबंध में उन्होंने तमाम आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं । उन्होंने कहा कि 1960–61 में प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय उस समय के मूल्य के आधार पर 246 रुपये थी और 72–73 में 270 रुपये थी उसी मूल्य के आधार पर 1973–74 में 273 रुपये थी । जो जरा भी अर्थ-शास्त्र का विद्यार्थी होगा उसको इससे बड़ी निराशा होगी क्योंकि 73–74 में अगर 273 रुपये आमदनी है तो उनके यह आंकड़े बिल्कुल गलत हैं । सन् 61 में एक रुपये का जो क्रय मूल्य था वह आज एक-तिहाई रह गया है । यानी तीन गुना चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं । यदि इस समय 738 रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी होती तो मान लिया जाता कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसी की तैसी है । इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी आप ईमानदारी से स्वीकार कीजिए और युद्ध स्तर पर मिल बैठकर बजट बनाइये ।

उत्तर प्रदेश अब दिन प्रति दिन नीचे की तरफ लुढ़कता चला जा रहा है । इसके लिये आप कहते हैं कि मुद्रास्फीति है और वह सारे विश्व की समस्या बन गयी है । लेकिन आपका तर्क बे मतलब है । आपका यह तर्क बच्चे जैसा है जो बच्चा अपनी परीक्षा में फेल हो जाता है और फेल होकर खिसियाए मन से घर जाता है लेकिन फिर भी अकड़ कर अपने मां बाप से कहता है कि मैं ही फेल नहीं हुआ हूं, पड़ोस के मकान वाले रामू और दिनेश भी फेल हो गये हैं । इस बजट में दो चीजों पर आपका दिमाग होना चाहिये । एक तो बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की ओर और दूसरे मुद्रा स्फीति को कम करने की ओर । अगर इन दो चीजों पर आपका दिमाग होता और मंहगाई रोकने की बात होती तो आप प्रदेश की खुशहाली की बात कह सकते थे लेकिन आपने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । अगर इसी तरह से कीमतें बढ़ती गयीं तो आपकी सारी योजनायें बे मतलब हो जायेंगी और आप के प्रदेश का आर्थिक ढांचा टूट जायगा क्योंकि आप वर्तमान मंहगाई के आधार पर योजनायें बनायेंगे ।

आज आपकी योजना है कि इसमें 10 करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जब तक आपकी योजना समाप्त होगी तब तक उसमें कितना रुपया लग जायगा । इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है । सिंचाई मंत्री जी बैठे हुये हैं । वह जानते हैं कि सन् 1959 में रामगंगा परियोजना कालागढ़ पांच वर्ष की योजना थी और उस पर 27 करोड़ रुपया खर्च होना था । अब 30 जून को वह समाप्त होने वाली है । 5 के बजाय 15 बर्ष लग गये इसीलिये 27 करोड़ की जगह 133 करोड़ रुपये लगने जा रहे हैं । यह साफ है कि वहां के भ्रष्ट अधिकारियों नें इस योजना को लागू नहीं होने दिया क्योंकि

[श्री मुलायम सिंह यादव]

अगर यह योजना समय से पूरी हो जाती तो जिन अधिकारियों ने लाखों रुपया कमाया है वह न कमा पाते । अगर आप वहां जाकर पता लगायें तो आपको मालूम होगा कि एक पत्ता की कीमत 10 रुपये दी गई है जब कि और जगह उसी एक पत्ता की कीमत दो रुपये दी जाती है। इस बात को अगर आप नीचे के छोटे-छोटे कर्मचारियों से पूछेंगे, मजदूरों से पूछेंगे तो सही जानकारी आपको हो सकती है । जब आप और आपके रिश्तेदार वहां पहुचते हैं और उनका अच्छी तरह से स्वागत हो जाता है, आपको इसी से खुश नहीं हो जाना चाहिये । जो काम अब तक 13 वर्षों में हुआ है वह काम अब अगले दो वर्षों में होने जा रहा है । इसी से आपको पता चल जायेगा कि पहले कितने भ्रष्ट अधिकारी थे । वहां अधिकारियों के घरों में जो टिल्लू पम्प और एग्जास्ट फैन लगे हुये हैं उनकी वहां कोई जरूरत ही नहीं है । इसी तरह के जाने कितने फजूल के खर्चे हो रहे हैं । मेरा यह स्पष्ट मत है अगर शुरू से ही उत्पादन के साधनों को बढ़ाया गया होता तो यह प्रदेश काफी खुशहाल हो गया होता .....
(लाल बत्ती होने पर) 10 मिनट और दे दें श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष—

4 बजे से दूसरा कार्य लिया जायगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस बजट में मान्यवर, हरिजनों के लिये 5,750 मकान तथा गांव में 744 कुवें बनवाने का जिक्र है । इससे उनकी समस्या हल नहीं होगी । इसके स्थान पर अगर आपने हरिजनों को किसी काम में लगाया होता, कोई फैक्टरी खोलकर उसमें केवल हरिजनों को ही रखा होता, तो उससे हरिजनों को नौकरी मिलती और फिर वे अपने पैसे से मकान बनवा लेते और कुवें आदि भी खुदवा लेते । पहले राजा महाराजा जिस प्रकार सदाबृत बांटा करते थे, उसी प्रकार आपने इनके लिये कुछ घोषणायें कर दी हैं, मगर ऐसा करके आप भले ही हरिजनों के हिमायती बन जायें, मगर इससे उनका भला होने वाला नहीं है । उनका भला तो तभी होगा जब आप उनको किसी काम में लगायें, उनको नौकरी दिलवायें । यह सारा पैसा जो आप अनुत्पादक कामों में खर्च कर रहे हैं इसको उत्पादक कामों में खर्च करना चाहिये था । उससे उनका अधिक लाभ होता । मगर इस तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया ।

आप ब्यूरोक्रेसी का बराबर विकास कर रहे हैं । आज तक जितना पैसा आपने बिभिन्न आयोगों पर खर्च किया अगर उसे अन्य किसी काम में लगाया होता तो उससे काफी प्रदेश का भला हुआ होता । जितने आयोग आपने बिठाये हैं, अगर किसी मंत्री से पूछा जाय तो वह यह भी नहीं बता सकेगा कि कितने आयोग हमने बिठायें हैं । वे उनके नाम भी नहीं बता सकेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप महंगाई को रोकना चाहते हैं तो मुद्रा-स्फीत को पहले रोकिये और अगर इसको आप रोक नहीं सकते हो तो इस काले धन को समाप्त कीजिये । लेकिन मंत्री जी मैं जानता हूं कि आप इस काले धन को समाप्त नहीं करेंगे । क्यों समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि यदि काला धन समाप्त हो गया तो यह जो चुनाव आप लड़कर और जीत कर आते हैं, लाखों रुपया जो आप खर्च करके आये हैं वह समाप्त हो जायगा । यह सरकार काले धन के बल पर जीत कर आयी है । इसलिये मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस काले धन को समाप्त नहीं करेंगे ।

एक सदस्य—

आप कैसे चुनाव जीत कर आये हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

इसीलिये आप अगर महंगाई को रोकना चाहते हैं तो इस काले धन को समाप्त करना होगा डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर महंगाई रोकना चाहते हैं तो दामो को

बांधो । हर चीज की कीमत उसके डेढ़ गुनी कीमत से ज्यादा पर न बिके और इससे ज्यादा कोई लाभ न उठा सके ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप निश्चित तौर पर दाम बांधिये । आप दाम बांधने और काले धन को रोकने में असफल रहे हैं । मैं इसीलिये इस बजट का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ने इस बजट के ऊपर मुझे बोलने को आज्ञा दी । 1974–75 का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और आपके सामने है और मैं समझती हूं कि इतनी खूबी के साथ यह बजट बनाया गया है कि जिसके लिये अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

यह बजट गरीब जनता का बजट है यह बजट हमारे रिक्शा चलाने वाले भाइयों का बजट है । इसमें हमारे छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को स्थान है । इसमें जमा खोरों के रोकने को स्थान है । इसमें विरोधी पार्टियों को कुछ लाभ नहीं है इसलिए वह इस बजट का विरोध कर रहे हैं और मुझे रोक रहे हैं ।

(शोर)

इसलिए मैं अपने वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं । अभी एक साहब ने कहा कि यह बजट नौकरशाही का नमूना है । मैं कहना चाहती हूं कि नौकरशाही 1947 के पहले भी थी । नौकरशाही अंग्रेजों के जमाने में भी थी । यह बजट बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है । विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि यह बजट नौकरशाही की उपज है । तो मैं कहना चाहती हूं कि यह बजट हमारे उन नेताओं के ब्रेन की उपज है जिनके सामने समाजवाद, प्रजातंत्रवाद की मंजिल है । जिनके सामने उन्नत भविष्य की मंजिल है । यह बजट उन ब्रेनों की उपज है ।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें ।)

मैं विरोधी पार्टियों को कई दिनों से देख रही हूं जबसे यह असेम्बली शुरू हुई है ।

(शोर)

जितना आप टान्ट कीजिएगा उतना ही मैं बोलूंगी । अध्यक्ष महोदय, आप एक महिला के साथ न्याय करेंगे ।

श्री जंग बहादुर (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है । मेरा निवेदन है कि आप शांति के साथ अपना व्याख्यान दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारी जो अगली पंच वर्षीय योजना है उसके साथ इसका कितना समन्वय है और कितना पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए यह सहयोगी हो सकता है । हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना जो आर्थिक समानता की तरफ हमको ले जाती है, जो न्याय की तरफ ले जा रही है, जो गरीबी हटाओ का स्वप्न देख रही है—इस पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने में कितना यह बजट कामयाब हो सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी]

है इसको देखना है। तो मान्यवर अगली पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए जो यह बजट बनाया गया है उसका मैं स्वागत करती हूं तथा उसका मैं सम्पूर्ण समर्थन करती हूं। इसमें हमने देखा कि आय और व्यय का जहां तक सम्बन्ध है इसमें 18 करोड़ रुपए का घाटा है। पिछली बार यह घाटा 28 करोड़ रुपए का था लेकिन इसको कम करके 18 करोड़ रुपए का घाटा हमारे सामने पेश हुआ है। घाटे की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत लोगों की राय उसके खिलाफ है। लेकिन मैं समझती हूं कि जब बड़ी-बड़ी योजनायें हमारे सामने हैं और सम्पूर्ण राष्ट्र जिसमें 55 करोड़ मानव रहते हैं। उनकी तरक्की के लिए जब हम उनको यह स्वप्न दिखाते हैं कि किसी दिन चांद के ऊपर सैर के लिए जायेंगे और बच्चों के जनेऊ तथा शादी चांद के ऊपर होंगी। हमको यह देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार उसके लिए अर्थ व्यवस्था करें। अर्थ व्यवस्था करने में घाटा अवश्य सामने आयेगा। लेकिन उस घाटे से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि घाटे को हम प्रोडक्शन के द्वारा पूरा करेंगे। जैसेकि जब आप अपने घर में अपनी लड़की की शादी करते हैं तो बजट में पूरा घाटा ही घाटा नजर आता है। परन्तु जब लड़की लाल-लाल साड़ी पहन कर ससुराल जाती है तो उससे लड़की के पिता को खुशी होती है। तो इस प्रकार उसमें जो खर्च होता है और बजट में घाटा आता है तो उसकी पूर्ति वह किसी प्रकार करता है। तो मैं समझती हूं कि इस घाटे की व्यवस्था के कारण एक प्रेरणा मिलेगी जिससे कि हमारा प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा।

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह अनुरोध करती हूं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जितना हमारा पैसा बजट के अन्दर है वह प्रोग्रेसिव योजनाओं के लिए ठीक से खर्च हो। यह पैसा इधर उधर बेकार में न खर्च किया जाय इसका ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो इन-इफिसियन्सी है वह दूर होनी चाहिए। लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जहां-पर भी है वहां इनइफिशियेंसी है। कर्मचारी बेईमान हैं, अधिकारी आदि नौकरी पेशा करने वाले सभी लोग बेईमान हैं। यदि ये सभी बेईमान हैं तो देश की यह तरक्की कैसे हो गई है। हमारे साइंटिस्ट, आर्मी जर्नल्स, फिलास्फर्स इत्यादि संसार में अच्छे माने जाते हैं, तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दुनिया में अच्छी पोलीटीशियन्स मानी गई हैं। परन्तु हिन्दुस्तान में यह एक कहने की ट्रेडीशन बन गई है कि सब बेईमान हैं। यह वह देश है जिसमें एक करोड़ रुपए में कश्मीर को अंग्रेजों के हाथ बेचा।

(व्यवधान)

मैं समझती हूं कि जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे देश ने जो तरक्की की है, जो कदम बढ़ाये हैं उन सबका सबूत है अणु विस्फोट। यह भारत वर्ष के इतिहास में बहुत भारी घटना है। (व्यवधान)

मैं महिला होने के नाते अपनी गवर्नमेंट को इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने महिलाओं की तरक्की के लिए महिला मंडल योजना को चलाया। (व्यवधान) महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, हरिजनों को सुविधा के लिए कदम बढ़ाये हैं। शिक्षा के सिलसिले में भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप यूनीवर्सिटी खोल रहे हैं। (व्यवधान)

मैं बहुगुणा जी की और वित्त मन्त्री की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने गरीबों का बजट आपके सामने पेश किया है। (व्यवधान)

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। एक विस्मिल अखबार है उसमें यह छपा हुआ है कि मैं किसी इंजीनियर जिसका नाम रफीक मियां है उनसे 10 हजार रुपए महीने

लेता हूं। मैं इस बारे में चैलेंज करता हूं कि अगर कोई यह साबित कर दे कि मैं 10 पैसे भी लेता हूं तो मैं मिनिस्टरशिप से और मेम्बरशिप से भी इस्तीफा दे दूं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

माननीय, आपने अखबार से पढ़ने के लिए मना किया था इस समय आपने क्यों इजाजत दे दी !

श्री अध्यक्ष—

अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया गया है और अगर मन्त्री इस सम्बन्ध में सफाई देते हैं तो आपका क्या नुकसान है। जब मन्त्री यह चुनौती के साथ कहते हैं कि कोई इसे साबित कर दे तो आप इस चैलेंज को लेने के लिए क्या सामर्थ नहीं रखते हैं ! अगर कोई मेम्बर आरोप लगाता है और मना करने पर भी पढ़ता है तो क्या किया जा सकता है। मैंने उस दिन कह दिया था कि कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। जब आप आरोप का संकेत करते हैं तो मन्त्री को स्पष्टीकरण का अधिकार है और उस अधिकार के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने यह कथन जो कहा उसकी अनुमति दी गई।

एक सदस्य—

अब तो यह कार्यवाही का अंश हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको कार्यवाही से काटा नहीं था। किसी ने इल्जाम लगाया तो उसका स्पष्टीकरण दिया है।

*कुंवर श्रीपाल सिंह—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट पेश हुआ तो इसके उपस्थितकर्ता नारायण दत्त जी के प्रति मैंने सोचा कि यह वही तिवारी जी हैं जो हम लोगों के साथ इधर बैठा करते थे और सरकार की तरफ से जब बजट पेश होता था तो अपनी विद्वतापूर्ण वक्तृता और ओजपूर्ण भाषण से उस बजट के परकचे उड़ा दिया करते थे और बराबर कहा करते थे कि घाटे की अर्थ व्यवस्था मुद्रा स्फीति की जननी होती है। हम लोग समझते थे कि तिवारी जी अध्ययन के बाद ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन आज तिवारी जी द्वारा वही घिसी पिटी परम्परानुसार घाटे की अर्थ व्यवस्था का बजट पेश किया गया तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। दुःख इस बात से हुआ कि हमारे साथी जो विरोध के आदमी थे इधर कुछ भाषा बोलते थे और उधर अब कुछ भाषा बोलते हैं। मैं उन्हीं की बातों को दोहराना चाहता हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा। आंकड़ों के लिए चौधरी साहब उधर रहा करते थे और उधर से आंकड़े पेश किये जाते थे। अब इधर से आंकड़े पेश करके चौधरी साहब ने बजट के परकचे उड़ा दिये। इस मामले में मुझे बहुत कुछ निवेदन नहीं करना है। दो बातों से मुझे दुख हुआ। एक तो इससे कि घाटे की अर्थ व्यवस्था का बजट तिवारी जी ने पेश किया जिसका वह हमेशा विरोध किया करते थे। इससे इंफ्लेशन बढ़ेगा, रुपए का दाम कम होगा, चीजों के दाम बढ़ेंगे, जिनकी मुस्तकिल आमदनी है वह आन्दोलन करेंगे, सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाएगी जिससे और मुद्रा स्फीति होगी और चीजों के दाम बढ़ेंगे और इस तरह से इस विसस सर्किल को हम तोड़ नहीं सकेंगे।

दूसरी चीज जो सबसे दुख की है वह यह कि इस बजट में तिवारी जी ने एक बड़ी भयंकर चीज कह दी है और वह यह कि शिक्षा शीर्षक के अन्दर उत्तर प्रदेश में त्रिभाषा फार्मूला इन्होंने लागू कर दिया है। त्रिभाषा फार्मूला उन प्रान्तों के लिए है जहां कि प्रान्तीय भाषा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

अलग है, राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है और सम्पर्क भाषा अंग्रेजी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप थोड़े से वोटों के लालच में इतनी भयंकर भूल करने जा रहे हैं जिसके लिए आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। इसी असेम्बली के अन्दर पाकिस्तान की भूमिका बनी थी। यही भवन है। उस समय के मुस्लिम लीग सदस्य ने यहीं उत्तर प्रदेश में मौजूद पाकिस्तान की भूमिका बनाई थी और आज आप पुनः उसमें एक ईंट रख रहे हैं।

मुझे उर्दू भाषा से विरोध नहीं है। उर्दू भाषा बोलने वालों से विरोध नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो मनोवृत्ति है, उससे अवश्य विरोध है और उसके लिए जितना भी मुझसे हो सकेगा, मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि त्रिभाषा के लिए उत्तर प्रदेश में किस आधार पर उर्दू को प्रोत्साहन दिया जायगा? इस प्रान्त में हिन्दी तो होगी यू० पी० की भाषा। अंग्रेजी होगी सम्पर्क भाषा। तो क्या उर्दू यहां की तृतीय भाषा है? क्या नारायण दत्त जी हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि वास्तव में जिसको उर्दू कहते हैं, जो अरबी और फारसी की मिक्स्ड भाषा होती है, जिस उर्दू के लिए झगड़े होते हैं, वह उर्दू भाषा क्या हमारे प्रान्त की भाषा है कि जिसको आप त्रिभाषा के रूप में लाकर हमारे यहां स्थान देने जा रहे हैं? श्रीमान जी, जब राष्ट्रपति शासन हुआ, उस बीच में जायज या नाजायज, हर ढंग से उर्दू का नाम लेकर और क्या-क्या चीजें की गयीं, वे बातें न तो नारायण दत्त जी से छिपी हैं और न मुझसे और न ही इस प्रदेश की जनता से छिपी हैं। तो प्राथमरी स्कूलों में उर्दू के अध्यापक रखना आवश्यक है, चाहे पढ़ने वाले लड़के हों या न हों। श्रीमान जी यही स्थिति डिग्री कालेजेज में आगे प्रसारित हुई कि आप अपने यहां यदि उर्दू विभाग खोलें तो विभाग की स्वीकृति के लिए बीच के जितने भी स्टेप्स हैं, उनकी आवश्यकता न पड़ेगी और सीधे स्वीकृति मिल जायेगी। मान्यवर, क्या यह विचित्र बात नहीं? मान्यवर, मुझे बड़ा दुख तब हुआ जब बहुगुणा जी ने, (चाहे मजाक में ही कहा हो या बिल्कुल हल्के मूड में कहा हो), माननीय चौधरी साहब के भाषण के बीच में जवाब दिया कि मुझे भी हिन्दी नहीं आती और आपको भी नहीं आती। मैं समझता हूं कि ये बातें जो हैं, वे खलने वाली बातें हैं। माननीय बहुगुणा जी उस स्थान के रहने वाले हैं, उनका जन्म स्थान ऐसी जगह पर हुआ है, जहां पर पर्वतों ने हिन्दी को अपने अंचल में छिपा कर रखा है। वे ही तिवारी जी और बहुगुणा जी अगर इस किस्म की बात करेंगे कि मुझे हिन्दी नहीं आती है तो मुझे दुख होता है।

एक बात मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय गहुगुणा जी अपनी सारी पुरानी परम्पराओं को तोड़कर आजकल जबर्दस्ती फारसी और अरबी के शब्दों को अपने भाषणों में घुसेड़ना शुरू कर दिया है। मैंने कई बार बहुगुणा जी की स्पीच रेडियो पर सुनी। मुझे ऐसा मालूम पड़ा, जब वह अपनी स्पीच में उर्दू के शब्दों को जबर्दस्ती घुसेड़ रहे थे, कि मानों रेशम की साड़ी में टाट के पैबंद जोड़ रहे हों और यह भी लगा कि ये पेवन्द दिल से नहीं निकल रहे हैं, मस्तिष्क से नहीं निकल रहे हैं, बल्कि केवल गले से निकल रहे ह और वह भी महज इसलिए कि कुछ थोड़े से वोट हाथ में आ जायं। इसलिये मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी और बहुगुणा जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस गल्ती को पुनः न दुहरायें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी यह थोड़ी सी भूल आगे चलकर नये पाकिस्तान का सृजन कराये। कृपया देश को इस भयंकर स्थिति से बचाने की कृपा करें। किन्तु मेरा यह मतलब नहीं कि मेरा उर्दू से विरोध है। इसीलिये मैंने पहले भी कह दिया है कि मुझे उर्दू से विरोध नहीं है। उर्दू भाषा हमारी भाषा है। उर्दू दे वनागरी में लिखी जाय, उर्दू के शब्द, दीवान हिन्दी लिपि में हो उससे हम को कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने देखा शपथ के समय देखा क्या हुआ? संविधान की अनुसूची 3 में उसका प्रारूप दिया हुआ है। जिस समय कोई नामिनेशन पेपर फाइल करने जाता है और चुनाव की बोटर

लिस्ट में नाम गलत लिखा हुआ है तो क्या वह वही लिखता है जो गलत लिखा हुआ है अथवा शुद्ध करके लिखता है ? कानूनी दृष्टि से मच्छिका स्थान मच्छिका होता है लेकिन यहां शपथ का जो प्रारूप अनुसूची 3 में दिया हुआ है उसके अतिरिक्त भी ली गयी । एक सज्जन ने कहा कि साहब हम कसम फारसी भाषा उर्दू लिपि में लेंगे और दूसरे ने तोड़ मरोड़ कर शपथ ली इसके पीछे कौन सा षडयंत्र चल रहा है ? उर्दू के नाम पर भयंकर षडयंत्र चल रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है ।

मैं अपने क्षेत्र की बात भी निवेदन कर दूं कुछ चन्द शब्दों में भारतवर्ष पिछड़ा हुआ प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ भाग है पूर्वी भाग और पूर्वी भाग में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है सुल्तानपुर । उस क्षेत्र की ओर मंत्री जी ध्यान देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

जौनपुर का नाम आप नहीं ले रहे हैं ?

कुंवर श्रीपाल सिंह---

जौनपुर तो क्या हमारे लिये तो सारा भारतवर्ष एक है । हमारा राष्ट्र एक है । हम उस राष्ट्र के रहने वाले एक हैं, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है । लेकिन मैं इस विषय पर पुनः नहीं आना चाहता । मेरा यह छोटा सा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में कुछ नलकूपों की व्यवस्था करा दी जाय, वहां की सड़कों पर थोड़ा ध्यान दिया जाय और अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो नहर की पटरियां जितनी हैं उनको पी0डब्लू0डी0 में ले लिया जाय।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---

पहले सिंगरामऊ नहर पर काम शुरू होगा ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

वह आपका क्षेत्र है । उसको आप जानिये । मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र के लिये निवेदन कर रहा हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

दोनों ने तय कर लिया है ?

कुंवर श्रीपाल सिंह---

अभी तो बहुत सी बातें तय करनी हैं ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य भी उसी निर्वाचन क्षेत्र के है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वह तो मालूम है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा जो गेहूं के बदले सीमेंट तथा कपड़ा आदि देने से भ्रष्टाचार फल रहा है । सीमेंट आप दें लेकिन जिसको जरूरत हो उसे दें। जिसे सीमेंट की जरूरत नहीं है गेहूं के बदले अगर आप उसे सीमेंट देते हैं तो किस नीयत से देते हैं ? सीधे-सीधे ब्लाक के बी0डी0ओ0 होते हैं वह कहते हैं कि आप सीमेंट ले लीजिये और गेंहूं की कीमत को कम्पेनशियेट करने के लिये उसे ब्लेक में बेच दीजिये । जब सरकार ऐसा कहती है तो भ्रष्टाचार फैलाने का यह तरीका हो जाता है । इस ओर मुख्य मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि इससे पूरी जनता करप्ट हो रही है । जिसको जिस चीज की जरूरत है उसे आप दें जरूरत न होने पर उसे वह चीज देकर आप समाज को भ्रष्ट न करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी पुरानी स्पीच याद करें और इस घाटे की व्यवस्था को ठीक करें तथा एक संतुलित बजट रखें ।

श्री अध्यक्ष—
इस पर कल विवाद जारी रहेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—
आज कुल पांच सूचनायें नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है । पहली माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा की है जिसमें उन्होंने शुगर मिल पिपराच गोरखपुर की नीलामी की सूचना दी है कि इस मिल पर सरकार का 80 लाख रुपया बकाया है । और हो सकता है कि यह किसी दूसरे क्षेत्र में लगे । तो इसकी यदि नीलामी होनी होगी तो अब तक हो गयी होगी । क्यों कि यह आज ही होनी थी।(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा से) आपको कैसे मालूम कि नीलामी आज हो रही है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—
मान्यवर, नीलामी हो गई होगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी । इसमें 80 लाख रुपये सरकार के बकाया है और इस मिल के 1 हजार आदमियों का भविष्य क्या होगा, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है, मुख्य मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दें ।

श्री मधुकर दिधे (जिला गोरखपुर)—
मान्यवर,इसी सिलसिले में हमने भी आपको पहले लिख कर दिया था (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष—
अगर नियमों के अनुसार कोर्ट या अदालत के जरिये से नीलामी हो रही हो तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—
मान्यवर, उस दिन जब प्रश्न उठाया गया था कि नीलामी हो रही है और एक हजार आदमियों के भाग्य क सम्बन्ध में सरकार का क्या रुख है उस सम्बन्ध में पूछा गया था तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—
मान्यवर, यह मिल सरकारी नियंत्रण में चल रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि और भी जो मिले सरकार के नियंत्रण में चल रही है क्या उनका भाग्य भी इसी तरह होगा ?

श्री अध्यक्ष—
जैसे कि मैंने सबेरे कहा था, जो बात सही हो उस पर वक्तव्य हो भी सकता है लेकिन हम किसी कायदे कानून के अन्तर्गत ही वक्तव्य दिला सकते हैं । लेकिन जैसा कि आप लिखते हैं कि "भविष्य में इस मिल का" "निश्चित नहीं है" "संभव है कि" आदि लिखते हैं तो उसके स्वीकार करने में अनिश्चितता आ जाती है । आज सबेरे एक प्रश्न माननीय गर्ग साहब ने उठाया था और वह बहुत अच्छा था । मैं कहता हूं कि बहुत से वैज्ञानिक देश में हैं, बहुत से प्रोफेसर हैं और बयान देते रहते हैं, उस पर हम चर्चा ही करते हैं । आपके क्षेत्र के अधिकारी हैं, और आपके ऊपर हैं । आज प्रदेश के प्रशासन का जो कार्य है वह इस विधान सभा की देख-रेख में होता है तो उस दृष्टि से आप मनस्विता में सबसे बड़े हैं । लेकिन आप जो आशंकित स्थिति में लिखते हैं और उसमें जो निश्चितता का आभाव हो जाता है तो उसे स्वीकार मैं कैसे करूं . . (व्यवधान) तो क्या आप चहाते ह कि म आपको गलत लिखना सिखाऊं । आपकी बात सही हो सकती है और वक्तव्य दिलाने की मेरी इच्छा भी हो सकती है लेकिन फिर यह सरकारी अधिकारियों के पास जायेगा तो वे भी प्रश्न करेंगे कि यह भी निश्चित नहीं है, ठीक से लिखकर दें ।

श्री पुरुषोत्तम (देवरिया)—

इसमें कौन सी बात है जो अनिश्चित है। यह तो लिखा ही जाता है कि "यह संभव है"।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप यहां बैठ जायं तो आप भी ऐसा ही कहेंगे जैसा मैं कह रहा हूं। आखिर नियम के अन्तर्गत ही हम करेंगे।

दूसरा श्री बाबूलाल वर्मा का है गेहूं की वसूली के बारे में आया है। जिस पर बहस हो चुकी है, यहां बयान हो चुका है।

श्री मधुकर दिघे—

उस दिन आपने कहा था कि इस पर चर्चा आ सकती है।

(व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, वहां हालत बहुत खराब है। वहां पर जो इस हेतु पुलिस चौकियां हैं, वहां से 5 किलो गेहूं भी पुलिस वाले नहीं ले जाने देते हैं। जो आटा पिसने आता है, शादी ब्याह के लिये पिसने आता है, ये चौकी वाले सिपाही उस पर भी छापा मारते हैं। इस तरह से जिले भर में आतंक मचा हुआ है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप मंत्री जी से वक्तव्य दिला दें। मैं समझता हूं, वहां ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की बदतर स्थिति है। हर जगह इसी तरह से जबरिया वसूली की जा रही है। मैं उनके नाम बता सकता हूं, सूची पेश कर सकता हूं। हमारे जिले में अनेक किसानों को जेल में बन्द किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

देखिए, आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें। हो सकता है कि आपके जिले में एक-दो जगह ज्यादती हुई हो।

श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा ने कानपुर जिले में कपड़ा, वनस्पति घी, शक्कर आदि आवश्यक वस्तुओं के अभाव पर दिया है। इस पर भी बहस हो चुकी है। अब भी आप इस पर बजट भाषण के समय चर्चा कर सकते हैं। एक माननीय हरि केवल ने किसी इन्टरमीडिएट कालेज, देवरिया में बोर्ड लगाने के संबंध में दिया है, जिसके कारण जिले में स्वतंत्रता सेनानियों का 25 जून से सत्याग्रह होने जा रहा है। इसमें भी आशंका है। इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, वहां पर एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है। मैं सदन के सदस्यों के सामने फोटो दिखाना चाहता हूं। यह फोटो है, जिस पर हमारे अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर जो कालेज वहां पर बना था, उस कालेज के बोर्ड पर लिखा हुआ यह नाम 28/29 तारीख की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस के सहारे गोल बनाकर पोत दिया है और उस पर कालिख पोत दिया गया है। उस पर महाराजा के नाम पर यह बोर्ड लगा दिया गया है। जिस पर यह बातें लिखी हुई ह। इसके कारण 25 तारीख को देवरिया के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाह्न किया है कि उस कालेज में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर जो कालिख लगाई गई है, उसको हटाकर हम पुनः अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का नाम स्थापित करेंगे, इसके लिये हमें चाहे जो और चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े। मैं समझता हूं ऐसी परिस्थिति में जब वहां सामान्तशाहों और पुलिस का राज्य है और ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जो सब के लिये चिन्ता का विषय है। वहां जनरोष पैदा हुआ है। मंत्री जी यहां मौजूद ह। उनसे आप इस पर बयान दिला दें, जिससे कि वहां जो विषम परिस्थिति पैदा हो गई है वह शान्त हो सके और जनता म अमन-चैन कायम हो।

श्री अध्यक्ष—

जिन विषयों में सरकार की सीधी जिम्मेदारी होती है, उस पर वक्तव्य दिलाऊंगा । किन्तु यह उक्त कालेज की प्रबन्ध समिति से संबंधित है । वहां जैसा कहा गया है, कुछ तत्व राष्ट्रीयता के विपरीत काम कर रहे हैं, जिस पर 25 जून से स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्याग्रह करने का आवाहन किया है । इसको तो हम आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार के पास भेज रहे हैं । इसमें आप वक्तव्य क्या चाहते हैं । जो यह कालिज पोतने का कुकृत्य है, इसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा ।

श्री हरिकेवल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर इस तरह से लिखा है---महाराज अग्रसेन बालिका इंटर कालेज तथा मारवाड़ी प्राइमरी विद्यालय, देवरिया । जो वहां के मारवाड़ी हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं उन्होंने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम को कालिख पोत कर तोड़ दिया है और इस नाम का बोर्ड लगाकर अंकित कर दिया । हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम इस पर बयान दिला दें ।

श्री अध्यक्ष—

बयान तो सरकार देगी । कोई गवर्नमेंट कालेज, गवर्नमेंट स्कूल होता जिसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होती तो बात दूसरी थी । निजी प्रबन्ध समिति अगर होगी तो वह कर रही होगी । आप जन शक्ति पर भरोसा कीजिये, वहां के जो लोग कर रहे है उस पर . .

श्री पुरुषोत्तम (देवरिया)--

यह गम्भीर मामला है । माननीय हरिकेवल जी जो कह रहे है इसकी चर्चा भी है । हो सकता है कि कोई अप्रत्याशित घटनायें घटित हो जायं । हमारे जिले की पुलिस इतनी निकम्मी हो गयी है इसीलिये इतने ज्यादा अत्याचार केवल देवरिया में बढ़ रहे है । वह उनसे मिल कर कोई अघन्य कार्य कर सकती है । इसलिये बयान देना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न किया है. . .

श्री हरिकेवल—

नियम 51 के अन्तर्गत जो मैंने अर्ज किया इस सिलसिले में अगर हमें यह आदेश देते है कि जनशक्ति पर भरोसा करें और हम जहां आपकी आज्ञा है, इस सदन में हम को कहते है जन शक्ति पर भरोसा करने के लिये, और जो कुर्बानियां हुई है उन कुर्बानियों पर यह सदन बना, और जहां रामप्रसाद बिस्मिल के नाम का बोर्ड तोड़ कर कालिख लगा दी जाय, जब वहां पर मारवाड़ियों के नाम से बोर्ड लगा दिया जाय और जब यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने आये, जिस पर वहां के लोगों का जनरोष पैदा हुआ है. . . (माइक्रोफोन बन्द कर दिया गया) . . .आप सदन में कहते हैं तो हम इसके लिये तैयार है । फैजाबाद में स्वर्गीय लोहिया जी. . . आप भूल गये . . . देवरिया में जो अमर शहीद के नाम को मिटाया गया, और मारवाड़ियों के नाम का बोर्ड लगाया गया, देवरिया में शहीदों की आत्मा बोल रही है, आप भूल गये . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण कीजिये । आप अधिक बोलते है । आप प्रश्न करेंगे जिसके लिये सरकार सीधे जिम्मेदार हो सकती है । कोई प्राइवेट स्कूल हो, मान लीजिये राष्ट्रीयता विरोधी कोई कार्य करता है तो बाद में सरकार कार्यवाही करेगी । लेकिन वक्तव्य उसमें क्या दें ? प्रश्न यह है कि एक स्कूल है । उसके बारे में पता नहीं है, प्राइवेट मनेजमट है मैनेजमट ने उसका नाम मिटा कर दूसरा कर दिया हो ।

श्री हरिकेवल—

शान्ति भंग की सम्भावना है । एक तरफ गंडे है और दूसरी तरफ पुलिस । पुलिस और गुंडों में गठबन्धन है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मूर्ति को नष्ट भ्रष्ट करने की वजह से देवरिया जिले में अशान्ति का वातावरण पैदा हो गया है। जन मानस में रोष पैदा हो गया है । इसलिये हरिकेवल जी कह रहे है । (व्यवधान तथा शोर) ।

जिन लोगों ने मूर्ति को तोड़ा है उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाय माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये आश्वासन दें ताकि हम लोगों को भी संतोष हो । हम लोग समझें कि माननीय मुख्य मंत्री जी के हृदय में राष्ट्रीय भावना है ।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मंत्री जी आश्वासन दें ताकि कार्यवाही की जायगी या जांच की जायगी ।

श्री बांके लाल—

....और हम लोग समझें कि माननीय मुख्य मंत्री जी के हृदय में राष्ट्रीय भावना है ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

हिन्दुस्तान की आजादी की तवारीख में श्री रामप्रसाद बिसमिल का जो स्थान है उससे सभी लोग भलीभांति परिचित है जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है । उनके परिवार में जो भी जीवित है उनके जीवन निर्वाह की भी व्यवस्था की जा रही है । ऐसे महान व्यक्ति का नाम एक स्कूल पर से हटाया जा रहा है जिसको लेकर जनता में असन्तोष फैला हुआ है । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वे इसका नोटिस लें और इसको खत्म कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

वही तो मैं कर रहा हूं । इसको कार्यवाही के लिये भेजे देता हूं ।

झांसी नगर में पेयजल संकट के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, झांसी शहर को दो साधनों से जल संपूर्ति की जाती है :—

(1) झांसी-बबीना पेयजल योजना जिसे माताटीला बांध से पानी मिलता है ।

(2) पहुज बांध ।

झांसी-बबीना पेयजल योजना स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा 222.56 लाख रु0 की लागत से वर्ष 1964 में निर्मित की गई थी। इस योजना की जल संपूर्ति क्षमता 8.66 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त कन्टूनमेंट बोर्ड, रेलवे तथा नगरपालिका, झांसी को जल संपूर्ति की जाती है। नगरपालिका को इस योजना से अब तक 16 लाख गैलन पानी प्रतिदिन दिया जाता है। सिंचाई विभाग के पहुज बांध से नगरपालिका को 14 लाख गैलन पानी प्रतिदिन मिलता था ।

2—पहुज बांध के जल स्तर में भारी गिरावट के कारण, 9-5-74 से 27-5-74 तक पानी मिलना बन्द हो गया । इस बीच नगरपालिका ने बांध पर एक अस्थाई पंपिंग सेट लगाकर सीधे बांध से अपने पंपिंग स्टेशन तक पानी पम्प करने की व्यवस्था की जिससे शहर को फिर पानी मिलने लगा । 11-6-74 को इस व्यवस्था में व्यवधान हो गया क्योंकि

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

बांध का जल स्तर और नीचे चला गया। नगरपालिका ने चैनेल गहरा करके दो-तीन दिन बाद फिर पहुज बांध से पानी प्राप्त करना आरम्भ किया और इस समय केवल 5 लाख गैलन पानी प्रतिदिन मिल रहा है। इस प्रकार नगरपालिका को पानी प्राप्त करने का मुख्य आधार झांसी-बबीना पेयजल योजना ही रह गई। 11-6-74 को बबीना फिल्टर्स में काई बहुत बढ़ जाने के कारण फिल्ट्रेशन रेट काफी घट गया और नगर पालिका को केवल 12,46,000 गैलन पानी दिया जा सका। इससे शहर में जल संकट हो गया है। स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने प्रयत्न करके दूसरे दिन तक फिल्टर ठीक कर लिया और झांसी नगरपालिका को पानी निम्नलिखित मात्रा में दिया जाने लगा:—

दिनांक				दी जाने वाली पानी की मात्रा	
12-6-74	..	..	..	18,44,260	गैलन
13-6-74	..	..	..	21,55,480	गैलन
14-6-74	..	..	..	25,09,260	गैलन
15-6-74	..	..	..	25,07,460	गैलन

3—झांसी-बबीना पेयजल योजना का रख-रखाव स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। नगरपालिका को 75 पैसे प्रति हजार गैलन की दर से पानी दिया जाता है। नगरपालिका पर 13 लाख रु0 जल मूल्य का बकाया हो गया है। नगरपालिका बकाये का भुगतान कर देगी हालांकि झांसी नगरपालिका पर 13 लाख रु0 का बकाया है, झांसी नगर में पेयजल की सुविधा बनाये रखने के लिये स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को आदेश दे दिया गया है कि वे झांसी-बबीना योजना से पर्याप्त मात्रा में नगरपालिका को जब तक वहां जल संकट है, जल उपलब्ध कराते रहें। साथ ही नगरपालिका को निर्देशित किया गया है कि वे बकाये का भुगतान करते रहें।

श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो जल संकट झासी में उत्पन्न हुआ उसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। यदि हां तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जल संकट पहुज बांध के जल स्तर में भारी गिरावट के कारण हुआ है। फिल्टरेशन में जो गड़बड़ी हुई उसे 12-14 घंटों में ठीक कर दिया गया। इसमें डिफेंस डिपार्टमेंट का भी पैसा खर्च हुआ है इसलिये हम उन्हें भी पानी देते हैं। इस संबंध में हमने आदेश दिए हैं कि चाहे माताटीला डैम से ज्यादा पानी लेना पड़े उसे पूरा किया जाये जब तक कि संकट दूर न हो जावे।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 25 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है और 5 लाख पानी गैलन पानी की और कमी है तो मैं जानना चाहता हूं कि झांसी में पानी की कितनी आवश्यकता है और दूसरे जो काई जम गई थी जिससे फिल्टर नहीं हुआ था और जब काई साफ कर दी गई तो यह चलने लगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह काई और कभी पहले भी जमा हुई थी या इसी बार जमा हुई है। इसके साथ ही साथ इसे पहले से ही क्यों नहीं देख। गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, माननीय यादव जी ने कई प्रश्न उठाये हैं। पहले मैंने सूचना दी कि 30 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है। झांसी और बबीना वाटर स्कीम है जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाती है और उसका रख-रखाव भी करती है उसमें काई आ गयी थी काई

पानी में अक्सर जमा हो जाती है । इसकी देख-रेख में चूक हुई है । इसके बारे में मैंने पुछवाया है कि इसे पहले से क्यों नहीं देखा गया । सच बात तो यह है कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड बड़ा उदार है ? उसमें एक हजार स्टैन्ड पोस्ट बढ़ा दिए और अगर वह सतर्क होकर काम किए होता तो यह संकट न होने पाता ।

श्री राम सेवक यादव—

उन्होंने पम्पिग सेट लगाकर जब ठीक किया तो इस चीज को वहां के अधिकारियों के पहले से क्यों नहीं देखा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

म्युनिसिपल बोर्ड को जल पहुज बांध से मिलता है । एल० एस० जी० डी० नहीं करता है । सचमुच 35 लाख गैलन प्रतिदिन पानी चाहिये । अब हमने यह आदेश किया है कि किसी तरह से झांसी-बबीना योजना से पर्याप्त मात्रा में नगरपालिका को जल देते रहें । माताटीला से और पानी ले और जल पहुंचाये । एल० एस० जी० वाले यह कहते हैं कि हमारा रुपया यह दे ही नहीं रहे हैं । हमने आदेश दिया कि उधार का सवाल नहीं है । झांसी को पानी पूरा मिलना चाहिये । मुझे आशा है कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तो झांसी को पूरा पानी मिल जायगा ।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था की जा रही है जिससे कि 5 लाख की जो कमी है वह पूरी हो सकेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इससे जितना पानी का इनके साथ हमारा वायदा था उससे ज्यादा इनको सप्लाई कर रहा हूं । उससे ज्यादा पानी उसमें से निकाल रहे हैं ।

दि संडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार का स्थगन

(श्री अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पुकारने पर ।)

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि पिछली दो कार्यमंत्रणा समिति में मैं भी गया था परन्तु इस इंडियन टोल्स विधेयक के बारे में वहां पर कुछ तय नहीं हुआ इसको लेने के लिये और यह बिल आप ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने यह कह दिया कि कार्यमंत्रणा समिति में यह तय नहीं हुआ . . .

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, पहले मेरी बात आप सुन लें . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको स्मरण नहीं है । यह जो उत्तर प्रदेश बिधान सभा की कार्य-सूची ह वह छप कर बंट चुकी है . . .

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, यह कौन सी तारीख में तय हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—

6 जून है या पहले ही तय हो चुका था कि 19–20 को एक-एक विधेयक लिये जायेंगे।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, कल भी ऐसा एक बिल ला रहे हैं। मान्यवर, आप एकदम से यह बिल ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना छपकर बट चुकी थी पहले।

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था और न माननीय असरार साहब ही थे। मान्यवर बजट के दिनों में इस प्रकार के बिल आते ही नहीं। मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कि यह इन दोनों बिलों को कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है उसमें रख कर विचार कर लिया जाय। यह हम आपसे पुनः आग्रह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार हो चुका है। उस दिन आप नहीं रहे होंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, कल काय मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है उसमें इसको पुनः भेज दिया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, एक दिन पूर्व हम लोगों को सूचना मिलनी चाहिये कि कौन सा विधेयक कल पेश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो 6 जून को बांटा गया था। इसमें लिखा है कि दिनांक 4 जून, 1974 की अपनी बैठक में कार्य मंत्रणा समिति विधान सभा के 6 जून, 1974 से 26 जुलाई, 1974 तक के उपवेशनों के लिए निम्नलिखित रूप में तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित करने की सिफारिश करती है। यह पहले से ही आपका निर्णय है।

श्री मोहनलाल कपूर—

श्रीमन्, इसका तो हमें आज पता चला जब एजेंडा हमारे पास आया।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, जो बिल इस समय सदन में पेश हो रहा है, इसकी सूचना हमको पहले से नहीं थी। आज यह 5 बजे के बाद लिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल कपूर—

श्रीमन्, बजट के दिनों में तो यह विधेयक 5 बजे के बाद नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, यह एक बहुत ही आवश्यक विधेयक है। इसको 5 बजे के बाद नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है कि आप इस दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित न हों। इसे आपके दल बैठ कर ही तय करते हैं।

श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, पी० ए० सी० के हजारों आदमी उत्तर प्रदेश में आज भी बन्द हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी....

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप दूसरा सवाल कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्रीमन्, इस विधेयक के बारे में हमें आज ही सूचना मिली कि इस विधेयक पर विचार होने वाला है।

कुंवर श्री पाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 5 बज चुके हैं, हम यहां पर किस आधार पर बैठे हुए हैं। न तो आपने समय बढ़ाने की घोषणा की और न समय बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव ही आया। 5 बज चुके हैं। सदन का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय, सदन का तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

कुंवर श्री पाल सिंह---

श्रीमन्, आपको समय बढ़ाने का अधिकार है। 5 बजने के एक मिनट पूर्व या तो आप समय बढ़ा देते हैं या समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सदन में आता। न आपने समय बढ़ाया और न समय बढ़ाने का सरकार की ओर से ही कोई प्रस्ताव आया। इसलिये कोई काम अब नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह विधेयक न पारित हो, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय?

कुंवर श्री पाल सिंह---

श्रीमन्, ये 5 बजे के उपरान्त समय बढ़ाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को न माना जाय?

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्रीमन्, 5 बजे के बाद प्रस्ताव आ नहीं सकता था। अगर समय बढ़ाना होता तो पहले यह प्रस्ताव आना चाहिये था या अध्यक्ष पहले ही समय को बढ़ा देते।

श्री अध्यक्ष---

प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रश्न यह है कि एक बार सदन का यह फैसला हो गया, एजेंडा छप कर बांट दिया गया, फिर इसकी क्या आवश्यकता है। कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हो चुका कि विधान सभा में लंबित अवशेष विधेयकों में से प्रति दिन एक विधेयक पर विचार एवं उसका पारण होगा। तो जितना कार्य सूची में अंकित करते हैं, उसको पूरा करना होता है। यह पूर्व निश्चित है। मैं जो पढ़ रहा हूं यह सदन का फैसला है और उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ता है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---
श्रीमन्, इस समय जो कुछ भी कार्य हो रहा है, यह नहीं होना चाहिये, नियमानुसार।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---
कठिनाई तो यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति में जो आपके माननीय सदस्य रहते हैं। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी और रामसेवक जी--वह नहीं हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर---
नेता जी से बात कर आये हैं । कोई नाम बिल का नहीं दिया है, 19-20 तारीख लिखी है । किसी को पता नहीं है कि कौन सा बिल आयेगा । आप इस तरह से पास करा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---
कार्य-मंत्रणा समिति में जो रहे उनको सुनिये, जिन्होंने तय किया उसी के अनुरूप यहां प्रस्ताव आया । तो माननीय रामसेवक जी थे, वित्त मंत्री जी थे.....

एक सदस्य---
कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय से हमको सूचित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---
अभी तो नियमानुसार यह सदन चल रहा है, क्योंकि 15 मिनट बढ़ाने का मुझे स्वयं अधिकार है, इसलिए कोई अनियमितता तो हुई नहीं है । सवाल यह है कि..

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---
कार्य-मंत्रणा समिति का जहां तक सवाल है उसमें जो हुआ, मंत्री जी कहते हैं उसमें से हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन एक निवेदन आपसे है कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस पर आज बहस न हो, कल हो जाय । मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उस दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ । जो मंत्री जी कह रहे हैं कि यह हुआ, तो उसमें हमारे आपके बीच में कुछ नहीं है । लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य इस विधेयक पर शायद किसी कारण से इस वक्त तैयार नहीं हैं । तो मैं चाहूंगा कि आज इसको न लिया जाय।

कुंवर श्रीपाल सिंह---
मैं व्यवस्था पहले चाहता हूं, उसके बाद यादव जी ने जो कहा है..

श्री अध्यक्ष---
कार्य 15 मिनट तो मैं चला रहा हूं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---
मैं नियम बढ़ाता हूं, आपको कहना चाहिये था 5 बजे से पहले। अध्याय 4 देखिये, नियम 15---

"उपवेशन का समय--सभा का उपवेशन 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगा:

परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा उपवेशन के समय को बढ़ा सकेगा। अध्यक्ष स्वयं भी उपवेशन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ा सकेंगे"।

तो अध्यक्ष जब कह दें तो मैं समय बढ़ा रहा हूं तब बढ़ेगा। कहा तो है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष---

यह जो व्यवस्था का प्रश्न है(व्यवधान)

कुंवर श्रीपाल सिंह---

सार्वजनिक निर्माण मंत्री को आपने कहा कि बोलिये । वह बोले नहीं हैं । इधर से कुछ लोग खड़े हुए, कुछ उधर से खड़े हुए । इधर के लोगों को आपने कहा बैठने के लिए, उनको कह दिया बोलने के लिये । आपने यह नहीं कहा कि सदन का समय और 15 मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष---

यह आवश्यक नहीं है।(व्यवधान)

आप शांत रहें ।

(व्यवधान)

जो प्रश्न माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने उठाया है कि सभा का उपवेशन 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा उपवेशन के समय को बढ़ा सकेगा । अध्यक्ष स्वयं भी उपवेशन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा सकेंगे..

एक सदस्य---

परन्तु 5 बजे के बाद सवा 5 बजे आप कैसे व्यवस्था देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन के एक संकल्प द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जो पूरा करने के लिये अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 मिनट का समय स्वयं बढ़ा सकता हूं ।(व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ बोलते हैं) ।

एक सदस्य---

जब सदन का समय समाप्त हो गया तो कैसे आप समय बढ़ा सकते हैं?(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

तो आप बोल क्यों रहे हैं ! चले क्यों नहीं गये । (हंसी) सदन तब समाप्त होता है जब अध्यक्ष कह कर चला जाता है।

श्री रामायण राय(जिला देवरिया)---

मान्यवर, अब 15 मिनट का समय भी समाप्त हो रहा है मैं पहले प्रस्ताव करता हूं कि जबतक इस बिल पर.. (व्यवधान)

एक सदस्य---

यह प्रस्ताव 5 बजे के अन्दर आना चाहिये था । सवा 5 बजे प्रस्ताव नहीं आ सकता ।

मुख्य मंत्री(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, यह सदन जबतक काम करना चाहे या न करना चाहे, मैं इसकी इच्छा पर चलूंगा और हर एक को चलना पड़ेगा और माननीय सदस्यों की इच्छा के विपरीत काम करने में सरकार को कोई बड़ा सुख भी नहीं है । बात सिर्फ इतनी है कि जो कार्यक्रम बना देती है हमारी बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी, जो हमारे दलों के नेता आपस में बैठ कर तय करते हैं, अगर उसको हम यहां न मानें तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जायगा । बहुत छोटी सी बात है कि टोल टैक्स हम नहीं इकट् ा करेंगे वित्त कारपोरेशन करेगा । मेरा प्रार्थना करने का मतलब विरोधी दलों के नेताओं और सदस्यों से सिर्फ इतना है कि आज के इस कार्यक्रम

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

मे अगर हम व्यवधान डलते है तो भविष्य के लिये हम आपस मे बैठकर कार्य-मंत्रणा समिति मे कैसे काम करेंगे। यह पहले से आ गया है और यह सदन की परम्परा रही है कम से कम इधर थोड़े दिनों मे कि जब आपके मन की बहस रही है तो सात-सात बजे तक आपने बहस की है बिना प्रस्ताव किये हुए कि समय बढ़ा दिया जाय। कार्य-मंत्रणा समिति ने कहा था कि उस दिन काम चलेगा। माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी तो नियमों के बड़े ज्ञाता है, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि पहले भी हम जो काम यहां करते रहे है उसको देख लिया जाय। क्या बिना टाइम बढ़ाये हुये हम लोग 7-7 बजे तक नहीं बैठे हैं। अभी उसी दिन बिजली पर बहस थी, 7 बज तक हम लोग बैठे थे, टाइम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया। (व्यवधान) मेरी भूल होगी तो स्वीकार कर लूंगा मगर आया नहीं। यह बिल बड़ा साधारण बिल है, मुश्किल से 5 मिनट का काम है। कोई इसमे जिद्द का सवाल नहीं है, मगर हमको यह आश्वासन मिलना चाहिये कि आखिर कार्य-मंत्रणा समिति में जो कुछ तय होगा उसका पालन किया जायेगा या नहीं, उस प्रश्न को फिर यहां पर चुनौती देना ठीक नहीं है। अगर उसके निर्णय को ही हम यहां पर नहीं मानेंगे तो फिर सदन का कार्य कैसे चलेगा? संगठन कांग्रेस का कलकत्ता मे अधिवेशन था, इसीलिये आप लोगों की राय थी। कि कुछ दिन सेशन न किया जाय और उसी कार्य को अधिक समय बैठ कर पूरा कर लिया जाय। कार्य-मंत्रणा समिति के उसी निर्णय के अनुसार यहां पर काम हो रहा है। सारे सदन पर जो खर्च यहां पर प्रति दिन होता है, उसको देखते हुये मेरी प्रार्थना है और अपने नौजवान साथियों से विशेषकर है जो नये-नये लोग आये है, माननीय श्रीपाल सिंह जी से भी है जो कि प्रगाढ़ पंडित है, कि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों को हम लोग मानें और उसके अनुसार यहां पर कार्य चलने दें। ठीक 5 बजे सदन उठ जायेगा तो उस तरह से तो हम भी उठ कर उस समय चले जा सकेंगे जब कि यहां वक्तव्य आदि चल रहा होता है और हमारे ऊपर अटैक होता रहता है। फिर आज तो केवल कुछ मिनटों का सवाल है। इसलिये मेरी पुनः प्रार्थना है कि आप इसे स्वीकार कर। मन का जो गुस्सा था, निकल गया, अब मेरे मोहनलाल जी कपूर से भी प्रार्थना है इसे चलने दें।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यहां यह जो कुछ भी अव्यवस्था पैदा हुई वह नियमों का उल्लंघन करने पर हुई। यदि नियमों का सख्ती से पालन किया जाये तो ऐसी बात न हो। यहां सदन 12-12 बजे रात तक बैठा है और मैंने उसमें भाग लिया है। आज भी यदि आवश्यकता होगी तो 12 बजे रात तक हम बैठेंगे। मगर नियमों का उल्लंघन करके नहीं। एक बार भी यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो वह उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया है, नियमावली है सदन को चलाने के लिये। हाउस को चलाने के लिये। हमको इनका अनुपालन करना ही पड़ेगा। नियमों का पालन तभी हो सकता है जब हमारे विरोधी दल के नेता, माननीय सदस्य और सभी लोग इनका कड़ाई के साथ पालन करें। तब जाकर सदन की कार्यवाही चल सकती है। अन्यथा इस किस्म की मनमानी करने से काम नहीं चल सकता। कार्य मंत्रणा समिति हो या चाहे कुछ भी हो मुझे कुछ मतलब नहीं है। जो नियम बनाये गये है उनका प्रतिपादन होना ही चाहिये। आप जो कुछ कहें 5 बजेसे पहले कह दिया करें कि सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है। इससे नियमों का प्रतिपालन हो जाता है और आप उसमें जो चाहे बोलते। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं आप लोगों की बातों को मानता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं विरोधी दल के सदस्यों के हृदय को तोड़ कर यहां पर नहीं बठना चाहता हूं। मैं संसदीय परम्पराओं

से थोड़ा बहुत वाकिफ हूं। मेरा एक प्रस्ताव है। कल एक बिल है जो प्रेस से संबंधि है। माननीय राम सेवक यादव जी का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। यह बिल है कि जो प्रेस वाले यहां रिपोर्ट करते हैं और उनको छापते हैं तो कुछ लोग उन पर मुकदमा चला देते हैं चाहे उन्होंने उचित छापा हो या अनुचित। तो इसके लिये हम एक कानून बना रहे कि सदन में कोई बात होगी अगर वह छपी तो उस पर कोई व्यक्ति मुकदमा नहीं चला सकेगा। तो मैं चाहूंगा कि यह दोनों बिल कल कर दिये जायें।

श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि प्रेस वाले बिल को कल से लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके आसन ग्रहण कीजिये। व्यवस्था के प्रश्न को मैं निर्मूल करता हूं। व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष महोदय, यह दो बिल हैं। अगर आप राय दें तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल और प्रेस वाला बिल जो कल होना था कल सदन के समय के बाद कर दिया जाय, तब तक यह सदन बैठा रहे जब तक कल यह बिल न हो जायं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह बिल और कल आने वाला बिल जो प्रेस के बारे में है, यह दोनों कल लिये जाय और जब तक पास न हो जाय तब तक सदन चलता रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
19 जून, 1974।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 741 पर)

तालिका–1

कानपुर में डेरापुर तहसील के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की गई ।

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कहां से कहां तक	लम्बाई कि० मी०	कार्य प्रारम्भ तिथि	भौतिक प्रगति 3/74 तक	वित्तीय प्रगति 3/74 तक	विवरण
1	सिठमारा–डेरापुर–उदनापुर के पास ।	सिठमरा से उदनापुर	12	कार्य प्रारम्भ नहीं किया ।	शून्य	शून्य	भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।
2	बनीपारा-कहिंजरी चौबेपुर बेला रोड तक ।	बनीपारा से कहिंजरी तक	10	तदेव	शून्य	शून्य	
3	भिण्डा कुआं से बनीपारा होकर रूरा तक ।	भिण्डाकुआं से रूरा तक	12	तदेव	शून्य	शून्य	
4	लहरापुर-गारामऊ होकर रसूलाबाद तक ।	लहरापुर से रसूलाबाद	9	2/73	2.250 कि० मी०	46,700	उस समय काफी मात्रा में मजदूर नहीं मिले ।
5	नोनारी से उदनापुर डेरापुर रोड तक ।	नोनारी से उदनापुर	8	कार्य शुरू नहीं किया गया ।	शून्य	शून्य	भूमि उपलब्ध न होने की वजह से कार्य शुरू नहीं किया ।

तालिका–2

अतिरिक्त सूचना

उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त डेरापर तहसील के अन्तर्गत निम्न मार्गों पर 72–73 एवं 73 –74 में टेस्ट वर्क्स से कार्य किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
1—बेलहा-अजनपुर	बेलहा से अजनपर	6	2/73	4.75 कि0 मी0	77,400	यह सड़क टेस्ट वर्क में शुरू की गई।
2—डेरापुर से मुंगीसापुर	डेरापुर से मंगीसापुर तक	8.19	2/73	1.00 कि0 मी0	26,600	यह सड़क प्लान में मंजूर है इसमें 1 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य टेस्ट वर्क से किया गया यह सड़क पूरी कर दी गई है।
3—डेरापुर कन्चौसी मार्ग	डेरापुर से कन्चौसी तक	32	2/74	0.600 कि0 मी0	7,800	यह सड़क टेस्ट वर्क में शुरू की गई।
4—झींझक सिकन्दरा	झींझक से सिन्कदरा तक	26	2/73	3.00 कि0 मी0	25,400	यह सड़क उ0 प्र0 मार्ग निधि (यू0 पी0 आर0 एफ0 में बन रही है इस सड़क पर 3 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य टेस्ट वर्क से पूरा किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 760 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषा

2—इस अधिनियम में, "समाचार-पत्र" का तात्पर्य किसी ऐसी नियत कालिक मुद्रित कृति से है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार पर टीका टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हों।

विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन का विशेषाधिकृता होना

3—(1) उपधारा (2) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी सदन की किन्हीं भी कार्यवाहियों की सारतःसही रिपोर्ट के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन अथवा किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन हेतु, किसी समाचार एजेंसी द्वारा सामग्री के प्रदान के, सम्बन्ध में किसी न्यायालय म, किन्हीं सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाहियों के लिये, तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि प्रकाशन द्वेष से किया गया साबित न हो जाय।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे विषय क प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करती है जिसका प्रकाशन लोक-कल्याण के लिये नहीं है।

विधान मण्डल की कार्यवाहियों के बेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी अधिनियम का लागू होना।

4—यह अधिनियम किसी प्रसारण स्टेशन द्वारा व्यवस्थित किसी कार्य-क्रम अथवा सेवा के भाग के रूप मे बेतार टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में लागू होता है।

विचाराधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होना।

5—यह अधिनियम उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि पर किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन हों।

उद्देश्य और कारण

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अपवाद (4) में किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की व्यवस्था है किन्तु राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट के प्रकाशन के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अतएव, यद्यपि, राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों की सारतः सही और विश्वसनीय रिपोर्ट के प्रकाशन से विधान मण्डल की मान-हानि नहीं होती, फिर भी इस बात से कि जिन शब्दों के विरुद्ध परिवाद किया गया है, वे विधान मंडल में कहे जाने के समय विशेषाधिकृत थे, उन शब्दों के प्रकाशन के सम्बन्ध में, वर्तमान विधि में कोई, विशेषाधिकार नहीं होता।

यह आवश्यक है कि राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के सद्भावनापूर्ण प्रकाशन को, चाहे वह किसी समाचार-पत्र द्वारा अथवा बेतार टेलीग्राफी द्वारा किया जाय, उपलब्ध विशेषाधिकार विधि द्वारा परिभाषित कर दिया जाय। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट के प्रकाशन के सम्बन्ध में इस प्रकार का विधान संसद द्वारा पहल ही अधिनियमित किया जा चुका है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये है।

नारायण दत्त तिवारी,
संसदीय कार्य मंत्री।

पी० एम० यू० पी० —ए० पी० 81—वि० (सभा)—(1200)—1974—835।